लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 8–बुधवार, 20 नवम्बर, 1968/29 कार्तिक, 1890 (शक)

No. 8—Wednesday, November 20, 1968/Kartika 29, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
211	फरक्का बांध के बारे में गतिरोध	Dead lock on Farakka Barrage	1253–1257
212	राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States	1258
213	छिपे हुए नागाओं द्वारा सैनिक अधिकारियों का अपहरण	Kidnapping of Army Officers by under ground Nagas	1263–1268
214	आयुध कारखानों में प्रबन्धात्मक परिवर्तन	Organisational changes in ordnance factories	1268–1271
215	हिमाचल प्रदेश के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Himachal Pradesh ..	1259–1263

अ. सू. प्र./S. N. Q.

2	समाचार पत्रों के "इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप" द्वारा गुजरात में भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को अपने हाथ में लेना	Taking over of Small and medium Language Newspapers in Gujrat by Indian Express Group of Newspapers	1271–1278

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.

216	श्रीमती एम. एस. सुब्बलक्ष्मी तथा अन्य कलाकारों को भुगतान	Payments to Sarimati M.S. Subbalakshmi and other Artistes	1278–1279
217	भारतीय सीमाओं पर चीनी सेना का जमाव	Troops Concentration on Indian Borders by China	1279

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

218	राष्ट्रीय आय	National Income	1279
219	प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income	1279–1280
220	प्रपत्रों और नियमावलियों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Forms and Manuals in Hindi	1280
221	सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को पेंशन संबंधी लाभ	Pensionary Benefits to Retired Military Personnel ..	1280–1281
222	जूनियर कमीशन आफिसरों को पेंशन का भुगतान	Payment of Pension to Junior commissioned Officers	1281
223	वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के कार्य की जांच	Probe into Working of Indian Embassy in Washington	1282
224	हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग	Himalayan Mountaineering Institute Darjeeling — ...	1282–1283
225	वैमानिकी समिति	Committee on Aeronautics	1283–1284
226	हिन्दी के बुलेटिनों का प्रसारण	Broadcasts of Hindi Bulletins	1284
227	विरल मृद (रेयर अर्थ) का उत्पादन	Production of Rate Earth	1284-1285
228	वियतनाम की समस्या पर पेरिस वार्ता	Parts Talks on Vietnam Issue	1285
229	कच्छ पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Kutch Award	1285 1286
230	समाचार पत्रों के लिये अखबारी कागज का अभ्यंश	Newsprint quota for Newspapers	1286
231	फ्रांस द्वारा हाइड्रोजन (उदजन) बम्ब का विस्फोट	French Explosions of Hydrogen Bomb —	1286
232	चिल्का (उड़ीसा) में नौसैनिक प्रशिक्षण संस्था	Naval Training Institute at Chilka (Orissa)	1286–1287
233	सर्वदलीय नागा सम्मेलन	All people Naga Conference ... —	1287–1288

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता.प्र.संख्या /S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
234	ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Arms Supply to Pakistan by U.K.	1288
235	सरकार के तंत्र तथा कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	A.R.C. Report on Machinery and Working Procedure of Government	1288
236	कांग्रेस अध्यक्ष के लिये राजनयिक पारपत्र	Diplomatic Passport for Congress President	1288-1289
237	भारत में निमित्त प्रथम युद्ध-पोत	First Frigate made in India ...	1289
238	पूर्वी पाकिस्तान में अल्प-संख्यक	Minorities in East Pakistan	1289-1290
239	भारत के अंगरूप द्वीप	Islands forming part of India	1290
240	प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income	1290

अता. प्र. सं./U. S. Q. Nos.

अता. प्र. सं./U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1354	सीमावर्ती सड़कों का विकास	Development of Border Roads	1291-1292
1355	ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में कर्मचारी	Staff in Indian High Commissioner's Office in U.K.	1292-1293
1356	मिग और एच.एफ. 24 विमानों का निर्माण	Production of MIGs and HF24 Planes ...	1293-1294
1357	युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का लाभ	Pensionary Benefits to War widows ...	1294
1358	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडिट	N.C.C. Cadets	1294-1295
1359	सैनिक स्कूल	Sainik Schools	1295
1360	सेना में पदोन्नतियां	Promotion in Defence Forces	1295-1296

1361 फिल्म उद्योग में काला धन — Black money in film Industry 1296

1362 चलचित्र जांच समिति की सिफारिशें — Film enquiry Committee's recommendations 1296

1363 चलचित्र उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों की समिति — Committee of Experts to study problems of Film Industry 1297

1364 अन्तराष्ट्रीय फिल्म सप्ताह, ताशकन्द — International Film Week, Tashkent... ... 1297

1365 नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह — International Film Festival in New Delhi ... 1298

1366 फरक्का बांध के सम्बन्ध में मत्री स्तरीय वार्ता — Ministerial level Talks on Farakka Barrage 1298

1367 सामुदायिक विकास विभाग — Community Development Department ... 1299

1368 प्रति व्यक्ति आय — Per capita Income 12 9

1369 दक्षिण कोरिया आर्थिक मिशन का दौरा — Visit by South Korean Economic Mission 1299–1300

1370 महानगर परिवहन अध्ययन दल — Metropolitan Transport Study Team .. 1300

1371 संयुक्तराष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल — Indian Delegation to UNO ... 1300

1372 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय — National Sample Survey Directorate .. 1301

1373 नौसेना मुख्यालय के साथ पत्र व्यवहार — Coorrespondence with Naval Headquarters 1301

1374 नौसेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार — Coorrespondence with Naval Headquarters 1301–1302

1375 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय — National Sample Survey Directorate ... 1302

1376	कुवैत में इस्पात बेलन कारखाने की स्थापना	Establishment of a Steel Rolling Mill in Kuwait	1302
1377	मांडले जेल में स्मारक हाल	Memorial Hall in Mandlay Jail	1303
1378	देश में क्षेत्रीय असंतुलन	Existence of Regional Imbalances in the country	1303
1379	अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में काम करने वाली भारतीय सैनिक टुकड़ियों की रहन सहन की स्थिति	Living Conditions of Indian Troops with I.C.C.	1303–1304
1380	नौसेना तथा व्यापारिक नौवहन के लिये केन्द्रीय-डिजाइन और निर्माण एकक	Centralised Design and production Unit for Navy and Merchant Shipping ...	1304
1381	प्रतिरक्षा जन सम्पर्क विभाग	Defence Public Relations Department ...	1304–1305
1382	दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र के साथ उत्पादन में भागीदारी	Sharing Production with South Asian Region	1305
1383	स्वेज नहर क्षेत्र में युद्ध विराम के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव	Security Council Resolutions on Ceasefire in Suez Canal Area	1305–1306
1384	काली सूची में दर्ज किये गये समाचार पत्र	Newspaper Black listed	1306
1385	हिन्दी में वार्ता	Talks in Hindi	1306–1307
1386	पश्चिम एशिया के बारे में रूस का प्रस्ताव	Russian proposal on West Asia	1307
1387	योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commission ...	1307
1388	इसरायल में भारतीय हित	Iendian Interests in Isracol	1307–1308

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1389 संयुक्त अरब गणराज्य को आयल पाइप लाइन के लिये भारतीय सहायता	Indian Help to UAR for Oil Pipeline ...	1308
1390 रोडेशिया पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध	Economic sanctions imposed on Rhodesia	1308
1391 आयुद्ध कारखाने	Ordinance Factories	1309
1392 कानपुर में छोटे हथियार बनाने का कारखाना	Small Arms Factory, Kanpur	1309
1393 ईरान के माध्यम से रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	USSR Arms for Pak. through Iran	1309–13 0
1394 इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	Electronics Corporation of India Ltd. ...	1310–1311
1395 इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	Indian Rare Earths Ltd.	1311–1312
1396 प्रागा टूल्स लिमिटेड	Praga Tools Limited	1312
1397 चौथी पंचवर्षीय योजना के क्षेत्रीय असंतुलन के लिये अध्ययन दल	Study Group for Regional Imbalance in Fourth Plan	1312–1313
1398 फिल्म अभिनेत्री राजश्री	Film Actress Rajshree	1313
1399 चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प	UN Resolution on Czechoslovakian Issue ...	1313–1314
1400 भारत और चीन के बीच राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations between India and China	1314
1401 भारतीय पारपत्र वाले एक अरब राष्ट्रजन द्वारा एक इसरायली विमान को उड़ा कर ले जाये जाने के मामले की जांच	Enquiry into an Arab National with Indian Passport involved in Hijacking of an Isreali Plan	1314

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1402 लद्दाख क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Ladakh Areas ...	1314-1315
1403 रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस से प्रसारण	Broadcasts from Radio Peace and Progress	1315–1316
1404 विदेश में स्थित भारतीय मिशनों पर व्यय	Expenditure on Indian Missions Abroad ..	1316
1405 सैनिक इंजीनियरी सेवा में स्थायित्व अधिकारी	Quasi-Permanent officials in M.E.S. ..	1316–1317
1406 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिये नेपाल का उम्मीदवार होना	Nepal's Candidatere for UN Security Council	1317
1407 उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Uttar Pradesh	1317–1318
1408 उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र विज्ञापन संबंधी प्रसारण	Commercial Broadcasts from AIR Station in U.P.	1318
1409 चीन द्वारा भारतीय स्थल तथा वायु सीमाओं का अतिक्रमण	Land and Air Space Violations Committed by China	1318–1319
1410 पाकिस्तान द्वारा भारतीय भूमि तथा वायु सीमा का अतिक्रमण	Violations of Indian Territory and Air Space Committed by Pakistan	1319
1411 पाकिस्तान को सैनिक सहायता	Military Aid to Pakistan	1319
1412 भारतीय सेना की वर्दी में पाकिस्तान बटालियनें	Pakistan Battalions in Indian Army Uniform	1319–1320
1413 पाकिस्तानी अधिकृत काश्मीर में सैनिक निर्माण	Pak. Military Construction in occupied Kashmir ... —	1320
1414 संयुक्त राष्ट्र महासभा की विषय सूची में चेकोस्लोवाकिया के प्रश्न को शामिल किया जाना	Inclusion of Czechoslovakia issue in U.N. General Assembly Agenda	1320

तारा. प्र सं./U.S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1415 जम्मू और काश्मीर की चौथी योजना	Fourth Plan of Jammu and Kashmir ...	1321
1416 वाराणसी में आसाम राइफल्स के सैनिकों द्वारा मार-पीट	Assam Rifles Clash in Varanasi	1321–1322
1417 चीन और पाकिस्तान को भेजे गए विरोध पत्रों का उत्तर	Replies to Protest notes sent to China and Pakistan	1322
1418 सीमावर्ती सड़क निर्माण कार्यक्रम	Border Road Construction Programme ..	1322–1323
1419 पाकिस्तान में योमे दफा 'दिवस'	Yoma Dafa Day in Pakistan	1323
1420 वियतनाम में अमरीकी विमानों द्वारा नागरिकों पर बमबारी	Bombing of civilians by USA Planes in Vietnam	1323
1421 फिल्म परिषद्	Film Council	1323–1324
1422 बीकानेर डिवीजन में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Ex-Servicemen in Bikaner Division	1324
1423 अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ	All-India Defence Employees Federation ...	1324
1424 उत्तर प्रदेश की भूमि के आंकड़ों के अन्तर	Discrepancy in land statistics of U.P. ..	1324–1325
1425 प्रधान मंत्री के अधीन विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Departments under Prime Minister	1325
1426 1965 के हिन्दुस्तान पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये अधिकारियों तथा जवानों के परिवारों को विशेष पेंशन के लाभ	Special pensionary benefits to families of officers and Jawans killed in 1965 Indo-Pak. Hostilities	1325–1326

अता.प्र संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
1427 दोषी पाए गए चीनी दूतावास के अधिकारी	Chinese Embassy Officials held guilty ..	1326–1327
1428 सिख यात्रियों का पाकिस्तान जाना	Visit by Sikh pilgrims to Pakistan ...	1327
1429 कुछ दैनिक समाचारपत्रों के मूल्य	Prices of certain Dailies	1327–1328
1430 रोजगार के अवसर	Employment Opportunities	1328–1329
1432 पाकिस्तान द्वारा चीन के सम्मुख चटगांव में अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा जाना	Pakistan offer of a base to China in Chittagong	1329
1433 अधिक शक्ति वाले मिडियम वेव ट्रांस्मीटर	Supper Power Medium wave Transmitters	1330
1434 प्रतिरक्षा सम्बन्धी चलती फिरती प्रदर्शनी	Mobile Defence Exhibition	1330–1331
1435 बागवानी तथा कृषि के विकास के लिये नेपाल की सहायता	Aid to Nepal for Horticulture Agricultural Development	1331
1436 कार्य संचालन सम्बन्धी अनुसन्धान (आप्रेशनल रिसर्च) चलचित्र	Film Operational Research	1331–1332
1437 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में कार्य करने वाले चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञ	Czech Experts working in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1332–1333
1438 विदेश में गाडगिल मिशन	Gadgil Mission Abroad	1333
1439 प्रतिरक्षा के सामान के लिये विदेशों को क्रयादेश	Orders for Defence Material from Abroad...	1333–1334
1440 सीमा सड़कों का निर्माण	Border Roads Construction	1334
1441 हंगरी से निकाले गये भारतीय पत्रकार	Indian Journalists expelled from Hungary..	1334–1335

1442	निशान ब्रेक शूज	Nishan Brake Shoes	1335
1443	सैनिक अधिकारियों के निवास स्थानों पर कार्य करने वाले जवानों की सेवा शर्तें	Service Conditions of Jawans working at Residences of Officers at Domestic Servants	1335–1336
1444	प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास परिषद्	Defence Research and Development Council ... –	1336
1445	प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास परिषद्	Defence Research and Development Council	1336
1446	बम्बई और कलकत्ता से वाणिज्यिक प्रसारण	Commercial Broadcasts in Bombay and Calcutta	1337
1447	दानापुर छावनी क्षेत्र में नया कर	New Tax in Danapur Cantonment Area ..	1337
1448	श्रीलंका छोड़ने वाले भारतीय	Indians Leaving Ceylon	1337–1338
1449	विशाखपत्तनम में युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of Warships and Submarines at Visakhapatnam	1338
1450	गणतन्त्र दिवस के लिये पास	Republic Day Passes	1338
1452	मिजो नेता श्री लालडेंगा की पाकिस्तान में गतिविधियां	Activities of Shri Laldenga, Mizo Leader, in Pakistan	1338–1339
1453	आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers... ...	1339
1454	आपतकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी	Emergency Commissioned Officers.. ...	1340
1455	नागाओं के साथ मुठभेड़	Clashes with Naga	1341
1456	काश्मीर के बारे में रूस का दृष्टिकोण	USSR Attitute on Kashmir – ...	1341–1342

1457	नेपाल में सड़क निर्माण	Construction of Road in Nepal ... —	1342
1458	राष्ट्रीय छात्र सेना दल आदि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या	Strength of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in NCC Etc. ... —	1343
1459	अणु शक्ति विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वैज्ञानिक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Scientists in Atomic Energy Department	1343-1344
1460	आकाशवाणी केन्द्र इम्फाल के कर्मचारियं की शिकायतें	Grievances of Staff of AIR Imphal — ...	1344
1461	योजना आयोग द्वारा हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें	Publications brought out by Planning Commission in Hindi — —	1344
1462	आकाशवाणी से हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण	Broadcast of Hindi News Bulletins from AIR	1344-1345
1463	नेपाल के लिये कुछ कच्चे माल का आयात	Import of certain Raw Materials for Nepal	1345
1464	आयुध कारखानों द्वारा ल्यूबे तेल बैरलों का निर्माण	Manufacture of Lube Oil Barrels by Ordnance Factories ... —	1346
1465	डा० धर्म तेजा की आस्तियों की कुर्की	Attachment of Dr. Dharma Teja's Assets ..	1346
1466	भारतीय अणु कारखाने	Indian Atomic Plants ... —	1346-1347
1467	मधुबनी (बिहार) में सूचना केन्द्र	Infomation Centres in Madhubani (Bihar)	1347
1468	छिपे हुए नागा नेताओं का अपहरण	Kidnapping of Naga Underground Leaders	1347-1348
1469	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में आशुलिपिक	Stenographers in External Affairs Ministry	1348

1470 उत्तरी वियतनाम का महा वाणिज्य दूत — North Vietnamese Consul General 1348

1471 साबाह के प्रश्न पर भारत का दृष्टिकोण — India's stand on Sabha Issue 1349

1472 खेलों का विकास — Development of Sports 1349

1473 सेना में अल्प सेवा तकनीकी कमीशन — Short Service Technical Commission in the Army 1350

1474 भारत में विदेशी दूतावासों के लिये नियत की गई भूमि — Land Allotted to Foreign Embassies in India 1350–1351

1475 भारतीय राष्ट्रीय सैनिक कालेज, देहरादून में पढ़ने वाले मनीपुर के छात्र सैनिक (कैडिट) — Cadets from Manipur Studying in Rashtriya Indian Military College Dehra Dun 1351

1477 संसद् सदस्यों को जीप देना — Release of jeeps to Members of Parliament 1351

1478 भारतीयों का ब्रिटेन अमरीका तथा कनाडा में जाना — Indians migrating to UK USA and Canada 1351–1352

1479 दक्षिण भारत में उपग्रह केन्द्र — Satellite Station in the South 1353

1480 थुम्बा राकेट छोड़ने का स्टेशन — Thumba Rocket Launching Station... ... 1353–1354

1481 चलचित्र गृहों के लिये प्रार्थना-पत्र — Applications for Cinema Houses 1354

1482 चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट — Exemption of films from entertainment Tax 1354

1483 चलचित्र वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण — Loans advanced by film finance corporation 1354–1355

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1484 भारतीय समाचार अभिकरणों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Indian News Agencies	1355–1356
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1356–1360
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयरों का खरीदा जाना	Concerning of IISCO shares	1356
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	1360
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	13 0
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ...	1360
39 वां प्रतिवेदन	Thirty-ninth Report ...	1360
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	1361
32 वां प्रतिवेदन	Thirty second Report .. —	1361
जमा बीमा निगम (संशोधन) विधेयक	Depoist Insurance Corporation (Amendment) Bill ...	1361
विचार के लिये प्रस्ताव	Motion to consider	1361
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant ... —	1361
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D.N. Patodia ..	1362
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	1365
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S.S. Kothari	1365
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narayan ...	1367
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	1367
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	1368
श्री स. कुन्डू	Shri S. Kundu	1368
श्री क. नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	1369

श्री एस. कन्डप्पन	Shri S. Kandappan-	... ...	1370
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	...	1371
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	... --	1373
खंड 2 से 5	Clauses 2 to 5	... ...	1374-1379
सिविल रक्षा नियमों में रूपभेद करने के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Modification to Civil Defence Rules	... ...	1379
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	... ...	1381
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	... ...	1382
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	.. ...	1382
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	... —	1383
श्री स. कुन्डू	Shri S. Kundu	... ...	1383
श्री के. एस. रामास्वामी	Shri K.S- Ramaswamy	... ...	1383
श्री क. नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	... ...	1384
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	— ...	1385
छोटी कार योजना	Small Car Project	.. ...	1385
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	.. —	1385
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	... ..	1387

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार, 20 नवम्बर 1968/29 कार्तिक, 1890 (शक)
Wednesday, November 20, 1968/Kartika 29, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फरक्का बांध के बारे में गतिरोध

+

*211. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री श्रीधरन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री कं० हाल्दर :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री देवेन सेन :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने फरक्का बांध के मामले में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिये बातचीत में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के हेतु सचिव स्तर पर बैठक करने का सुझाव पाकिस्तान को देकर इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उनसे कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : भारत और पाकिस्तान के बीच 1961 के करार के अनुरूप और सहयोग बढ़ाने तथा अच्छे पड़ोसियों के-से सम्बन्ध विकसित करने की अपनी नीति के अनुसार, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव दिया कि तकनीकी स्तर की बातचीत की प्रगति पर विचार करने के लिए और तकनीकी स्तर की बातचीत को शीघ्रता से करने की प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिये सम्बद्ध मंत्रालयों के सचिवों के स्तर पर बैठक बुलाई जाए ।

तदनुसार, सचिवों की बैठक बुलाने पर सहमति हो गई है जिसमें सचिवों के साथ उनके अपने-अपने सलाहकार भी आएंगे, यह बैठक नई दिल्ली में 9 दिसम्बर, 1968 से बुलाई गई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : संसद में इसका समाचार आने से पूर्व समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ "गंगा-जल के बारे में दो कार्यक्रम—पाकिस्तान ने कहा है : "

"पाकिस्तान के उच्चायुक्त को आज दिये गये एक प्रेस नोट में भारत सरकार ने गंगा के जल के बारे में भारत--पाक सन्धि के लिये एक दो स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ।"

पाकिस्तान के साथ इस प्रकार की परस्पर सन्धि के बारे में की जाने वाली बातचीत का मैं स्वागत करता हूँ । परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इस असफल बातचीत के कारण ही इस परियोजना में विलम्ब हो रहा है ? क्या यह परियोजना इन बातचीतों के चलते हुए भी नियत समय पर पूरी हो जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : उस दिन सिंचाई और विद्युत मंत्री ने भी यह घोषणा की थी कि इन बातचीतों के कारण इन परियोजनाओं में विलम्ब नहीं होगा । वे निश्चित कार्यक्रम अनुसार चल रही हैं तथा नियत समय पर पूरी भी होंगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रेस नोट में प्रस्तुत किये गये सुझाव से पाकिस्तान सरकार सहमत हो गई है; यदि नहीं, तो इस मामले को तय करने हेतु भारत सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : पाकिस्तान उच्चायुक्त को कल ही वह नोट दिया गया है । हमारे सुझाव से उनके सहमत होने अथवा न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । हमने आगे होने वाली बातचीत के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण किया है ।

Shri Hardayal Devgun : I want to know from the hon. Minister why Pakistan is being included in talks on Farakka Barrage ? What is her **locus standi** ? Everybody knows that Farakka Barrage Project was taken in hand for protecting Calcutta Port and to make Hugaly worth navigation, even before Pakistan came into existence. Exchange of Murshidabad and Khulna, under Redcliff Award, was also executed for the sake of this project. As admitted by the World Bank Officers that this Barrage is a must for the sake of Calcutta Port, it is on this basis that Farakka Barrage is beingc onstruded. Now Pakistan wants to poke her nose into it. Our Govt. made an agreement with her in 1961 but the Govt. has forgotten that Pakistan attached India in 1965. Inspite of the fact that Pakistan has no claim at all, why she is being made a party in these affairs ?

Secondly, as the Govt. has invited Pakistan for talks, I want to know whether Govt. would give up this policy of appeusment and abolish this conference; and in view of such a serious situation try to complete this Barrage at the earliest possible.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether there is no pressure from the U.S.S.R. in this regard ?

Shri A. B. Vajpayee : There is a pressure both from Russia and America but it is a different matter.

Shri B. R. Bhagat : As regards appearing Pakistan, we have never done so and there is no question of any appeusment. As I said just now, Farakka Barrage is essential for Calcutta and whole of Bengal and it was already decided hundred years ago during British period. Pakistan is well aware of that..... ..

Shri A. B. Vajpayee : Why are you talking to them .....**(Interruptions)**

Shri B. R. Bhagat : You please don't get encouraged, it is a serious matter, you should take it patiently. Our national interests will not suffer, and as I said, the Farakka Barrage will be completed as scheduled. Pakistan raised this issue in 1961 saying that it would cause great harm to East Pakistan. At that time, the Prime Ministers of both the countries had talks and said that if that would be so, they would see to that. We do not want harm the reasonable interests of Pakistan. But it was a technical thing and talks were going on that very basis.

डा० रानेन सेन : अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि इस योजना को 100 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने बनाया था, परन्तु यह खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता के 20 वर्ष पश्चात् भी सौ वर्ष पूर्व तैयार की गई, इस योजना को भारत सरकार पूरा नहीं कर सकी । फिर भी, फरक्का बांध पर पाकिस्तान के विवाद के बारे में, पाकिस्तान सरकार द्वारा पहले यह दावा किया गया था कि गंगा-कपाताक्षी बांध हेतु उन्हें पानी की अमुक मात्रा (मुझे पूरी मात्रा याद नहीं) आवश्यकता है । बाद में उन्होंने यह मांग बढ़ा दी तथा गंगा बेसिन से, अपनी आवश्यकता से अधिक पानी मांगना आरम्भ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप फरक्का बेरेज निष्काम होकर रह जायेगा । यह अच्छा है कि बाद में की गई पाकिस्तान की मांग पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । क्या मैं जान सकता हूँ कि इस विवाद के दौरान फरक्का बांध सम्बन्धी कोई कार्य रोके रखा जायेगा या इसको और भी जल्दी पूरा करने हेतु कोई ठोस प्रयास किये जायेंगे, क्योंकि इसके लिये अन्तिम अवधि 1970 है तथा डा० कु० ल० राव ने उस दिन कहा था कि यह वर्ष 1969 तक पूरा किया जा सकता है—चाहे पाकिस्तान कितना ही विरोध करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विकास के लिये यह बड़ा अनिवार्य है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री ब० रा० भगत : मैं यह फिर दोहरा सकता हूँ कि इस परियोजना के बारे में कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा, इसका कार्य नियत कार्य-क्रमानुसार चलेगा तथा नियत समय पर पूरा होगा ।

श्री क० हाल्दर : फरक्का बांध के बारे में अन्तिम योजना बनाने से पूर्व देश के प्रसिद्ध इन्जीनियरों का मत था कि यदि उस बेरेज को पाकिस्तान के सहयोग के बिना बनाया गया

तो हमारे देश को बड़ी हानि होगी। उत्तर बंगाल की बाढ़ के बाद भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने यह भी कहा था कि निकट भविष्य में इस बेरेज का कलकत्ता नगर तथा 24-परगना जिले पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या मै जान सकता हूं कि सरकार इस परियोजना पर पुनः विचार करेगी ताकि इससे हमारे देश को बार-बार हानि नहीं पहुंचे ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि पाकिस्तान के सहयोग के बिना इससे हमारे देश को बड़ी हानि होगी। मैं नहीं जानता कि यह कैसे ? मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : दिनांक 19 मई, 1961 को राष्ट्रपति अयूबखां द्वारा पंडित नेहरू को लिखे पत्रों से स्पष्ट पाकिस्तान के इन इरादों को ध्यान में रखते हुए कि "अपनी ओर से, भारत सरकार द्वारा किये जा रहे अपनी सामान्य नदियों के स्रोतों का विकास में हम बाधा नहीं बनेंगे यदि हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि हमारे महत्वपूर्ण हितों के लिये आवश्यक जल की सप्लाई मिलती है," तथा क्योंकि इन महत्वपूर्ण हितों को पिछले छः वर्षों में कम से कम 14 बार दोहराया गया है, और क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ सामान्य सम्बन्धों की पुर्नस्थापना हेतु कोई कदम नहीं उठाया है तथा इस बारे में कोई सहयोगमय प्रयत्न नहीं दिखाया है; और क्योंकि वर्तमान बातचीत के बारे में स्वयं भारत सरकार ने पहल की है; तो क्या मैं जान सकती हूं कि वर्तमान बातचीत का आधार क्या होगा ? क्या इसका आधार दोनों देशों के महत्वपूर्ण हितों हेतु जल की मात्रा होगा अथवा दोनों देशों में नदियों के मध्य का अन्तर होगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 1961 में अपने पत्र में इस बेरेज के निर्माण के बारे में अपनी मान्यता दी थी। उस अवधि में जो बातचीत हुई थी, उसमें यह सुझाव दिया गया था कि तकनीकी आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए ताकि यह निश्चित किया जा सके कि यह परियोजना पाकिस्तान के हितों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। और यदि हां; तो किस सीमा तक। केवल तकनीकी समस्या पर ही विचार किया जा रहा है और किसी विषय पर नहीं।

Shri Deven Sen : Whether it is a fact that it was the condition when the Engineers of Pakistan came to see the Faraka Barrage. That our Engineers would also visit to Hydro-Electric Project of Pakistan in Rangpur. If so, whether our engineers visited there or not. If not, then who will be responsible for it ? The integrity of those officials, of India, who represent at the meetings of both the countries, should be examined. Sabotaging does not take place from the side of workers only, the officials of high level are also involved in it. Whether the news published in the papers, that India is going to make a new proposal, is correct or not. If so, then what that new proposal is ? This may be laid on the table of the House, so that we may not be befooled again.

Shri B. R. Bhagat : It was decided that the engineers of both the countries would pay a reciprocal visit. Already the engineers of Pakistan came here and the engineers of this country also went there. According to that agreement our engineers have seen the Project of Pakistan in the beginning of this month.

श्री समर गुह : मुझे दुःख है कि मंत्री महोदय ने गलत सूचना दी है, हमारे इंजीनियर अभी वहां नहीं गए हैं जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, ऐसा मालूम होता है कि मंत्री महोदय को उस स्थान के भूगोल के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए उन्होंने सभा को गलत सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को हरेक विषय का इतना ज्ञान है कि वे समझते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं आता।

Shri Deven Sen : No reply has been given about the proposal which will be submitted by India.

Shri Shiv Chandra Jha : It is good that the differences on the water of the Ganges should be settled between India and Pakistan. The discussion is going on and it is hoped that it will prove succesful. In this context I want to know from the Prime Minister that when the settlement of this dispute is going on, whether some other foreign country has suggested that both the countries should settle the dispute without delay. If so, then what reply they have given on this point; If not then why the reply was not given ? Taking into consideration the talks, which is going on, will the Prime Minister ask them not to write such things to India in future.

Shri B. R. Bhagat : The Prime Minister of Russia had written a letter in connection with the discussion and our Prime Minister has replied to it. In that letter Prime Minister of Russia and asked that Pakistan and India should settle the matter mutually.

Shri Kanwar Lal Gupta : They do not settle the dispute with Czechoslovakia and give advise to us. What reply the Prime Minister has given to them.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री जि० मो० बिस्वास : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रधान मंत्री ने उस पत्र का क्या जवाब दिया था ?

श्री समर गुह : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह पूर्वी बंगाल अथवा पूर्वी पाकिस्तान से सम्बन्ध रखता है। आपको कम से कम एक और अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज्ञा देनी चाहिए।

श्री पीलु मोदी : दांत के डाक्टर के भांति आपको मंत्रियों से उत्तर निकलवाने चाहिए।

श्री समर गुह : हमें अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न पूछने के लिए आज्ञा नहीं दी गयी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। मेरे विचार में प्रश्न संख्या 212 और 215 साथ-साथ लेना चाहिए क्योंकि यह उसी विषय से सम्बन्धित है।

राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता

+

*212. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० बरुआ :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री प्र० के० देव :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की विशेष समिति ने, जिसकी बैठक हाल ही में हुई थी, केन्द्र द्वारा राज्यों की योजनाओं के लिये सहायता दी जाने के बारे में अपनाई जाने वाली कसौटी के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की विशेष समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति ने सिफारिश की है कि चौथी योजना 1969–74 में राज्यों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित कसौटी के आधार पर वितरित की जाय :—

(1) केन्द्रीय सहायता के सारे पूल में से, पहले असम, जम्मू तथा कश्मीर तथा नागालैंड की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय ।

(2) केन्द्रीय सहायता का शेष, बाकी 14 राज्यों में निम्न प्रकार बांट दिया जाये :—

(i) साठ प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर ।

(ii) दस प्रतिशत प्रति-व्यक्ति राज्य आय के आधार पर—इस मापदण्ड के आधार पर सहायता केवल उन राज्यों को दी जाय जिनकी प्रति व्यक्ति राज्य आय राष्ट्रीय औसत से कम है ।

(iii) दस प्रतिशत राज्य आय के लिए, कर प्रयत्नों के आधार पर ।

(iv) दस प्रतिशत, पीछे से चली आ रही मुख्य चालू सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के आधार पर ।

(v) दस प्रतिशत, पृथक-पृथक राज्यों की विशिष्ट समस्याओं की पूर्ति के लिए ।

(ग) जी, हां ।

हिमाचल प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता

*215. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर कुछ राज्यों को सहायता दी गई है और जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर से कम हैं उनकी ओर सहायता के मामले में कुछ अधिक ध्यान दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश इनमें से किसी एक कसौटी के अधीन विशेष सहायता पाने का पात्र है; और

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश को और कितनी सहायता दी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यद्यपि यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय सहायता का अधिकांश भाग जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा, फिर भी इस राशि का दस प्रतिशत उन राज्यों को दिया जायेगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर से कम है और अन्य दस प्रतिशत विशेष समस्याओं वाले राज्यों को प्रदान की जाय।

(ख) और (ग). संघ शासित प्रदेश होने के कारण हिमाचल की योजना के लिए सारा धन केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करना है और इसका आवंटन अन्य सभी सम्बद्ध घटकों के आधार पर किया जाता है।

श्री नि० रं० लास्कर : पांचवें वित्त आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के प्राकशित होने के बाद यह पाया गया है कि अधिकांश राज्य इस प्रतिवेदन से सन्तुष्ट नहीं हैं। यह नितांत स्वाभाविक है, क्योंकि आयोग के प्रतिवेदन में दिए हुए सुझाव राज्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते और यह अनुरोध किया गया था कि आगामी वर्षों में होने वाली राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए कुछ विशेष धन दिया गया है। इसको देखते हुए क्या मैं सरकार से जान सकता हूँ कि वे इस बारे में क्या सोचती है और किस प्रकार वे राज्यों की मांगों को पूरा करेंगे।

श्री ब० रा० भगत : केवल मुख्य मंत्री और योजना आयोग के सदस्य इस समिति के सदस्य थे, केन्द्रीय सरकार का कोई भी सदस्य वहां नहीं था। उन्होंने प्रत्येक राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसको कि सरकार ने मान लिया है।

श्री नि०रं० लास्कर : केन्द्र का धन अलाट करने की जटिल प्रणाली है उसके अन्तर्गत यह नितान्त सम्भव हो सकता है कि अमीर राज्य और अधिक अमीर होते जाएंगे और गरीब राज्य और अधिक गरीब होते चले जाएंगे। जब तक केन्द्रीय सहायता इस आधार पर अलाट होती रही तो यह असंतुलन और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने राजस्व को बढ़ा नहीं सकते। इन परिस्थितियों में क्या सरकार इन गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता देगी जिनके पास राजस्व में अन्तर पूरा करने के लिए कोई संसाधन नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं, मैं नहीं समझता कि इस मापदण्ड द्वारा अमीर राज्य केन्द्रीय सहायता से और अमीर होते चले जाएंगे और राज्यों को कम मिलेगा यह नहीं हो सकता ।

श्री प्र० के० देव : केन्द्रीय सहायता द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करने के विचार का योजना के पिछले 15 वर्षों में भंडाभोड़ हो चुका है । क्योंकि पिछले वर्षों में सहायता, केन्द्रीय परियोजना की स्थापना और केन्द्रीय विनियोजन और सरकार की केन्द्रीकृत लाइसेंस नीति के कारण गैर-सरकारी पूंजी का आना-जाना किसी गुण-दोष पर आधारित नहीं है परन्तु यह विभिन्न दबाव और प्रभाव के कारण है । यह इस तथ्य पर आधारित है कि योजना के शुरु होने के 1951–52 में उड़ीसा राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत, जो 266 रुपये थी, की तुलना में 169.75 रुपये थी, अर्थात 100 रुपये का अन्तर था । यह अन्तर 15 वर्षों में और बढ़ गया जो 200 रुपयों से अधिक था । क्योंकि 1966 में राज्य का औसत राष्ट्रीय औसत के 481.50 रुपयों की तुलना में 278.80 रुपये था । क्या सरकार ने इन सब तथ्यों पर विचार किया है और आगे यह सोचा है कि पिछली बार कांग्रेस सरकार की मनमानी और खर्चीला व्यय तथा ओवरड्राफ्ट के परिणामस्वरूप राज्यों को केन्द्र को 138.82 करोड़ रुपये चुकाने का दायित्व निभाना है जो कि चतुर्थ योजना के लिए सब अतिरिक्त संसाधन पर ही व्यय हो जाएगा ? यदि हां, तो क्या उप-प्रधान मंत्री यह आश्वासन देंगे कि उड़ीसा के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया जाएगा और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारी अदायगी को माफ कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल सूचना प्राप्त करने के लिए है न कि आश्वासन प्राप्त करने के लिए, फिर भी अगर वे आश्वासन दे सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

श्री ब० रा० भगत : यह नीति है कि वे राज्य जो कि राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, उनको आगे लाया जाये और उस उद्देश्य के लिए विभिन्न उपाय, नीति-निर्देश यहां तक कि लाइसेंस देने का काम भी किया जाय ।

श्री वासुदेवन नायर : उनको बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने खुद ही इसको समझा दिया है, जैसा कांग्रेस सरकार का फिजूलखर्ची होना ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या वे इसको स्वीकार करते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : तथ्य भिन्न-भिन्न हैं । उड़ीसा प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्यों की सूची में नीचे से दूसरा था । तृतीय योजना के अन्त में उड़ीसा नीचे से पांचवे में पहुंच गया । इसने बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों को पीछे छोड़ दिया । जिसकी प्रति व्यक्ति आय पहले ऊंची थी । इन वर्षों में वृद्धि की दर दूसरे कई राज्यों से अधिक रही है । उनको इन सब तथ्यों पर विचार करके किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए ।

Shri Rabi Ray : You are telling a lie. It is all due to Rourkela.

Shri Atal Bihari Vajpayee: The Hon. Minister has stated that Assam, Jammu and Kashmir and Nagaland, will be considered specifically. I want to know what are the difficulties if Delhi is included in it. Delhi is a capital of India. The necessities are increasing. The Administration of Delhi has presented the surplus Budget. The taxes have been increased. The Administration is trying to save 60-70 crores of ruppees. I want to know whether the Centre will not give incentive to such States who move towards this direction ? Whether they will be punished for this more saving ?

Shri B. R. Bhagat : Delhi is a Union territory. The Budget of Delhi is prepared according to the needs of Delhi. As the honourable member knows that the Centre meet the revenue gap or planning gap of the Union territory. The Central Government meet the Gap between the resources raised and the plan requirements of the Delhi Administration.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Delhi Administration needs more any you are giving much less. Who will decided about the necessity ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : हरेक राज्य अधिक से अधिक मांग रहा है और दिल्ली कोई अपवाद नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है और भारत सरकार की राजधानी है । अतएव केन्द्र का इस शहर के प्रति विशेष दायित्व है और केन्द्र को अधिक व्यय करना चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : अन्य स्थानों की तुलना में दिल्ली में अधिक धन व्यय किया गया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is not so, Sir.

श्री मोरारजी देसाई : भवनों की ओर देखो ।

श्री बलराज मधोक : मंत्रीयों के भवनों को देखिये और साथ ही साथ अशोक होटल के रिवाल्विग टावर को भी देखिए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : whether the Parliament House be inculded in it ?

Shri Kanwar Lal Gupta : The water is not available. What the Delhi wallas will do with the buildings.

Shri Jagnnath Rao Joshi : The Deputy Prime Minister has accepted this in his own statement that it is impossible to have unanimity in this matter of assistance so the Centre should fulfil its responsibility. Taking this into consideration it has been decided have allocation on the basis accepted by the National Development Council. You have decided that per capita basis backwardness should be taken into consideration. Along with this, will you take into consideration the development Potential and then performances of that area while making allocation ? I am saying this because you remember that there had been discusion in this house and it was stated that Kerala did not utilize the money properly which was given her, and much objection was raised here. So the Centre will take into consideration the development potential and its performances while giving more money to States ?

Shri B. R. Bhagat : Probably the hon. Member did not listen to the reply. The impossible things became possible that all the Chief Ministers unanimously agreed and they made recommendation that the Centre should give financial assistance on this basis and the Centre had agreed to it. Therefore no other question arises in this direction.

Shri Prem Chand Verma : May I know the per capita income of the various States of India and the Union Territory of Himachal Pradesh and the position of Himachal Pradesh ? Is it a fact that the Central Government has not been extending requisite help to Himachal Pradesh ?

The hon. Minister just now said that the gap is made good by the Government. Kothari Commission had made certain recommendations about teachers. The school teachers of H. P. have been agitating for the last eight months but they have not been given the revised scales although thg teachers in Haryana and Punjab have been granted the scales of pay recommended by the Kothari Commission. When they can not give them money what is the use of stating here on paper and orally that they will make up the gap ? Is Central Government prepared to make good the gap in real practice so that Government of Himachal Pradesh may also be in a position to spend money on scale comparable to that of Goverpment of Punjab and Haryana ? Will Govenment provide the funds requested for the purpose by the State Government.

Shri B. R. Bhagat : The Central Statistical Organisation does not have the comparative figures of per capita income of not only Himachal Pradesh but also that of all the Union Territories. If he looks to the figures of per capita outlay, he will find that it is much higher in Himachal Pradesh as compared to other States. Of course, all the demands can not be met in a day since the resources, of Central Government are also limited. It is not proper to say that the requirements of Himachal Pradesh are not looked in to.

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न में 15 से 16 नाम हैं, यह मेरा प्रमुख कर्तव्य है कि प्रश्नों की सूचना देने वाले सदस्यों को बुलाऊं । कम से कम 50 सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा था कि आयोजन के बारे में सभा में चर्चा होनी चाहिए । वे सभा पटल पर रखे गये पत्र पर चर्चा चाहते थे । मैंने उनका अनुरोध प्रधान मन्त्री के सचिवालय को भेज दिया था और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इस पर थोड़े समय के लिये चर्चा होनी चाहिए ।

जब 50 सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मुझे यह कठिनाई होती है किस सदस्य को बुलाऊं और किसको नहीं बुलाऊं । अगले प्रश्न में 18 सदस्यों के नाम हैं, मैं किसी को कैसे छोड़ सकता हूं । यदि मैं एक सदस्य को बुलाता हूं, तो दूसरों को नहीं छोड़ सकता हूं । योजना के बारे में दृष्टिकोण पर चर्चा करना अधिक उपयोगी है । उस समय आप कुछ उपयोगी सुझाव दे सकते हैं ।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, will you not allow me to put the record supplementary ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न किसी अन्य सदस्य के प्रश्न के साथ यदि नहीं जोड़ा जाता, तो आपको अवसर नहीं मिलता ।

Shri Prem Chand Verma : When it is the issue of our State you allow us neither to raise half an our discussion nor to put a question ? Why do you ignore us so much ? I should be allowed to put a question. You allow the members from the opposition even five times but we are not allowed. I protest it.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जायें। आपका प्रश्न दूसरे प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया था। मैं दो वर्षों से इस प्रक्रिया को अपना रहा हूं। मैंने उनकी बारी को ध्यान में रखते हुए उनका प्रश्न भी साथ में ले लिया अन्यथा उनकी वारी नहीं आती। वे अपने आपको कुछ विरोधी सदस्यों की तरह बहुत महत्वपूर्ण सदस्य समझते हैं परन्तु मैं उन्हें यह बता दूं कि आप उनसे अच्छे नहीं है। आप भी उनकी तरह ही एक सदस्य हैं।

छिपे हुए नागाओं द्वारा सैनिक अधिकारियों का अपहरण

*213. **श्री के० कु० दास चौधरी :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री गु० च० नायक :
श्री एम० पी० राममूर्ति :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री वाल्मीकि चौधरी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री के० प्रभात :
श्री बलराज मधोक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री क० लकप्पा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री श्री० ना० देव :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री भोलानाथ मास्टर :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1968 में छिपे नागाओं ने भारतीय सुरक्षा सेना के तीन अधिकारियों का अपहरण कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों का अतापता क्या है और किन परिस्थितियों में उनका अपहरण किया गया था ; और

(ग) क्या विद्रोही नागाओं ने इस अपहरण की घटना से इन्कार किया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) 8 सितम्बर, 1968 को सेना का एक कप्तान और जूनियर कमीशन्ड अफसर कोहिमा के पूर्व में 32 किलोमीटर दूर रंगाजुमी क्षेत्र में बीच से लौटने वाले दलों की तलाश में गये थे जिन्होंने कार्रवाई स्थगित रखने से सम्बद्ध करार का उल्लंघन किया है। उनके उसी शाम को या अगले दिन सवेरे लौट आने की उम्मीद थी। जब वे नहीं लौटे तो यह शक हुआ कि उन लोगों को छिपे नागाओं ने रास्ते में न पकड़ लिया हो। तत्काल खोज करने के लिये पार्टियां भेजी गई। उन्हें छुड़ाने के लिए 12 सितम्बर, 1968 को उस शिविर को खोजने के लिए कार्यवाही शुरु की गई जहां उनके रखे जाने का विश्वास किया जाता था। एक बार गोली बारी के बाद छिपे नागा जंगल में पीछे हट गए और इस शिविर पर हमारी सुरक्षा सेनाओं ने कब्जा कर लिया आस पास का सारा इलाका छान डाला गया लेकिन लापता लोग नहीं

मिले। उसी समय शान्ति पर्यवेक्षक दल के पास भी पहुंच की गई। 15 अक्तूबर, 1968 को छिपे नागाओं ने इस घटना को अपनी तरह से शान्ति पर्यवेक्षक दल को बताया और कहा कि ये अधिकारी छिपे नागाओं के शिवर में देखे गये थे और उनसे रुक जाने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने रुकने की बात नहीं मानी तो उन पर गोली चला दी गई और वे मारे गए।

स्थानीय ग्रामीणों से सूचना मिलने पर पत्तों से ढके उनके शव हमारी सुरक्षा सेनाओं को 30 अक्तूबर, 1968 को मिले और 3 नवम्बर, 1968 को सैनिक सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार कर दिया गया।

श्री बे० कु० दास चौधरी : नागालैण्ड में जो कुछ हो रहा है यह उसका एक उदाहरण है। यह पहला अवसर नहीं है जब हमारे सुरक्षा दल के व्यक्ति, हमारे राष्ट्रजन तथा चिकित्सा अधिकारी छिपे नागा विद्रोहियों द्वारा अपहृत किये गये हैं तथा मारे गये हैं। हमने हाल में "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक यह समाचार भी पढ़ा है कि संघ सरकार के अधीन नागालैंड क्षेत्र में 11 नवम्बर को चुम्बेमो मेरी भी अध्यक्षता में आपात की स्थिति घोषित की गई है तथा सेना को बुला कर सतर्क कर दिया गया है। इस समय ऐसी स्थिति है। अत: क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि हमारे राष्ट्रजन कब तक छिपे नागा विद्रोहियों के हाथ में कुर्बान किये जायेंगे ? क्या सरकार सेना अथवा पुलिस को नागालैंड क्षेत्र में कड़ी कार्यवाही करने की हिदायतें देने के लिये तैयार है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जब कभी करार का उल्लंघन किया जाता है हमारे सुरक्षा दल सदा आवश्यक कार्यवाही करते हैं। राज्य के प्रशासन को भी सुदृढ़ कर दिया गया है। राज्य सरकार जहां तक सम्भव हो अच्छे से अच्छा प्रशासन चलाने का प्रयत्न करती है।

श्री बे० कु० दास चौधरी : चाहे इसे गोली बन्द करार कहा जाता है परन्तु वास्तव में यह युद्ध विराम करार है। इस बात को देखते हुए कि छिपे नागा विद्रोही पहले ही संघीय सरकार बना चुके हैं तथा वह सरकार वहां पर बहुत देर से काम कर रही है, उस सरकार के साथ युद्ध-विराम करार जारी रखने से क्या हमारी सरकार दूसरी सरकार के दर्जे को ऐसे स्वीकार कर रही जैसे यह करार करने वाली दो पार्टियों के बीच करार हो ? कौन जानता है कि निकट भविष्य में यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला जाये तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन जाये। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी तथा विद्रोही संघीय सरकार के साथ गोली बन्द के बारे में और करार नहीं करेंगी ? उन्होने जो गलतियां की हैं उन्हें अब ठीक करने दिया जाये तथा इस मामले में सरकार को नये सिरे से काम करने चाहिये।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह युद्ध विराम करार नहीं है। इसका सही नाम है। संघर्ष रोकने सम्बन्धी करार। हम नागालैण्ड की तथाकथित संघीय सरकार को मान्यता नहीं देते जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारी केवल एक सरकार है, नागालैंड की कानून के अनुसार बनाई गई सरकार।

Shri Kanwar Lal Gupta : The agreement is with whom ?

श्री सुरेंद्रपाल सिंह : वह करार नागा लोगों और भारत सरकार के बीच हुआ था ताकि नागालैण्ड में शान्ति स्थापित की जा सके, ताकि सारी समस्या का शान्तिपूर्वक निपटारा किया जा सके ताकि बल अथवा शस्त्रों के माध्यम से ।

श्री दे० प्रभात : क्या छिपे नागाओं उग्रवर्ती तत्व, जो अब सारी कार्यवाही कर रहे हैं, विशेषकर जनरल कैटो की हत्या के बाद, वे अपहरण तथा युद्ध विराम करार के उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि होने के लिये जिम्मेदार हैं ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : नागालैंड में अब गतिविधियां बढ़ रही है तथा राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार उन पर निगाह रख रही है ।

श्री बलराज मधोक : नागा विद्रोहियों द्वारा सेना के इन तीन अधिकारियों की नृशंस हत्या से लोगों के स्वभाव का स्पष्ट पता चलता है । वियतनाम में लड़ाई हो जाने से ऐसा लगता है कि साम्यवादी चीन अब नागा विद्रोहियों की सहायता, से जिनमें से हजारों को चीन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, युद्ध आरम्भ करने की योजना बना रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह बात स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार उस नीति को अपनाना चाहती है जो यह गत बीस वर्षों में नागा विद्रोहियो के प्रति अपनाती रही है, जिसका परिणाम यह रहा है कि दो लाख या तीन लाख विद्रोही नैद्य सरकार के तीन लाख लोगों के साथ जो अब भी उनके सहयोग से काम कर रहे है, सारे देश और सारी सरकार को चुनौती दे रहे हैं । क्या यह नीति जारी रहेगी अथवा उस नीति में मूल परिवर्तन कर दिया जायेगा तथा उनके प्रति अब कड़ा रवैया अपनाया जायेगा । तथा उन के साथ अब इस प्रकार की बातचीत सदा के लिये बन्द कर दी ज येगी तथा उनके साथ आगे युद्ध विराम नहीं होगा ? दूसरी बात यह है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय देश के भीतरी राज्य के मामले के बारे में काम कर रहा है जो ठीक नहीं है । इसमे देश का अपमान होता है । वे स्वयं विश्व के चारों ओर ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं, तथा ऐसी धारणा उत्पन्न कर रहे हैं कि नागालैण्ड देश का भाग नहीं है । क्या सरकार अब यह भी निर्णय करेंगी कि नागालैण्ड का मामला गृह मंत्रालय के अधीन हो ताकि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के तथा हमारी प्रधान मंत्री नागा विद्रोहियों के प्रति अपने पिता की तरह उदार नहीं होगी जिसका परिणाम हम आज देख रहे है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही है, नागालैण्ड राज्य सरकार को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से सम्बन्ध रखना पड़ता है । जहां तक इस विषय को गृह मन्त्रालय को सौपने का सम्बन्ध है यह उसके लिये उचित समय नहीं है । इस बारे में बाद में विचार किया जा सकता है ।

श्री बलराज मधोक : उचित समय कौनसा होता है । काश्मीर के प्रश्न के बारे में वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय ने काम किया था तथा अब स्थिति ऐसी हो गई है । अब नागालैण्ड

की बात है। वह विषय में गृह मन्त्रालय को तब सौंपा जायेगा जब सारी चीज हो जायेगी।

श्री हेम बरुआ : पिछली बार जब इस प्रश्न को सभा में उठाया गया था तो यह बताया गया था कि नागाओं को हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरु पर बहुत विश्वास है। अतः वह चाहते हैं कि यह विषय वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के पास रहे, क्योंकि वह उस समय उस मन्त्रालय के प्रधान थे। तब दूसरी बार, श्री शास्त्री के समय में हमें यह बताया गया था कि इस विषय को गृह मन्त्रालय को सौंपा जायेगा। इसके बावजूद भी यह विषय वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधीन है।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : नागालैण्ड की संवैधानिक तौर पर बनाई गई सरकार को सुदृढ़ करना हमारी नीति है। जब संसद के पिछले अधिवेशन में मेरे से यह प्रश्न पूछा गया तो मैंने कहा था कि हम उनके साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। वे नहीं समझते कि यदि इस अवस्था में कोई परिवर्तन किया जाये तो उनको सहायता मिलेगी।

श्री बलराज मधोक : इस बारे में कौन निर्णय करेगा कि यह विषय वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के पास रहे या गृह-कार्य मन्त्रालय के पास इस बारे में निर्णय करना केन्द्रीय सरकार का काम है ताकि नागालैण्ड के लोगों का क्योंकि यह कोई अन्य देश नहीं है, यह भारत का एक भाग है।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : किसी कारण उनके साथ करार किया गया था। यदि यह करार न किया गया होता तो स्थिति कुछ और ही होती। अतः यह निर्णय करना सरकार का काम है कि यह समय परिवर्तन करने के लिये उचित है अथवा नहीं। ऐसी बात नहीं है कि जो वे कह देते हैं हम वही कर लेते है। परन्तु हमें उनके विचारों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन सभी पहलुओं को देखते हुए हमने यह निर्णय किया है कि यह उचित समय नहीं है।

श्री बलराज मधोक : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या मूल नीति में कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को स्थिति का पता है क्योंकि उन्होंने भी उस बैठक में भाग लिया था जो हमने विरोधी सदस्यों के साथ की थी। हमारी नीति स्थिर है। चाहे हम नहीं कह सकते कि स्थिति सभी पहलुओं को देखते हुए संतोषजनक है, परन्तु कई पहलुओं से यह सुधरी है। राज्य सरकार के हाथ मजबूत कर दिये गये हैं। जैसे मैं कई बार पहले कह चुकी हूं, हम सभा में यह घोषणा नहीं कर सकते कि पुलिस अथवा सेना वास्तव में क्या कर रही है। यह कहना सम्भव नहीं हैं।

श्री गु० च० नायक : क्या चीन में प्रशिक्षण लेने वाले अनेक नागा लोग भारत-बर्मा सीमा पार करके हाल में पुनः नागालैण्ड आ गये थे तथा वे तोड़-फोड़ की गतिविधियों को

बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने साथ शस्त्रास्त्र लाये थे, तथा क्या इससे नागा समस्या का शान्ति-पूर्ण ढंग से निपटारा करने में बाधा पड़ने की सम्भावना है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें इस बात का पता है कि चीन में प्रशिक्षण पाने वाले छिपे नागाओं का एक दल हमारी सीमा के दूसरी ओर बर्मा में है तथा वह नागालैण्ड में आने का प्रयत्न कर रहा है परन्तु हमारे सुरक्षा दल सचेत हैं तथा हम उनको आने से रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : Whether Government are aware that Naga rebels are getting strengthened under these negotiations They get training from China and are getting ammunition also and are also killing our officers ? They are under thsi impression that Government will accede to our demands on account of our fissiferous tendencies. May I know whether Government will make this declaration that they will not accede to the request of Independent Nagaland and can reach a settlement only according to the provisions laid on in the Constitution.

Shrimati Indira Gandhi : This declaration has already been made.

Shri Shiv Kumar Shastri : The efforts made by Government in Nagaland to create peace have proved a failure and the proof of it is that the rebels of Nagaland come here and declare that if negotiations are not done with them then they will get arms from other countries and will fight against you. In case Government feels that their efforts have proved a failure then may I know whether any change in policy will be made in future ?

Shai Surendra Pal Singh : The hon. Prime Minister had said just now that all the problems of that place have not been solved. There are still many difficulties but we feel that our present policy has been a success.

श्रीमती ज्योत्सना चदा : प्रधान मंत्री ने अभी बताया है कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में निर्णय करेगी कि गृह मंत्रालय को यह काम कब सौंपेंगी। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि यह काम गृह मंत्रालय को सौंपने का समय है। समा की भी यही मांग है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इस प्रश्न का अभी उत्तर दे चुकी हूं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार द्वारा सेना को मजबूत करने के लिये किये गये कार्यों के बावजूद लोगों का अपहरण और हत्यायें हो रही है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह युद्ध न करने के बारे में किये गये करार का घोर उल्लंघन नहीं है। यदि है, तो सरकार इन मुट्ठीभर विद्रोही नागाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं करती जो न केवल कानून और व्यवस्था को तोड़ने बल्कि हमारे संविधान का उपहास उड़ाने के लिये उत्तरदायी है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह उनसे हुए करार का उल्लंघन है तथा हमारे सुरक्षा दलों ने अवश्य कार्यवाही की थी। उन्होंने शिविर पर आक्रमण किया तथा उसके एक भाग को नष्ट कर दिया। आपस में कुछ मुठभेड़ हुई तथा दोनों ओर से गोली चलाये जाने के कुछ ही देर बाद नागा भाग गये।

Shri Bhola Nath Master : It was published in the newspapers recently that some Nagas had come over here and they had said that if the Prime Minister is prepared to have a talk with them then it is all right otherwise we would go back and during negotiations we will say that it is immaterial whether we stay in India or not ? May I know what is the reaction of Government in this regard ? Secondly, I would like to know whether the officers who were killed they had gone for hunting or they were on leave or on duty ? My third point is that pro-Kairo people had gained a majority on their return and now they have become friendly with India. They have now gained power and want to be in good terms with India. All these three questions may please be replied to ?

Shri Surendra Pal Singh : As regards the second question that has been told in the answer that they had gone on duty there. Unfortunately they died for which we are very sorry,

The hon. Member had also said that different Nagas are quarrelling and other development are also going on. In this connection I have also said that many such things are g ing on for which we cannot say anything at present. We are watching what will be the outcome of it ?

As regards, the first question it is true that the delegation that came over here wanted to see only the Prime Minister and none else but the inability of the Prime Minister to see them was explained to them by our Ministry.

आयुध कारखानों में प्रबन्धात्मक परिवर्तन

+

*214. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिरक्षा संबंधी सामान के उत्पादन कार्य को सुव्यवस्थित तथा मजबूत करने के लिये देश के 24 आयुध कारखानों तथा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न विभागों में प्रबन्धात्मक ढांचे में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है;

(ख) इसकी मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी, हां । हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा आयुध कारखानों के महानिदेशालय के मुख्यालय में प्रबन्धात्मक ढांचे में कुछ परिवर्तन करने का विचार है । इस समय देश में 27 आयुध कारखाने है, नाकि 24 ।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रस्तावों की मुख्य बातें हैं पूर्णकाल के लिये अध्यक्ष की नियुक्ति, वर्तमान संगठन को तीन डिवीजनों अर्थात बंगलोर डिवीजन, मिग कोम्पलैक्स तथा कानपुर डिवीजन में बांटना तथा इन डिवीजनों के मुखियों को अधिक अधिकार देना।

आयुध कारखानों के महानिदेशालय के मुख्यालयों में परिवर्तन करने की मुख्य बातें कार्य के आधार पर पुनर्गठन हैं। ऐसे कारखानें जिसका सम्बन्ध कपड़े चमड़े, की चीजों, केबलों पैराशूटों तथा अन्य उपकरणों से हैं उन्हें पहले ही आयुध कारखानों के एक अतिरिक्त महानिदेशक के नियंत्रण में आयुद्ध उपकरण कारखाना दल में मिला दिया गया है। शेष कारखानों के चार हिस्सों में बाटने का विचार है अर्थात (1) प्राइमरी मैटल उत्पादक (2) रसायन और विस्फोटक (3) इंजीनियरिंग तथा विविध और (4) छोटे शस्त्र, इन्स्ट्रमैंट्स एण्ड साइट्स। ऐसा प्रत्येक विभाग एक ऐसे निदेशक के अधीन रहेगा जिसे अपने विभाग के कारखानों तथा मंत्रालय के साथ सम्बन्ध बनाने का अधिकार होगा। अतिरिक्त महानिदेशक तथा इन निदेशकों के अलावा आयुध कारखानों के महानिदेशक के पास मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होगा जिसका वेतनमान आयुध कारखानों के अतिरिक्त महानिदेशक के बराबर होगा और जो दूसरे कमान पर काम करेगा। तथापि ये कारखाने आयुध कारखाना संगठन के भाग के रूप में काम करते रहेंगे जिनपर सर्वोच्च अधिकार आयुध कारखानों के महानिदेशक का होगा।

(ग) हिन्दुस्तान एटोनाटिक्स लिमिटेड की योजना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है परन्तु शेष कुछ आंकड़े अभी तैयार किये जा रहे हैं। आयुध कारखानों के महानिदेशक के प्रस्ताव पर अभी सरकार विचार कर रही है।

Shri Yajna Datt Sharma : I want to know whether the same policy of decentralisation in regard to the production of arms and ammunitions also will be adopted as has been done in regard to the maintenance of services in these ordnance factseiro ? For example, there are no auxiliery industries for the factories producing leather saddles for the horses as also other articles. so, whether such industries will be established there and such a policy of decentralisation will be adhered to so that there is less expenditure in Govt. factories, the co-operation of other civil industries are enlisted; private resources are also utilised and those are helped too ? Would the Govt. have such a policy ?

Shri L. N. Mishra : There is no such a policy of decentralisation. What we are doing is that such factories have been divided, on functional basis, into four parts as there is a great burden of work on the Director General in Calcutta. Other than that, there is no policy of any decentralisation.

Shri Yajna Datt Sharma : The information as to what arms and amnunitions are being manufactured in there of our factories has reached our enemies in foreign countries, I want to know whether there are some arrangements for screening workers there so that our secrets might not reach our enemies ?

Shri L. N. Mishra : There is a procedure laid down for screening but it is not true to say that our secrets are reaching our enemies out-side.

Shri Ranjit Singh : According to the paper laid on the Table of the House, some changes are being made in that procedure, but I find that a big portion of work relating to designing is lagged behind and is going on very slowly; for example, we are unable to manufacture the spare parts of the arms which we are having because we do have procedures but not the designers. If there is a map, even a petty mason can also build a house but without a map even a good workmen cannot do it. I, therefore, want to know whether the Govt. have considered about establishing a separate cell for designig in the new scheme ?

Shri L. N. Mishra : It is true that our Designing Department is not of a high standard but it will not be correct to say that our research design and development cell is very weak It has done a lot of designing and has implemented it.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : केवल हमारी सुरक्षा तैयारियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है । मैं जानना चाहूंगी कि सुरक्षा उत्पादन की समुचित वृद्धि को रोकने वाली इन तीन दिक्कतों को दूर करने में सरकार की कठिनाई क्या है ? प्रथम तो तकनीकी कर्मचारियों को अपनी जानकारी तकनीक तथा अनुभव का उपयोग करने के लिये समुचित सुविधायें प्राप्त नहीं हैं; दूसरे वहां व्याप्त नौकरशाही नियंत्रण की नीति; तथा तीसरे, इस नौकरशाही नियंत्रण के कारण, उत्पादन और श्रमिकों सम्बन्धी नीतियों के बारे में प्रबन्ध प्राधिकरण का अवरदन होता है । आपने अपने वक्तव्य में यह क्यों नहीं बताया है कि सरकार का कौन सी नई नीति निर्धारित करने का विचार है । इन तीन मुख्य त्रुटियों को दूर करने में सरकार को क्या कठिनाई अनुभव होती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुख्य समस्या इस समय यह है कि आयुध कारखानों के महानिदेशक के पास 27 कारखानों की देखभाल के काम का बड़ा भार था । हम विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं । हम उन्हें कार्य प्रणाली के आधार पर चार भागों में विभाजित कर रहे हैं । उनके अधीन चार निदेशक होंगे । उन निदेशकों का कारखानों पर सीधा नियंत्रण होगा तथा वे सीधे ही सरकार से भी बातचीत कर सकेंगे । इस समय, संयंत्र स्तर पर महानिदेशकों को कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं है । पुर्नस्थापना से उन्हें संयंत्र पर भी अधिकार मिलेंगे तथा कार्य-कुशलता बढ़ेगी । जहां तक अधिकारों के दिये जाने का प्रश्न है, जैसाकि माननीय सदस्या ने कहें है, वहां नौकरशाही-नियंत्रण का कुछ तत्व विद्यमान है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैंने तीन बातें कहीं थी, उपलब्ध तकनीकी जानकारी का उपयोग उत्पादन और श्रमिकों के सम्बन्ध में प्रबन्ध-प्राधिकरण, तथा नौकरशाही-नियंत्रण में कमी । उन्होंने उत्तर नहीं दिया है .. (व्यवधान) । वह कम से कम इस बारे में सोचें तो ।

श्री स० मो० बनर्जी : यद्यपि मैं आयुध कारखानों के महानिदेशालय के विकेन्द्रीकरण का स्वागत करता हूँ, तथापि मैं जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही के परिवर्तनों अथवा होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से क्या सरकार अथवा प्रतिरक्षा मंत्री, रेलवे बोर्ड जैसे अधिक अधिकार रखने वाले एक रक्षा उत्पादन बोर्ड की स्थापना के बारे में विचार करेंगे जिससे कि रक्षा-

उत्पादन हेतु एक अच्छा वातावरण बन जायेगा तथा हम अधिक उत्पादन कर सकेंगे ? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी नहीं ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Taking over Small and medium language Newspapers in Gujarat by Indian Express Group of Newspapers,

2. **Shri S M. Joshi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State :

(a) Whether Government have received information to the effect that the 'Indian Express Group of Newspapers' propose to take over the small and medium newspapers of the Indian languages of Gujarat ;

(b) if so, the names of the said newspapers ;

(c) Whe her it is a fact that this would re ult in an increasing threat of monopolisation of the newspaper industry in Gujarat and it would hinder the impartial and independent publication of news ;

(d) Whether it is also a fact that the policy of Government is to abolish such type of monopolisation in the newspaper industry ; and

(e) if so, the steps proposed to be taken by Government to check this tendency towards monopolisation in the field of newspaper industry ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) (क) और (ख) : जा, हां । सरकार को एक प्रस्ताव मिला है कि समाचारपत्रों के इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का विचार गुजरात के समाचार पत्रों के जनसत्ता ग्रुप और लोकसत्ता ग्रुप का स्वामित्व लेने का है, बशर्ते कि समाचारपत्रों को अखबारी कागज़ का आवंटन जारी रहे ।

(ग) ऐसा हो सकता हैं ।

(घ) सरकार, समाचारपत्र उद्योग में स्वामित्व के सकेंद्रण, जिससे विचार और राय का नियंत्रण हो सकता है, के खतरे से पूरी तरह सचेत हैं और इस प्रकार की प्रवृत्तियों को जहां तक रोका जा सकता है, रोकने के लिए उत्सुक हैं ।

(ङ) समाचारपत्र समूह को अखबारी कागज़ के आवंटन और उन्हें सरकारी विज्ञापन देने पर वर्तमान पाबन्दियों के अतिरिक्त, सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाए रखने और जनतंत्र के हित में यह विचार कर रही है कि क्या उच्च पत्रकारिता स्तर वाले समाचार पत्रों को वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सहायता देने के उपाए खोजे जा सकते है ।

Shri S. M Joshi : In view of the increasing tendency to take over newspapers in Gujarat, will the hon, Minister be pleased to State the steps being taken by the Govt.

to check the tendency of a capitalist or a group of capitalists to establish monopoly in the newspaper industry, and whether they have consulted the Press Council in this connection because under Section 12 of the Press Council Act, this is also one of the subjects allotted to the Press Council ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : Press Council is examining this issue.

Shri S. M. Joshi : Just as we have passed a legislation for the formation of a corporation for sick factories with a view to checking unemployment and reduction in production, similarly would the Govt. form a financial Corporation with a view to restarting the newspapers closed due to mismanagement and other unavoidable difficulties; and as indicated by the Press Council, would the Govt. consider about making any arrangements for the development of newspapers on a Trust basis as it will protect the independent working of the newspapers ?

श्री के० के० शाह : यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है ।

Shri A. B. Vajpayee : Is it a fact that the owners of the newspapers which are closing down and whom Shri Goinca is trying to take over, have requested the Central Govt, to come to their rescue, and whether the Govt. are considering to help them ? It has to be ensured that the freedom of the newspapers is maintained, what effective steps are the Govt. taking to protect the small newspapers getting closed down due to financial difficulty or gellingt aken over by big monopolists ?

Shri K. K. Shah : We are examining it.

Shri Rabi Ray : Does the hon. Minister agree with Shri Vajpayee as he is saying that they would examine it ?

Shri A. B. Vajpayee : My question was whether the hon. Minister will say 'yes' or 'no' to the closing newspapers if he is approached by them for help ?

Shri K. K. Shah :The newspapers have sought our help. They have written that they should be given either permission or help ; and it is evident that if we do not give help, there papers will be closed down ; and that is why we are examining this issue.

श्री मनुभाई पटेल : मेरा विचार है कि सरकार की नीति भाषा के समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन देने के है, यह विशिष्ट प्रश्न भारत भर के सभी भाषा-समाचार पत्रों के बारे में एक सामान्य प्रश्न है । यदि सरकार इन समाचार पत्रों की सहायता नहीं करती हैं तथा यदि इस प्रकार का आदान-प्रदान भी नहीं होने देती है तो इसका केवल यही एक रास्ता हैं कि ये समाचार पत्र समाप्त हो जायें । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे समाचार-पत्रों को बन्द होने देगी तथा हजारों समाचार–पत्र कर्मचारियों को बेरोजगार होने देना चाहेगी ? क्या सरकार इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव करेगी ताकि ये भाषा–पत्र बच जायें ? मेरा अगला प्रश्न यह है....।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने पहले ही प्रश्न तक सीमित रहें ।

श्री मनुभाई पटेल : आप मुझे दूसरा अवसर नहीं देंगे । मैं इन दोनों प्रश्नों को एक साथ पूछूंगा । बात केवल इतनी हैं । इस आदान–प्रदान में संकोच की कोई बात नहीं है तथा

कागज़ का कोटा उस आसामी के नाम में परिवर्तित कर दिया जाये जो उस पत्र का स्वामित्व लेना चाहती है। क्या सरकार इसकी अनुमति देगी ?

श्री के० के० शाह : यही प्रश्न विचाराधीन है तथा समाचार पत्रों में एकाधिकार को रोकने के उद्देश्य से, तथा भाषा-पत्रों के लगातार चलते रहने के लिये एक निर्णय लिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को देखते हुए कि समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार बढ़ता जा रहा है जो कि एक जगह सत्ता आजाने से, प्रजातंत्र के मार्ग में बाधा बनता है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने समाचार-पत्रों पर सामाजिक नियंत्रण का प्रस्ताव क्यों नहीं किया जैसाकि उसने बैंकों के बारे में सामाजिक नियंत्रण किया है?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमें बताया गया है कि सरकार एकाधिकार को समाप्त करने की बड़ी इच्छुक है तथा वह इस हेतु प्रयत्न भी कर रही है। परन्तु फिर भी ये बातें हो रही हैं। अब क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कभी गुजरात सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है तथा क्या गुजरात सरकार ने इस मंत्रालय से बात-चीत की है कि गोइन्का तथा एक्सप्रेस समाचार-पत्र समूह को इस समाचार-पत्र का स्वामित्व प्राप्त करने हेतु सहायता दी जाये क्योंकि यही उत्तम होगा ? यदि हां, तो सरकार ऐसी अनभिज्ञता क्यों प्रदर्शित कर रही है ? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि इस देश की राजधानी में क्या हो रहा है ? क्या यह सच है ?

श्री के० के० शाह : देश भर में क्या हो रहा है कम से कम माननीया सदस्या तो यह कहेंगी कि हमने सब ओर सम्पर्क स्थापित कर रखा है। गुजरात सरकार चाहती है कि पत्र चलता रहे, परन्तु किस प्रकार, यह काम केन्द्र सरकार का है ? गुजरात सरकार को इसकी चिन्ता नहीं कि इस पत्र का स्वामित्व प्राप्त किया जाये अथवा इसे सहायता दी जाये ....

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या कभी गुजरात सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि वह इन छोटे छोटे समाचार पत्रों को एक्सप्रेस समाचार पत्र-समूह को सौंप दे ?

श्री के० के० शाह : हमें गुजरात सरकार से यह प्रतिवेदन मिला है कि या तो अनुमति दी जाये अथवा कुछ सहायता दी जाये .....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रेस आयोग ने वर्ष 1954 में समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार को सूचना दी थी। केवल कुछ वर्ष पूर्व ही छोटे समाचार-पत्रों की जांच समिति ने जिसके अध्यक्ष श्री दिवाकर थे, और मैं भी उस समिति का सदस्य था इस बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर सरकार इस बारे में क्यों चिन्ता कर रही है, तथा जब एकाधिकार वाले तत्व हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे हैं, सरकार तब भी सहायता देने की कोई योजना बनाने को तैयार नहीं है? वर्ष 1954 से अनिर्णित इस मामले पर सरकार अभी तक केवल विचार ही क्यों कर रही है ?

श्री के० के० शाह : मेरे माननीय मित्र इस तथ्य से अवगत है कि प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 12 के एक खंड में ऐसी वृत्तियों पर विचार करना प्रेस परिषद् का काम है। प्रेस परिषद् स्थिति से अवगत है। उत्तम यह होगा कि हम परिषद् के निर्णय की प्रतीक्षा करें। इसीलिये हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

श्री शिवाजी राव देशमुख : क्या सरकार को ज्ञात है कि गुजरात में **जन-सत्ता और लोक-सत्ता** समाचार पत्र समूह पर भारी ऋण था तथा उस ऋण का भुगतान एक्स्प्रेस समाचार-पत्र समूह द्वारा पहले ही किया जाना था; और उन्होंने तो भारत सरकार को बहुत बाद में बताया है जिसका अर्थ यह होगा कि इन छोटे समाचार पत्रों के स्वामित्व को **इन्डियन एक्स्प्रेस** समाचार पत्र समूह के हाथों सौंपने में हम सहायता कर रहे हैं, क्योंकि इनका स्वामित्व लेने के बारे में तो बस औपचारिक कार्यवाही ही शेष रह गई है? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार छोटे समाचार पत्रों को सहायता देने का केवल नारा ही लगाती रहती है, और वह एक्स्प्रेस समूह द्वारा इन पत्रों का स्वामित्व लिये जाने के तथ्य को साफ साफ स्वीकार करती है?

श्री के० के शाह : यथेष्ट आदर सहित मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है। तीन चार वर्ष पूर्व दोनों ही पत्र-समूह सुचारु रूप से कार्य कर रहे थे। स्वामित्व लेने की बात तो केवल पिछले सप्ताह ही उठी है तथा वह भी भारत सरकार की अनुमति देने के बाद हो सकता है। अतः माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं है।

श्री पीलू मोदी : हमें सदा ही इस एकाधिकार तथा एकाधिकार-नियंत्रण की बातें सुनने को मिलती हैं वास्तविकता यह है कि यदि सरकार उन पत्रों को कभी कोई सहायत देती तो यह स्पष्ट ही है कि वह न केवल उन पत्रों पर नियंत्रण ही रखती बल्कि उनकी नीतियों का निर्माण भी सरकार की परामर्श से होता, और इससे प्रेस की स्वतंत्रता भंग होती।

यदि **इन्डियन एक्स्प्रेस** समाचार-पत्र समूह ने कोई प्रस्ताव किया है और यह दोनों पत्र-समूहों के लिये परस्पर हितकर है, तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि इस आदान-प्रदान में सरकार कोई हस्तक्षेप करे, क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से सभा को यह आश्वासन देंगे कि सरकार इस प्रकार सहायता देने के नाम पर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगी?

श्री के० के० शाह : मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि यदि सरकार की सहायता अपेक्षित नहीं है तो किसी एक पक्ष विशेष की सहायता भी अपेक्षित नहीं होगी। इस आधार पर मैंने अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दी है।

श्री पीलू मोदी : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय प्रेस की स्वतंत्रता सम्बन्धी आधार भूत बातें नही समझे हैं क्योंकि वह कहते हैं कि गैर सरकारी सहायता की अपेक्षा सरकारी सहायता अधिक बुरी नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत दलील को मानना बड़ा कठिन है। वह कहते हैं कि मामला विचाराधीन है। वह खूब जानते हैं कि सरकारी सहायता बिना

किसी समाचार-पत्र का जीवित रहना सम्भव नहीं है, चाहे वह सहायता धन के रूप में हो अथवा विज्ञापनों के रूप में। क्या मंत्री महोदय यह मानने को तैयार हैं कि सरकार ने कोई अन्य योजना नहीं बनाई है ? यदि हां, तो भाषा-पत्रों की रक्षा के लिये. सरकार को इन्डियन एक्सप्रेस पत्र-समूह को ऐसा करने की अनुमति देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको टाला नहीं जा सकता और उनको कोटा देना पड़ेगा।

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने कहा है, सारे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है तथा प्रजातांत्रिक संस्थानों के हित में निर्णय लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ऐसा मालूम होता है कि ये अखबार ऋणी थे और एक्सप्रेस समूह ने उनके ऋण को चुकाया है, तभी वे उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये अखबार जब संकटग्रस्त थे तब वे गुजरात सरकार के पास गये थे और गुजरात सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की थी, अथवा क्या ये अखबार संकट का सामना करने के लिए वित्तिय सहायता मांगने एक्सप्रेस समूह के पास जाने से पूर्व भारत सरकार के पास गए थे ?

श्री पीलु मोदी : इस पर सरकार ने हस्तक्षेप किया है।

श्री के० के० शाह : हो सकता है कि वे पहले गुजरात सरकार के पास गए हों, परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या हुआ ?

श्री पीलु मोदी : यह आदमी भविष्य की ओर देखता है।

श्री के० के० शाह : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, गुजरात सरकार से तीन या चार दिन पहले एक संदेश मिला था जिसमें मुझे स्थिति से अवगत कराया गया। इसमें पूछा गया था कि क्या किसी तरह से भी इन अखबारों को जारी रखा जाये अथवा उनको किसी के सुपूर्द होने दिया जाये अथवा उन्हें कुछ सहायता दी जाये।

Shri Manibhai J. Patel: Many democratic countries have uniform policy of newspapers for the whole of the country. Whether the Government have idea to evolve such a policy so that the papers give up minor policy quarrels, transactions of money and adopt a uniform policy for the whole country ? Such things are prevalent in many countries.

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने कहा है कि प्रेस परिषद् इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। इसी बीच यह स्थिति उत्पन्न हुई और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether these newspapers are taken over by the Government on by Shri Goenka both things are against democracy. Since Shri Goenka is a stooge of Congress. I have heard that he has given to the faction of Prime Minister a sum of Rs. 8 lakhs for the U. P.s elections. So I am afraid that the Government may not give him permission to take it over. Whether the Government give money to the journalists and the workers who are working there and ask them to run these newspapers?

श्री के० के० शाह : मैं जोरदार शब्दों में इस आरोप का प्रतिरोध करता हूं,

श्री पीलु मोदी : वह किसी आधार पर इन आरोपों से इन्कार करते हैं।

श्री कवंरलाल गुप्ता : इस बात की जांच होनी चाहिए कि श्री गोयनका ने कांग्रेस को चुनाव निधि के लिए कितना धन दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस को धन दिया है और विशेषकर प्रधान मंत्री के गुट के लोगों को दिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न नहीं है कि किस दल को धन दिया गया है।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : क्या सरकार ने इस देश में अखबारों के बढ़ते हुये एकाधिकार को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार कर रही है, यदि नहीं तो ऐसे क्या कारण हैं कि सरकार अखबारों में बढ़ते हुये एकाधिकार के समस्त प्रश्न पर जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने से संकोच कर रही है ?

श्री के० के० शाह : प्रेस परिषद अखबारी कागज की नीति आदि की जांच कर रही है, यह इस बात का स्पष्ट सबूत है कि हम इस समस्या के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक है।

Shri George Fernandes : The hon. Minister has stated that the Central Government have received a suggestion from Gujrat Government and the owners of the Indian Express that the Indian Express may be allowed to take over these newspapers. I want a categorical reply from the hon. Minister that whether he would inform this House that under no circumstances the Indian Express be allowed to take over these newspapers ? Whether he will give such categorical assurance to the House. The rest of the points on which the Government are considering as to how these newspaper be run will come later on. But he should give direct and categorical assurance. Indian Express will take over there papers is not a matter of a rent origin. It has been going on for the last many months in the Gujrat State. I heard about it three months ago at Ahemdabad. Since the Hon. Minister in aware of the circumstances of Gujrat, so he may state when they came to know about the take over of these newspaper by the Indian Express.

श्री के० के० शाह : जो आश्वासन मांगा गया है उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि हम माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर भलि भांति विचार करेंगे।

Shri George Fernandes : It means that you are giving it to Shri Goenka.

श्री के० के० शाह : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, अगर मेरे माननीय मित्र दावा करते हैं कि उन्हें अधिक मालूम है तो मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मैं केवल वही सूचना दे सकता हूं जो मुझे मिली है। इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा इन समाचार पत्रों की सामग्री खरीदने के प्रश्न ने गत मास से गंभीर रूप धारण किया था और केवल तीन दिन पूर्व ही मुझे सूचना मिली थी।

श्री बेचकी नन्दन पाटोदिया : इस देश में एकाधिकार का प्रश्न तब उठता है जब यह शासक दल को इससे असुविधा होती है। मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि अखबारों का संयुक्त होने का प्रस्ताव अखबारों में छोटे समूह की प्रार्थना पर आया है जो बड़े

अखबार वालों के साथ मिलना चाहते हैं क्योंकि गुजरात सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी वे लाभ कमाने में असफल रहे।

श्री के० के० शाह : जहां तक मेरा सम्बन्ध है यह प्रस्ताव स्वयं रमन लाल सेठ से आया है। यह लिखित रूप में है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह कौन है ?

श्री के० के० शाह : वे जनसत्ता और लोकसत्ता के सहयोगी सम्पादक हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या इण्डियन एक्सप्रेस समूह से नहीं आया है ?

श्री काशी नाथ पाण्डेय : जब कोई संकटग्रस्त होता है तो उसे अपने हाथ में लेने की शीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती, इसी प्रकार जब कोई समाचारपत्र संकटग्रस्त होता है तब उसकी सहायता के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती। परन्तु जब यह किसी दूसरे प्रतिष्ठान के साथ अपना प्रबन्ध करने का प्रयत्न करता है तब इसके एकाधिकार का प्रश्न उठता है। मैं जान सकता हूँ कि कब तक यह बेकार की बात चलेगी। क्या समाचार पत्र संविधान के अन्तर्गत कार्य करने के पात्र नहीं है ? क्या इण्डियन एक्सप्रैस समूह के पास जाकर वे अपनी स्वाधीनता को खो रहे हैं ? आप उन्हें कोई शर्त के लिए नहीं कह सकते कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार का एकाधिकार किस प्रकार देश को प्रभावित करेगा।

श्री जि० मो० बिस्वास : जहां तक कांग्रेस सरकार पदारूढ़ है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : सभा के विभिन्न भागों से पूछे गए बहुत से प्रश्नों के उत्तर में मंत्री महोदय बार-बार यही कहते हैं कि यह सारा मामला विचाराधीन है, और साथ ही साथ वे यह भी स्वीकार करते हैं कि शीघ्रता से और हाल ही में स्थिति गंभीर हो गई है इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इन सभी मामलों पर विचार करने में काफी समय लगेगा, क्योंकि हम इस बारे में सरकार को जानते ही है, तो जो यह स्थिति जो अचानक उत्पन्न हुई है तो इस बीच में कार्यवाही करने के लिए सरकार के समक्ष क्या रुकावट है? जब तक इस मामले पर फैसला नहीं हो जाता तब क्या सरकार इण्डियन एक्सप्रैस समूह को विज्ञापन देना बंद नहीं करेगी ?

श्री के० के० शाह : इण्डियन एक्सप्रैस को दण्ड कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। श्री रमनलाल सेठ जी ही हमारे पास आये थे।

श्री शान्तिलाल शाह : अगर सरकार इन समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय करले तो क्या वे यह सावधानी बरतने का विचार रखते है कि वे अखबार तथा प्रेस की स्वतन्त्रता और उसकी नीति में हस्तक्षेप न करेंगे ? क्या सरकार प्रेस आयोग के सुझाव को अपनाने का प्रयत्न करेगी जिसमें कहा गया है कि न्यासों को इन समाचार पत्रों का प्रबन्ध करना चाहिए न कि कोई व्यक्ति इसको अपने हाथ में लें।

श्री के० के० शाह : यह अच्छा सुझाव है ।

श्री रा० की० अमीन : यह एक विचित्र सी स्थिति है । सरकार ने उस क्षेत्र से कोटा को इण्डियन एक्सप्रेस स्थानांतरित करना रोक दिया है । इस प्रकार वे कहते हैं कि वे प्रेस में बड़े एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोक रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र में प्रेस चौथा आधार स्तम्भ है और इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखी जानी चाहिए तथा इसके लिए उसे गारंटी मिलनी चाहिए । क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि कोटे के स्थानांतरण को रोकने से वे एकाधिकार को जन्म देने से रोकेंगे ? अगर एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोका है तो उन्हें कोई दूसरी कार्यवाही करनी चाहिए न कि कोटा को एक स्थ न से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होने से रोकें ।

श्री के० के० शाह : दूसरी बातों को छोड़कर किसी एक बात पर निर्णय नहीं लिया जा सकता । निर्णय लेते समय सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा ।

श्री चेंगलराया नायडू : जब पैट्रिअट जैसे अखबार रूस से धन ले सकते है तो एक छोटा सा गुजराती अखबार इण्डियन एक्सप्रेस से धन क्यों नहीं ले सकता है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

श्रीमती एम० एस० सुब्बलक्ष्मी तथा अन्य कलाकारों को भुगतान

216. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रीमती एम० एस० सुब्बलक्ष्मी और उनके साथ बाहर से आने वाले कलाकारों को आकाशवाणी द्वारा 'वान्दना' कार्यक्रम में प्रसारण के लिए रिकार्ड किये गये उनके गीतों के लिए सामान्य शुल्क से चार गुना शुल्क दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रीमती एम० एस० सुब्बलक्ष्मी पर व्यय की गई कुल राशि के कारण उन अन्य कलाकारों के लिए धनराशि कम पड़ गई है, जिनके संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए शेष महीनों में कार्यक्रम होने थे;

(ग) यदि हां तो आकाशवाणी में इस प्रकार के अपव्यय के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। दो गीतों और पुनः प्रसारण करने के अधिकारों के लिये।

(ख) धन की कमी नहीं हुई, क्योंकि भुगतान सूची के अनुसार किया गया। कोई कलाकार नहीं छोड़ा गया।

(ग) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय सीमाओं पर चीन की सेना का जमाव

217. **डा० सुशीला नैयर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चीन ने भारतीय सीमा पर अपनी सेना का जमाव बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है और इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग): चीनी फौजें हमारी उत्तरी सीमा के उस ओर जमी हुई हैं। हाल ही में इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। देश की क्षेत्रीय अखण्डता की सुरक्षा के लिए अपनी सीमा के उस पार चीनी गतिविधियों पर बराबर पूरी निगरानी रखी जा रही है।

राष्ट्रीय आय

218. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966–67 में राष्ट्रीय आय में केवल 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 में राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1966–67 के दौरान राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी जो अभूतपूर्व सूखे के कारण गंभीररूप से प्रभावित थी पिछले वर्ष की तुलना में 1.0 प्रतिशत थी।

(ख) 1667–68 के लिए अनुमानित बढ़ोतरी 9.1 प्रतिशत है। 1968–69 के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

प्रति व्यक्ति आय

219. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य के छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों में 1966-67 तथा 1967-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी-कितनी थी तथा ये आंकड़े उनमें से प्रत्येक वर्ष में अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में कम है या अधिक; और

(ख) क्या यह सच है कि उन वर्षों में बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों में प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में बहुत ही कम रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख): प्रति व्यक्ति आय के अनुमान राज्यों के सांख्यिकीय कार्यालयों (ब्यूरो) द्वारा तैयार किया जाता है, जिलावार अथवा क्षेत्र वार नहीं। इसलिये उपर्युक्त दो क्षेत्रों की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से करना संभव नहीं हैं।

Translation of Forms and Manuals in Hindi

220. Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of forms and manuals of his Ministry and attached offices, the Hindi translations of which have been made available;

(b) the number of forms and manuals which have yet to be translated into Hindi;

(c) the arrangements being made for Hindi Translation of those forms which have not so far been translated and the time by which their translation will be completed; and

(d) the reasons for delay in their translation ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) 605 forms and 8 manuals have been translated into Hindi. Some of them have been printed while others are under print.

(b) 130 forms and 6 manuals remain to be translated.

(c) The translation work is being done by the Central Hindi Directorate. Some forms are also being translated by the Media Units of the Ministry of Information and Broadcasting. This work is expected to be completed within a period of about one year.

(d) The number was large and their translation could not be done at the same time.

सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को पेंशन संबंधी लाभ

221. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री विश्वम्भरन :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 7 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3146 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकारियों तथा अन्य रैंकों की पेंशन संबंधी शर्तों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के आश्रितों को पेंशन देने संबंधी शर्तों पर इस बीच विचार किया गया है और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बारे में पारिवारिक पेंशन मृत्यु उपदान और पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी पंचाटों का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें सारे ब्यौरे दिए गए हैं सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 2206/68]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर कमीशन आफिसरों को पेंशन का भुगतान

222. श्री हेमराज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 14 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूनियर कमीशन अफसरों तथा अन्य रैंकों को मासिक पेंशन के भुगतान के बारे में सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या विचार व्यक्त किये गये हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख): हरियाणा को छोड़ कर शेष सब राज्यों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं । आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों में पहले से ही पेन्शन की अदायगी प्रतिमाह की जाती है, तथा बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में आंशिक रूप से पेन्शन की इस प्रकार की अदायगी की जाती है ।

गोआ दमन और दीव, मनीपुर, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में वहां की राज्य सरकारों ने यह लिखा है कि पेन्शन लेने वाले अधिकतर व्यक्ति पेन्शन प्रतिमाह लेने के हक में है, जबकि आसाम, दिल्ली, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों और उड़ीसा में पेन्शन लेने वाले व्यक्ति सामान्यरूप से इस हक में हैं कि पेन्शन की जो छमाही तिमाही अदायगी पद्धति है वह जारी रहनी चाहिये । सरकार ऐसे राज्यों में पेन्शन प्रतिमाह देने का विचार कर रही है जहां पेंशन लेने वाले अधिकतम व्यक्ति इस प्रकार पेंशन लेने के हक में है । प्रतिमाह पेंशन की अदायगी का काम हाथ में लेने से काम और बढ़ेगा और सम्बन्धित राज्य सरकार उस काम को अपने हाथ में ले सकेगी या नहीं इस प्रश्न पर इन राज्य सरकारों से परामर्श किए जाने का प्रस्ताव है । उसके पश्चात समुचित निर्णय लिया जाएगा ।

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के कार्य की जांच

223. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के कार्य की कोई जांच कराने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किन व्यक्तियों द्वारा की जा रही है; और

(ग) यह जांच कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ब० रा० भगत) : (क) इसे आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग

224. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्था के बारे में पिछले पांच वर्षों के सम्बन्ध में दी गई आधुनिकतम लेखा परीक्षा रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वरिष्ठ सैनिक अधिकारी धन के गबन के मामलों में अन्तर्ग्रस्त थे और उन्होंने बहुत सा सरकारी धन काकटेल पार्टियों पर खर्च किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इस संस्था के कार्यकरण के बारे में कितने धन का दुर्विनियोग किया गया;

(ग) क्या उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिणामस्वरूप इस संस्था के कार्यकरण के बारे में कोई न्यायिक या अन्य जांच कराई गई है, और

(घ) सरकारी धन के दुर्विनियोग या अपव्यय के मामलों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हिमालय प्रर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में अनियमितता

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के 1966 के अन्त के हिसाब के संबंध में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई। इसलिए 28-2-1967 और 1-3-1967 को रक्षा मंत्रालय के एक अफसर और पश्चिमी बंगाल के दो अफसरों ने उसका निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि कुछ गंभीर अनियमितता की गई है। उस संस्थान के सचिवों ने यह मांग की कि 1962-67 के सारे हिसाब की विशेष जांच की जाय। उन्होंने कार्यकारी परिषद को मामले की सारी रिपोर्ट दी। 20 नवम्बर 1967 से 30 दिसम्बर 1967 तक पश्चिमी

बंगाल के उप महालेखाकार की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा दल ने संस्थान के हिसाब की विशेष जांच की। विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट जून 1968 में प्राप्त हुई। विशेष लेखा परीक्षा से निम्नलिखित कुछ अनियमितताएं सामने आई।

(1) विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य आगन्तुकों के मनोरंजन आदि पर अत्यधिक व्यय।

(2) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना संग्रहालय आदि के लिए फर्नीचर, फिक्शचर, क्रोकरी, प्रदर्शनीय वस्तुएं खरीदी गई।

(3) विशिष्ट व्यक्तियों को जिनमें वे विश्व विख्यात पर्वतारोही भी शामिल हैं, जो इस संस्थान में आए, उपहार देने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय।

(4) दौरों पर रहते हुए दैनिक भत्ता और प्रासंगिक व्यय के अतिरिक्त टेक्सी के किराये की वापसी।

(5) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना डाक्टरी इलाज पर हुए खर्च की वापसी, तथा

(6) किसी कार्य विशेष के सम्बन्ध में तकनीकी प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बिना बिल्डिंग मरम्मत और उसके अनुरक्षण पर व्यय।

2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर एक समिति बनाई गई जिसमें एक वित्तीय विशेषज्ञ के सहित तीन अफसर शामिल थे। उन्होंने इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में इस पर विस्तृत रूप से विचार किया।

यह समिति 3 नवम्बर 1968 से चार दिन के लिए बैठी और उसने सारे रिकार्ड की जांच की और आवश्यक स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया। इस समिति की एक अन्तरिम रिपोर्ट 8 नवम्बर 1968 को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट के पढ़ने से यह दिखाई देता है कि भूतपूर्व प्रिंसिपल, थल सेना के एक लेफ्टि० कर्नल, जो कि अब सेवा नियुक्त हो चुका है तथा संस्थान के भूतपूर्व रजिस्ट्रार इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी हैं। भूतपूर्व रजिस्ट्रार एक लेखाकार है जो वहां प्रतिनियुक्ति पर था। उसके विभाग ने उसके विरुद्ध पहले ही अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर रखी है। भूतपूर्व प्रिंसिपल के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान की लेखा प्रविधि को और कड़ा किया जा रहा है तथा ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृति होने से रोकने के लिए आन्तरिक जांच की व्यवस्था की जा रही है।

वैमानिक समिति

225. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री नरेन्द्र कुमार शाल्वे :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सी० सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में गठित वैमानिकी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

Broadcasts of Hindi Bulletins

226. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether any further progress has been made in regard to the suggestion given by the Central Hindi Advisory Committee for effecting a change in the time of All-India Boroadcasts of Hindi Bulletins on main hook up;

(b) when a final decision is likely to be taken in this regard; and

(c) the reasons for not taking a decision so far ?

The Minister of Information and Broadcating (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) : Revised time table for the broadcast of the two main news bulletins in Hindi and English as mentioned below will come into effect from 8th December, 1968:—

(i) The morning Hindi bulletin will be broadcast at 8.00 a.m. followed by the English bulletin at 8.15 a m.

(ii) The Evening Hindi bulletin will be broadcast at 8.45 p.m. follawed by the English bulletin at 9.00 p.m.

(iii) The above two Hindi bulletins will be relayed by all stations of All India Radio.

Production of Rare Earth

227 **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the annual rate of production of rare-earth during the current year and the target of production at the end of the Fourth Plan;

(b) whether it a fact that there is great demand of rare earth in other countries and it is likely to increase further; and

(c) if so, the reasons for Government's reluctance towards increase in production of rare earth ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):(a) Messrs Indian Rare Earths Ltd. who are the only manufacturers of rare earths products in India have the capacity to produce 4,500 tonnes of rare earths products per annum at present The current year's production is expected to be about 4,00 tonnes expansion in capacity is propo.ed at present,

(b) The world demand for rare earths products from India seems to have stabilised at the present level of about 4,000 tonnes perannum. No substantial increase in demand is expected at present.

The capacity of the Rare Earths Plant has been progressively increased from 1,800 tonnes in 1952 to the present 4,800 tonnes per annum according to requirements.

वियतनाम की समस्या पर पेरिस वार्ता

228. **श्री वासुदेवन :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री हो० ना० मुकर्जी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम की समस्या के बारे में अमरीका तथा उत्तर वियतनाम के बीच पेरिस में इस समय चल रही वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) क्या उत्तर वियतनाम पर अमरीकी वायु सेना द्वारा लगातार बमबारी होना पेरिस वार्ता में वर्तमान गतिरोध को दूर करने का कोई मार्ग निकालने में मुख्य रूप से बाधक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर वियतनाम पर बमबारी तुरन्त बंद करने के लिये भारत अमरीका पर दबाव डालने के लिये पहले करेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यह सच है कि पेरिस वार्ता में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है । भारत सरकार आशा करती है कि सम्बद्ध पक्ष अब शांतिपूर्ण निपटारे के लिये ठोस बातचीत करेंगे ।

(ख) अमरीकी सरकार ने उत्तर वियतनाम पर बमबारी बंद करने की पहले ही घोषणा कर दी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्छ पंचाट की क्रियान्विति

229. **श्री मधुलिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने कच्छ पंचाट की क्रियान्विति के बारे में उनको कोई नोटिस दिया है;

(ख) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अन्डर सेक्रेटरी द्वारा शपथ-पत्र पर प्रकट किये गये असन्तोष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई शपथ-पत्र दर्ज कराया है ; और

(ग) यदि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई शपथ-पत्र नहीं दिया है तो क्या अन्डर सेक्रेटरी का वक्तव्य उनके तथा मंत्रिमंडल के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस अवर सचिव के बयान भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

समाचार पत्रों के लिये अखबारी कागज का अभ्यंश

230. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़े समाचार पत्रों में हुई लम्बी अवधि की प्रेस हड़ताल के समय उन समाचार पत्रों ने जिनमें हड़ताल नहीं हुई थी अखबारी कागज का अधिक अभ्यंश मांगा था क्योंकि उन्हें अपने समाचार–पत्रों की अधिक प्रतियां छापनी थीं; और

(ख) यदि हां, तो कितने समाचारपत्रों को अखबारी कागज का अधिक अभ्यंश मिला ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के०के० शाह):(क) जी, हां । अन्य समाचार-पत्रों में हुई हड़ताल के परिणामस्वरूप खपत संख्या बढ़ जाने के कारण 11 समाचार-पत्रों से अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा दिये जाने के बारे में आवेदन-पत्र मिले हैं ।

(ख) अन्तरिम उपाय के रूप में पहले ही आठ दैनिक समाचार पत्रों को उनके 1969-70 के हक में से अग्रिम आवंटन कर दिया गया है । इस अवधि में जिन पत्रों की खपत संख्या बढ़ जायेगी, उनको भी अग्रिम तौर पर अखबारी कागज दे दिया जायेगा । अब यह निर्णय ले लिया गया है कि चालू अवधि के लिये उनके आडिट की गई खपत संख्या के आधार पर अतिरिक्त अखबारी कागज दिया जाय ।

फ्रांस द्वारा हाइड्रोजन (उदजन) बम का विस्फोट

231. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस ने 24 अगस्त 1968 और 3 सितम्बर 1968 को हाइड्रोजन(उदजन) बम का एक के बाद दूसरा विस्फोट किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की प्रतिक्रिया तो यही है कि उसे इस पर चिन्ता है और वह खेद प्रकट करती है ।

चिल्का (उड़ीसा) में नौसैनिक प्रशिक्षण संस्था

232. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री रविराय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उड़ीसा में चिल्का लेक पर नौसैनिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार इस प्रयोजन हेतु चिल्का के निकट 600 एकड़ भूमि देने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु प्रतिरक्षा मंत्रालय के एक विशेषज्ञ ने चिल्का क्षेत्र का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से औपचारिक रूप से कोई अनुरोध नहीं किया गया।

(ग) तथा (घ): नौसेना मुख्यालय द्वारा गठित एक बोर्ड उस स्थान पर गया और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट पर आधारित एक प्रस्ताव पर अ [illegible] ार किया जा रहा है।

सर्वदलीय नागा सम्मेलन

233. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अगस्त 1968 में हुए सर्वदलीय नागा सम्मेलम द्वारा स्वीकृत संकल्प प्राप्त हो गये हैं;

(ख) क्या भारत सरकार से विचार-विमर्श करने के लिये सम्मेलन द्वारा गठित 7 सदस्यों की समिति ने अब तक सरकार को कोई पत्र लिखा है अथवा बातचीत के लिये दिल्ली का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कोहिमा में 22 से 24 अगस्त, 1968 तक जो नागा जन सम्मेलन हुआ था उसमें पास किये गये प्रस्तावों की प्रतियां सरकार को मिल गई हैं;

(ख) और (ग) अपने एक प्रस्ताव में इस सम्मेलन ने भारत सरकार और जन विश्वास के नागा नेताओं के सहयोग से नागा राष्ट्रीय परिषद् के बीच बातचीत पुनः शुरू करने का सुझाव दिया है। इस सम्मेलन ने दोनों पक्षों से सम्पर्क स्थापित करने और बातचीत के लिए आधार तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की एक विशेष समिति बनाई। इस विशेष समिति के ये 7 सदस्य विशेष मंत्रालय के अधिकारियों से मिले जिन्होंने यह समझाया कि छिपे नागाओं के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ नागालैंड के भारत संघ के एक अंग राज्य के रूप में निरन्तर बनी रहने के आधार पर ही हो सकती है: उन्होंने जिन्हें यह भी समझाया कि छिपे नागा जब तक सामान्य कानूनों और कार्यवाही बंद रखने के करार का सीमा पार करके और हथियारों का आयात करके उल्लंघन करते रहते हैं तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं

होगी और फिजो जैसे किसी भी बाहरी अथवा विदेशी को हमारे घरेलू मामलों में दखल अन्दाजी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हें बल देकर यह बात भी समझाई गई और भारत सरकार राज्य सरकार को संविधान के अन्तर्गत नागालैंड के प्रतिनिधि के रूप में यथोचित रूप से रचित समझती है।

ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

234. **श्री यशपाल सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने हाल ही में पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हाल ही में ब्रिटेन ने कोई महत्वपूर्ण सामान पाकिस्तान को भेजा हो, सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

A.R.C.'s report on Machinery and Working procedure of Government

235. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has submitted any Report on the machinery and working procedure of the Government of India;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The report of the Administrative Reforms Commission on "The Machinery of the Government of India and its procedures of work" was laid on the Table of the House in reply to unstarred question No. 413 on 13-11-1968.

(c) The report is under examination.

कांग्रेस अध्यक्ष के लिये राजनयिक पारपत्र

236. **श्री हेम बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 21 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस अध्यक्ष को जापान में अथवा अन्य कहीं भारत सरकार की ओर से कोई सरकारी काम करने का दायित्व सौंपा गया था जिसके लिये उन्हें राजनयिक पारपत्र दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या कार्य सौंपा गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में निर्मित प्रथम युद्धपोत

237. **श्री रा० को० थमीन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बना प्रथम युद्धपोत हाल ही में उतारा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे पाकिस्तान की युद्ध क्षमता की तुलना में हमारी सामरिक प्रतिरक्षा क्षमता कितनी बढ़ जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) यह युद्धपोत विशिष्ट रूप से एक पनडुब्बी-नाशक युद्धपोत है जो पनडुब्बियों का पता लगाने वाले आधुनिकतम उपस्कर और आयुधों से लेस है। इसकी विमान भेदी और तल-भेदी क्षमता भी बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में तैयार किया गया यह युद्धपोत पानी में उतार दिया जाएगा और 1971 में वह समुद्री बेड़े में शामिल हो जाएगा। इस युद्धपोत के शामिल होने से नौ-सेना की अन्तर जल, हवाई और सतही आक्रमणों का सामना करने की क्षमता और बढ़ जाएगी।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक

238. **श्री रामगोपाल शालवाले** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने वहां से अल्पसंख्यकों को निकालने के लिये अनेक प्रकार के उपाय अपना रखे हैं;

(ख) क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को वहां की सरकार द्वारा पुनः सताये जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का प्रव्रजन बढ़ गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा बचाव के लिये क्या कार्यवाही की है, जो विभाजन के समय अल्पसंख्यकों के बारे में हुए समझौते के आधार पर सरकार का दायित्व है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ): सरकार को यह मालूम है कि पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को बराबर बहुत-सी मजबूरियों और कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से वे भारी संख्या में भारत आ रहे हैं। भारत सरकार ने वहां के अल्पसंख्यकों की दिक्कतों की ओर पाकिस्तान सरकार का बार-बार

ध्यान आकृष्ट किया है और उन्हें यह स्मरण कराया है कि 1950 की नेहरू–लियाकत संधि के अन्तर्गत उनके क्या दायित्व हैं ? जिसके अनुसार उन्हें अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकारों की समानता की गारन्टी देनी चाहिए ।

हाल के महीनों में पूर्व पाकिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की संख्या में कमी हुई है ।

Islands forming part of India

239. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the Islands that formed part of India on the 15th August, 1947;

(b) the names and population thereof;

(c) the number of Government servants in each Islands and the names of countries who are in occupation of those Islands or have made a claim on them alongwith the names of Islands; and

(d) the steps being taken by Government to bring them under their control ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) : The island territories of the Indian Union comprise :

(i) the Islands of Andaman & Nicobar group;

(ii) the islands in the Laccadive, Minicoy; and Amindive group; and

(iii) the coastal and outlying islands in the region of the Bay of Bengal and Arabian sea.

As per information available at present, the population of :

(i) and (ii) are 63548 and 24,108 respectively. The population of the other islands which are mostly uninhabited or have a floating population is approximately 4,000.

(c) The number of Government servants in the group at (i) was 17,700 as on 31.3.68 and in (ii) was 1012 as on 1.10.67.

None of the islands are under occupation of any foreign country. The question of Kachativu (Palk Bay) is under consideration between the Government of India and Ceylon.

(d) Government have taken adequate steps for the security of the islands and review them from time to time. The House will appreciate that it will not be in the public interest to disclose them.

प्रति व्यक्ति आय

240. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री 14 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को कम करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की है, अथवा करने का विचार किया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : दिनांक 13–11–1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 444 के भाग (ख) और (ग) और अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

सीमावर्ती सड़कों का विकास

1354. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती सड़कों के निर्माण पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा अब तक कुल कितनी मील सड़कें बनाई गई हैं;

(ख) कितनी और नयी सड़कें बनाने का प्रस्ताव है कितनी सड़कों को सुधारा जायेगा और इन प्रस्तावित सड़कों की कुल लम्बाई कितनी मील होगी तथा इस कार्य के लिए बजट में कितने धन की व्यवस्था की गई है; और

(ग) सीमा-सड़क विकास बोर्ड के द्वारा चयन किये गये ठेकेदारों के नाम क्या हैं तथा ठेके किस प्रकार तथा किस आधार पर दिये जाते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बोर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमा-सड़कों के निर्माण में अगस्त 1968 के अन्त तक 265.88 करोड़ रुपए की नकद धनराशि व्यय हुई।

30-9-68 तक जितने मील सड़कों का निर्माण किया गया वे निम्नलिखित हैं : —

	मील
चट्टानों को काटकर (8 फुट से 20 फुट की विविध चौड़ाई)	3014
सड़कों पर रोडा भराई का काम	3505
सड़कों पर रोड़ी डालने का काम	3325
काली सतह बिछाने/सतह को ठीक भरने का काम	2088

इसके अतिरिक्त इस समय 2887 मील पगडन्डियों/सड़कों पर मरम्मत का काम चल रहा है। इस समय सड़कों पर मरम्मत करने में जो प्रगति हुई है उसे रैखिक रूप से बताना कठिन है। फिर भी इस सम्बन्ध में लिए गए जायजे के अनुसार लगभग 2300 मील लम्बी सड़कों पर मरम्मत कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ख) अभी शीघ्र ही आरम्भ होने वाले निर्माण कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

		मील
नई सड़कों का निर्माण	—	4,273
वर्तमान सड़कों पर मरम्मत कार्य	—	2,887
सड़क की सतह ठीक करने का काम	—	6,036
(रोड़ा भराई, रोड़ी डालने का काम और काली सतह बिछाने का काम)	—	6,036

उपर्युक्त सड़कों के निर्माण पर आने वाली लागत ठीक-ठीक नहीं बताई जा सकती है। यह सब भू-क्षेत्र विशेष ऊंचाई, पिछले योजकों की उपलब्धि, कीमतों का स्तर और मजदूरी आदि पर निर्भर करता है। मोटे अनुमान से सड़कों के निर्माण और मरम्मत (इसमें अस्थाई पुल निर्माण कार्य भी सम्मिलित हैं) के काम पर कुल 600 करोड़ रुपए का व्यय आएगा।

(ग) सड़कों को निर्माण करने वाले (1) जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स और (2) लोक निर्माण विभाग (दोनों राज्य और केन्द्र के) हैं। जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स को सौंपी गई सड़कों का निर्माण विभागीय रूप से किया जाता है। छोटे निर्माण कार्य (उदाहरण-स्वरूप पुश्ता दीवार अस्थाई भाषा, आवास आदि) स्थानीय रूप से उपलब्ध ठेकेदारों को दिया जाता है। समय-समय पर माल की सप्लाई के लिए (जिसमें धातु की सप्लाई भी सम्मिलित हैं) ठेके दिए जाते हैं या आर सी सी पुलों, सुरंग आदि बनाने में विशेष कामों को करने के लिए ठेके दिए जाते हैं। ऐसे ठेके प्रतियोगिता पूर्ण टेन्डरों के आधार पर किए जाते हैं। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के चीफ इंजीनियरों ने विशेषित कामों के लिए जिन फर्मों को ठेके दिए उनके नाम इस प्रकार हैं :

(1) मेसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन लिमिटेड, बम्बई-1

(2) मेसर्स शिब बेनर्जी (पी) लिमिटेड, कलकत्ता

(3) मेसर्स विल्डराइट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कलकत्ता

(4) मेसर्स स्ट्रेस्कान इंजीनियर कम्पनी (पी) लिमिटेड, कलकत्ता

(5) मेसर्स मिगलानी और मिगलानी नई दिल्ली

(6) मेसर्स तीरथराम अहूजा प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

लोक निर्माण विभाग सामान्यतया अपने राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ठेकों के जरिए निर्माण कार्य करते हैं जिन फर्मों को ठेके दिए गए उनके नाम अभी उपलब्ध नहीं हैं।

ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में कर्मचारी

1355 **श्री बाबूलाल पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में कितने भारतीय कर्मचारी हैं और कितने गैर-भारतीय कर्मचारी हैं और प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को कुल कितना वार्षिक वेतन दिया जाता है;

(ख) ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रदत्त सर्वोच्च भारतीय अधिकारियों और गैर-भारतीय अधिकारियों के नाम, पदनाम और मासिक वेतन क्या है;

(ग) क्या गैर-भारतीय कर्मचारियों का निर्वाह भत्ता अप्रैल, 1968 से बढ़ा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण वार्षिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) भारतीय कर्मचारियों का निर्वाह भत्ता इसी प्रकार बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह सूचना नीचे दी गई है :

31-10-68 को अमले की संख्या		1967-68 के लिए वेतनों पर वार्षिक व्यय
भारतीय-173		195847 पौंड
स्थानीय भारतीय अमला		**वेतनों पर वार्षिक व्यय**
(क) भारतीय राष्ट्रिक	341	372,100 पौंड
(ख) भारतीय मूल के यू० के० पासपोर्टधारी	64	68,500 पौंड
(ग) अभारतीय कर्मचारी	183	200,000 पौंड

(ख) ब्यौरा सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2207/68]

(ग) जी नहीं। जीवन-यापन भत्ते की कीमत सिर्फ स्थानीय अमले के कुछ लोगों को ही दी जाती है; जो कि प्रायः सभी भारतीय हैं।

(घ) 25,146 पौंड (452,628 रुपये)

(ङ) भारतीय अमले को (भारत-अस्थानों) को विदेश भत्ता दिया जाता है वह दूसरे बातों के अतिरिक्त रहन-सहन के खर्च पर आधारित होता है। अप्रैल 1968 से इस भत्ते में भी संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन से किसी हद तक भारत आस्थानी अवर अमले को फायदा पहुँचा है।

मिग और एच० एफ० 24 विमानों का निर्माण

1356. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिग-21 विमानों के निर्माण से एच० एफ०-24 विमानों के निर्माण पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा;

(ख) हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स द्वारा अब तक कितने पुष्पक विमान बनाये गये हैं और कितने विमान बेचे गये हैं;

(ग) दुर्घटनाओं के कारण अब तक कितने पुष्पक विमान नष्ट हुए हैं;

(घ) क्या ये दुर्घटनायें पुष्पक विमानों में रेडियो उपकरण न होने के कारण हुई थीं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मिग-21 विमानों के उत्पादन से एच० एफ०-24 विमानों के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने अब तक 130 पुष्पक विमान बनाए हैं; जिनमें से 127 बेचे जा चुके हैं और लेने वाले को सौंपे भी जा चुके हैं। दो और विमान बेचने के लिए पड़े हुए हैं।

(ग) 1960 से अक्तूबर 1968 तक 18 पुष्पक विमान दुर्घटनाओं में नष्ट हुए।

(घ) जी नहीं। विमान में रेडियो उपस्कर के न होने से दुर्घटना नहीं हुई। केवल दो दुर्घटनाएं ही ऐसी हुई हैं जो शायद तब न हो पाती अगर विमानों में रेडियो उपस्कर मौजूद रहते।

(ङ) दुर्घटनाएं मुख्य रूप से पाइलटों की गलतियों से और विमान पर नियन्त्रण ठीक न रहने से हुई।

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को पेन्शन का लाभ

1357. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या प्रतिरक्षा मंत्री युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को पेन्शन के लाभ के बारे में 1 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेन्शन) की कार्रवाई के औचित्य या अनौचित्य का न्यायपूर्वक निर्णय करने के लिए मामले की जांच कर रहे हैं।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडिट

1358. श्री अ० श्री कस्तूरे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्र सेना दल में कालेजों के छात्रों के प्रवेश और कालावधि की शर्तें क्या हैं;

(ख) उनके प्रशिक्षण काल में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडिटों सुरक्षा के बारे में सरकार की क्या जिम्मेदारी है; और

(ग) प्रशिक्षण काल में किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक क्षति होने पर राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडिट को क्या क्षतिपूर्ति नकद दी जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) इन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के 6ठे और 8वें अनुमान राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम 1948 के भाग 2, 3 और 7 में तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (युवती डिवीजन) नियम 1949 के भाग 2 और 6 में दिया गया है। इन सांविधिक अनुबन्ध को केन्द्रीय सरकार के विभिन्न आदेशों के द्वारा और विश्व विद्यालयों द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में विस्तृत रूप से अनुपूरित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के लिए प्रशिक्षण के विविध पहलुओं के दौरान आवश्यक पूर्वोपाय किए जाते हैं।

(ग) प्रशिक्षण के दौरान किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक आघात पहुंचने पर किसी भी एन० सी० सी० कैडेट को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुफ्त डाक्टरी सुविधाएं दी जाती हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की निजी निधि से उपयुक्त मामलों में अनुग्रहपूर्वक पुरस्कार भी दिये जाते हैं।

Sainik Schools

1359. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Sainik Schools throughout the country;

(b) the number of cadets who passed out from these training institutions during the last 15 years and the number of those appointed in the Army out of them; and

(c) the number of those cadets out of them who have not been appointed in the Army and the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a), (b) and (c) : There are fifteen Sainik Schools in the country opened between July 1961 and February 1966. These are Public Schools giving general education up to the Indian School Certificate level. A military bias is given to the training in order to motivate them for a career in the Armed Forces and they are prepared for the NDA Entrance Examination held by the UPSC.

The Sainik Schools started sending boys for the National Defence Academy from the Course held in July 1963 when 5 boys were admitted. In the latest N.D.A. Course started in July 1968, 94 Sainik School boys have been admitted. The total number of boys from Sainik Schools admitted to the NDA during this period is 542. Some of these have already been commissioned in the Armed Forces.

It is no possible for every boy who passes out of the Sainik School to find a place in the NDA in view of the large number of boys in Sainik Schools and the limited number taken in the National Defence Academy by open competition; admission to the NDA is open to other boys in the country who have passed the Matriculation examination. Those Sainik Schools boys who do not get into the NDA, pursue higher education or seek a suitable career based on their aptitude and attainments.

Promotions in Defence Forces

1360. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of cases which have been brought to the notice of Government in which promotions in Defence Forces have been effected on the basis of class and caste;

(b) if promotions have been effected on the basis of class and caste, the action proposed to be taken by Government for doing away with the discontentment among the soldiers; and

(c) whether Government propose to demote those who have been promoted improperly or would promote those persons also who are due for promotion ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : Expect for maintaining proportionate promotions inter se between different classes represented in a few Regiments with fixed class compositions all promotions in the Defence Forces are made only on the basis of seniority-cum-fitness generally and, in certain higher ranks, through selection on merit. Strictly speaking, therefore, no preference is exercised on the basis of class or caste in the matter of promotions and, far from leading to any discontent, the present

method makes for contentment and under the system no person has a legitimate ground for complaint.

फिल्म उद्योग में काला धन

1361. श्री मुरासोली मारन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म कलाकारों द्वारा जैसा उन्होंने "काले धन" के भुगतान को बन्द करने तथा अपना आय का विवरण देने की योजना बनाने का पहले विचार किया था, कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उनके लिये कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : जी, हां। स्क्रीन एकटर्स गिल्ड, बम्बई ने सामाजिक सुधार उपाय के रूप में एक योजना प्रस्तुत की है; जिसमें फिल्म उद्योग के विकास के लिये इस्तेमाल करने के लिये फिल्म कलाकारों के धन से एक सार्वजनिक ट्रस्ट स्थापित करने का विचार किया गया है। ट्रस्ट में लगा धन 10 साल की अवधि के बाद जब फिल्म कलाकारों की कमाने की क्षमता कम हो जायेगी, एक मुश्त या उपयुक्त किश्तों में प्रतिदेय होगा। जबकि इस योजना में शुरू में जमा की गई धनराशि को कर से छूट देने की व्यवस्था है, जो अधिक धन लगाने और सही आय बताने की प्रेरणा देगी, ट्रस्ट से वापसी अदायगी प्राप्ति वर्ष में आय समझी जायेगी और उस पर कर निर्धारित किया जायेगा।

(ग) और (घ) : सवाल नहीं उठते।

चलचित्र जांच समिति की सिफारिशें

1362. श्री मुरासोली मारन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र जांच समिति, 1951 में कितनी सिफारिशें की है;

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार ने अब तक कार्यान्वित की है; और

(ग) शेष सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण सिफारिशें तथा उन पर आज तक किये गये निर्णय दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2208/68]**

चलचित्र उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों की समिति

1363. **श्री मुरासोली मारन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 मई, 1968 की पत्रिका "स्क्रीन" में प्रकाशित हुए समाचार के अनुसार सरकार का विचार चलचित्र उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने और उनका दीर्घकालिक समाधान ढूंढने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का है;

(ख) इस समिति के निर्देश पद क्या होंगे तथा उसके सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) ऐसी समिति कब स्थापित की जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उसका विचार है कि पाटिल समिति द्वारा एकत्रित सामग्री तथा फिल्म सलाहकार समिति, जिसकी दिसम्बर, 1968 तक रिपोर्ट देने की सम्भावना है, का इस विषय पर भी विचार करने की सम्भावना को देखते हुए इस प्रकार की किसी समिति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सप्ताह, ताशकन्द

1364. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताशकन्द में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सप्ताह मनाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या भारत उसमें भाग ले रहा है, और

(ग) उस मेले में कौन कौनसी भारतीय फिल्में दिखाई जायेंगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, हां। प्रथम अफ्रीकी एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, 21 अक्टूबर, 1968 से 31 अक्टूबर, 1968 तक ताशकन्द में मनाया गया था।

(ग) सरकार ने चम्मीन (मलयालम) और "अनुपम" (हिन्दी) नामक दो कथा चित्र और "अकबर" तथा "होमेज टू लालबहादुर शास्त्री" नामक दो वृत चित्र सरकारी तौर से भेजे थे। इसके अतिरिक्त, समारोह अधिकारियों ने निम्नलिखित फिल्में सीधे आमंत्रित की थी :-

(1) पनमा पासमा (तमिल)
(2) बालिका बोधू (बंगला)
(3) रात और दिन (हिन्दी)
(4) आरजू (हिन्दी)
(5) आम्रपाली (हिन्दी)
(6) हमराज (हिन्दी)
(7) एंटोनी फिरिंगी (बंगला) चेना-अचेना (बंगला)
(8) जानवर (हिन्दी)

नयी दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

1365. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन और प्रबन्ध के लिये कोई समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति में शामिल किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस समिति में शामिल किये जाने के लिये उनकी क्या विशेष योग्यताएं हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : समारोह के समय के बारे में अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद ही एक संगठन स्थापित करने के प्रश्न को हाथ में लिया जायेगा ।

फरक्का बांध के सम्बन्ध में मंत्री स्तरीय वार्ता

1366 **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री क० लक्कप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री देवेन सेन :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री न० कु० सांधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने फरक्का बांध में मंत्रियों के स्तर पर बातचीत का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां । लेकिन वे 9 दिसम्बर, 1968 को सचिव स्तर की एक बैठक के लिए सहमत हो गये हैं ।

(ख) भारत सरकार का यह पक्का विचार है कि मंत्री स्तर पर बातचीत तब तक उचित नहीं होगी । जब तक कि दोनों पक्षों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत पूरी न हो जाए । इसलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि दोनों पक्षों के बीच सचिव स्तर की बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें कि तकनीकी वार्ताओं के बारे में हुई प्रगति पर विचार किया जाए और तकनीकी आंकड़ों के आदान-प्रदान को सघन बनाने और तेज करने की प्रक्रियाएं स्थिर की जा सकें । पाकिस्तान सरकार इसके लिए राजी हो गई है और सचिवों की बैठक नई दिल्ली में 9 दिसम्बर, 1968 से कुछ दिन के लिए होनी निश्चित हुई है ।

Community Development Department

1367. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish the Community Development Department; and

(b) if so, when and if not, the specific advantages in continuing it ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : There is no proposal to abolish the Community Development Department. However, the Administrative Reforms Commission has recommended that there should be only one small, combined Department of Community Development and Cooperation, instead of two separate Departments as at present. The report of the Commission is under examination.

प्रति व्यक्ति आय

1368. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पंजाब की सब से अधिक प्रति व्यक्ति आय है;

(ख) ऐसा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के पंजाब के उदाहरण का अन्य राज्यों विशेषत: बिहार और उत्तर प्रदेश में अनुसरण किया जा सकता है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए गए 1964–65 के प्रतिव्यक्ति आय के वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार पंजाब में प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधिक है ।

(ख) और (ग) : इस स्थिति के लिए उत्तरदायी विशिष्ट तत्व क्या हैं, इसका विश्लेषण नहीं किया गया है । परन्तु अन्य तत्वों के अतिरिक्त, राज्य के लोगों के उद्यम और अध्यवसाय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यह सारे देश के लिए प्रशंसनीय उदाहरण है ।

दक्षिण कोरिया आर्थिक मिशन का दौरा

1369. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के एक आर्थिक मिशन ने सितम्बर में भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल ने यह दौरा भारत सरकार के निमन्त्रण पर किया था;

(ग) दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच क्या विचार विमर्श हुआ; और

(घ) इसमें क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रतिनिधि मंडल खुद अपनी ओर से भारत की यात्रा पर आया था।

(ग) और (घ) : मिशन एवं भारत सरकार दोनों के बीच हुई बातचीत कोलम्बो योजना सलाहकार समिति की 19 वीं बैठक से सम्बन्धित थी जो उस समय अक्टूबर 1968 में सियोल में होनी थी। इस बातचीत में वृहत्तर आर्थिक और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर सामान्य रूप से विचार किया गया। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि दोनों देशों के बीच यह सहयोग बढ़ना चाहिये।

महानगर परिवहन अध्ययन दल

1370. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या प्रधान मंत्री 6 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2860 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के अन्तर्गत गठित महानगर परिवहन अध्ययन दल के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ख) इस दल द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2209/68]**

संयुक्त-राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

1371. श्री कार्तिक उरांव : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने के लिए अमरीका गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल में कुल कितने सदस्य थे; और

(ग) क्या प्रतिनिधिमंडल में लगभग सभी हितों अर्थात् पिछड़े वर्गों मुसलमानों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य थे ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) 16, जिनमें पांच संसद सदस्य तो शामिल हैं लेकिन भारत के न्यूयार्क स्थित स्थायी मिशन के अधिकारीगण शामिल नहीं हैं।

(ग) जी हां। प्रतिनिधित्व जितना व्यावहारिक तौर पर सम्भव हो सकता था, व्यापक आधार पर करवाया गया था।

National Sample Survey Directorate

1372. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the **Prime Minister** be pleased to state ;

(a) the pay scales of Basic Workers Working in the Industrial and Agricultural Section of National Sample Survey Directorate and also those of Basic Workers Working in the Socio-Economic Section thereof;

(b) whether it is also a fact that inspite of similarity of works of the Basic Workers working in the two sections there is a great difference in their scale of pay;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government have taken any steps to bring uniformity in the pay scales of Basic Workers working in the two sections; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister Minister, of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The primary level field workers in the Agricultural and Industrial Statistics Divisions are Assistant Superintendents, whose scale of pay is Rs. 210-10-290-15-320/EB-15-425. In the Socio-Economic Division, the primary level workers are Investigators whose scale of pay is Rs. 150-5-160-8-216.

(b) to (e) Since the nature of duties and responsibilities of the Assistant Superintendents in the Agricultural and Industrial Statistics Divisions are very different from those of the Investigators in the Socio-Economic Division the question of bringing about uniformity in their pay scales does not arise.

Correspondence with Naval Headquarters

1373. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that letters seeking information regarding recruitment in the Naval Headquarters are not replied to in the languages in which these are received;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to make arrangements to reply the letters in the languages in which they are received in future; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : As stated in reply to Unstarred Question No. 442, answered on the floor of this House on 13th November, 1968, all letters have so far been replied to in English only as the staff available in Naval Headquarters for translation work has been mainly employed on work relating to translation of manuals, rules and regulations, and forms etc. The position is being reviewed.

Correspondence with Naval Headquarters

1374. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that civilian enquiries regarding recruitment of Naval Officers in the Naval Headquarters received in Gujarati and Marthi languages are not replied to; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) : All such enquiries are duly answered. The only cases in which replies may not have issued are those in which postal addresses were not given.

National Sample Survey Directorate

1375. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no provision for sanctioning compensatory leave in lieu of tours on the gazetted holidays to the investigators working in the Directorate of National Sample Survey in the Department of Statistics;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to grant in future compensatory leave to the investigators for working on holidays; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) According to the rules, Government servants who are actually on tour during holidays are entitled to claim daily allowance. The investigators in the Directorate of National Sample Survey are in receipt of permanent travelling allowance, which has been fixed after taking this factor into consideration. They are, therefor, not entitled to compensatory leave for the period they are on tour during holidays.

(c) and (d) : The question was raised in the Departmental Council and is being further examined.

कुवैत में इस्पात बेलन कारखाने की स्थापना

1376. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 31 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत में एक इस्पात बेलन कारखाना स्थापित करने के बारे में कुवैत के सहयोगकर्त्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) संयुक्त उपक्रमों की संभावनाओं वाले उद्योगों के सम्बन्ध में हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारपोरेशन तथा नेशनल इंडस्ट्रियल डवलपमैंट कारपोरेशन द्वारा उस स्थान पर किये गये अध्ययनों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) इन कुवैत सहयोगकर्त्ताओं ने पहले 100,000-150,000 टन वार्षिक उत्पादन वाली एक इस्पात रोलिंग मिल की बात सोची थी, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और कुवैत सरकार के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप यह पाया गया कि कुवैत कम क्षमता वाली यानी 50,000 टन वार्षिक क्षमता वाली मिल खोलना चाहता हैं, और इसके लिए दूसरी रिपोर्ट मांगी गई है। इस प्रार्थना पर कोई वचन नहीं लिया गया है।

सरकार एन आई डी सी की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

मांडले जेल में स्मारक हाल

1377. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 31 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2014 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मांडले जेल के स्मारक हाल में पत्थर लगाने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस मामले में और प्रगति नहीं हुई है। हमारा राजदूतावास बर्मी अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए है।

देश में क्षेत्रीय असंतुलन

1376. **श्री हेमराज :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री जनार्दनन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री नि० रं० सास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री को० सूर्यनारायण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भारी क्षेत्रीय असंतुलन है, और यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पिछड़े हुए हैं; और

(ख) इन असंतुलनों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। परन्तु ये भौतिक-भूगोलिक, सामाजिक-आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से हैं। पूडे तथा विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में सापेक्षतया अर्ध-विकसित राज्यों को, क्रमिक रूप से निर्दिष्ट करना कठिन है।

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। संघ शासित प्रदेशों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं जिनके लिए पूरी तरह केन्द्रीय सरकार द्वारा धन उपलब्ध किया जायेगा का परिव्ययों का निश्चय करने में आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के वर्तमान स्तरों को ध्यान में रखा जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में काम करने वाली भारतीय सैनिक टुकड़ियों की रहन-सहन की स्थिति

1379. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 7 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 389 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैगोन में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में काम करने वाली भारतीय सैनिक टुकड़ियों की रहने-सहने की स्थिति की जांच का कार्य अधिकारियों के जिस दल को सौंपा गया है क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी हां। इस रिपोर्ट में कई मामले थे और इसमें दूसरी चीजों के अलावा अपने जवानों की रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने की भी सिफारिश की गई थी। इन सिफारिशों पर कुछ कार्रवाई की गई है और दूसरी ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है जो इस तथ्य को देखते हुए आवश्यक। हैं यह दस्ता दिसम्बर में अन्तिम रूप से भारत लौट रहा है।

नौसेना तथा व्यापारिक नौवहन के लिये केन्द्रीय डिज़ाइन और निर्माण एकक

1380. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नौसेना और व्यापारिक नौवहन दोनों के लिये ही एक केन्द्रीकृत डिजाइन और निर्माण एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : भारतीय नौसेना का पहले ही एक केन्द्रीय डिजाइन कार्यालय है। एक केन्द्रीय जहाज़ी डिजाइन कार्यालय स्थापित करने के सिलसिले में परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस समय केन्द्रीकृत डिज़ाइन और निर्माण एकक को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रक्षा मंत्रालय के अधीन समुद्री जहाज निर्माण करने वाले कारखाने व्यापारी बेड़े के लिए भी जहाज बनाते हैं।

प्रतिरक्षा जन सम्पर्क विभाग

1381. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चंदा समिति की इस आशय की सिफारिशों की ओर दिलाया गया है कि प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो के अधिकारियों को प्रतिरक्षा विभाग में जन सम्पर्क निदेशकों के रूप में नियुक्त न किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब के लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) : पत्र सूचना तथा प्रचार पर अपनी रिपोर्ट में चन्दा समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की, तथापि जन सम्पर्क इकाइयों के बीच समन्वय से सम्बन्धित रिपोर्ट में समिति ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक मंत्रालय का अपना ही पत्र सूचना विंग होना चाहिए। पत्र सूचना कार्यालय के पुनर्गठन के प्रश्न पर कार्रवाई प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट मिलने तक आयोग की इच्छा पर रोक ली गई है। इसी बीच प्रतिरक्षा मंत्रालय के जन सम्पर्क निदेशालय में पत्रकारिता सम्बन्धित जो पद है उनको केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने का प्रस्ताव है।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र के साथ उत्पादन में भागीदारी

1382. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1968 को 'पैट्रियाट' में प्रकाशित हुए 'शेयर प्रोडक्शन विद साउथ ईस्ट एशियन रीजन" (दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र के साथ उत्पादन में भागीदारी) लेख में दिए गए तर्क की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी हां।

(ख) ऐसे प्रश्नों पर आर्थिक सहयोग के व्यापक संदर्भ में विचार किया जा रहा है और भारत सरकार निरन्तर इन पर निगाह रख रही है।

स्वेज नहर क्षेत्र में युद्ध विराम के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव

1383. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा परिषद् में कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इसरायल तथा मिश्र दोनों देशों को स्वेज नहर क्षेत्र में युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करने के लिये कहा गया था;

(ख) इस प्रस्ताव के बारे में भारतीय प्रतिनिधियों का वास्तविक दृष्टिकोण क्या था; और

(ग) उस क्षेत्र में युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करने के लिये सरकार ने और क्या प्रयत्न किये है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, सुरक्षा परिषद् ने 18 सितम्बर, 1968 को प्रस्ताव संख्या 258 पास किया था।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था।

(ग) 9 अगस्त, 1968 को सुरक्षा परिषद् में भारतीय प्रतिनिधि ने जो भाषण दिया था उसमें युद्ध विराम के उल्लंघनों के सम्बन्ध में भारत सरकार के विचारों को साफ-साफ व्यक्त कर दिया था।

काली सूची में दर्ज किये गये समाचार-पत्र

1384. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कौन कौन से समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं को काली सूची में दर्ज किया गया है तथा उनके नाम किस-किस वर्ष में काली सूची में दर्ज किये गये थे; और

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) तकनीकी दृष्टि से कोई काली सूची नहीं रखी जाती, सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिये विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय जिन समाचारपत्रों को इस्तेमाल नहीं कर रहा है उनकी संख्या अब 26 है। ऐसे मामलों में निकृष्ट, अश्लील, साम्प्रदायिक तथा अन्य आपत्तिजनक लेखों के बारे में समाचारपत्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के बाद कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त पत्रों के बारे में निर्णय 1960 के बाद समय समय पर लिये गये पत्रों के नाम बताना जन-हित में नहीं है।

Talks in Hindi

1385. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a scheme to broadcast All India Talks Programme in Hindi from different stations of the All India Radio has been started;

(b) if so, the number of talks broadcast so far under this programme; and

(c) whether Government are considering to take certain new decisions in connection with this programme of talks ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir. The National Programme of Talks in Hindi has been started from 5th August, 1968. These talks are broadcast from Delhi Station and are available for relay by other Stations of All India Radio.

(b) Seventeen, during the period August to October, 1968.

(c) The series was introduced in August, 1968 and no new change is contemplated for the present.

Russian Proposal on West Asia

1386 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether U. S. S. R. has made a new proposal to the U. S. A, for the establishment of peace in West Asia:

(b) if so, whether the Government of Israel have opposed the proposal; and

(c) the reaction of the Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Government of India have seen reports in the press about the new proposal made by the U. S S. R. to the U. S. A. for the eastablishment of peace in West Asia.

(b) Press reports have also appeared to the effect that the Government of Israel have opposed the proposal.

(c) Since the Government of India have not been informed officially about the proposals, the question of their reaction does not arise,

Reorganisation of Planning Commission

1387. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether any proposal for the reorganisation of Planning Commission and attached departments is under consideration of the Government;

(b) whether it is a fact that with the present structure of the Planning Commission plans cannot be successfully implemented; and

(c) if so, when a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Prime Minister Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of Exetranl-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) During discussion on the Final Report of the Administrative Reforms Commission on Machinery for Planning in this House on 19th April, 1968. I had informed the House that the Planning Commission has been reorganised.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Indian Interests in Israel

1388 **Shri Maharaj Singh Bharati :** **Shri S. S. Kothari :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state ;

(a) the country whose Embassy looks after the interests of India in Israel ;

(b) whether it is a fact that in the absence of direct relations, India is not able to derive the required benefit from the technical know-how of Israel ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The British Embassy in Tel-Aviv looks af er the interests of India in Israel;

(b) and (c) : The absence of direct relations with Israel has not worked to India's disadvantage.

Indian Help to U. A. R. for Oil Pipeline

1389 Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of External Affairs be pleased to state the nature of expertise and assistance given by Government to the U A.R Government in its work of laying an oil pipeline by connecting the Arabian sea and Mediterranean sea undertaken by them due to the closure of Suez Canal ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : No assistance has been provided by India to the UAR for this purpose.

रोडेशिया पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध

1390. श्री वासुदेवन नायर :
श्री घोरेश्वर कलिता :
श्री लताफत अली खां :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोडेशिया में श्री स्मिथ की श्वेत जातीय सरकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जाने का कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला ;

(ख) क्या सरकार समझती है कि उस देश में श्वेत अल्प संख्यक सरकार का अंत केवल बल प्रयोग द्वारा ही किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रोडेशिया में श्वेत अल्पसंख्यक अवैध सरकार का अन्त करने के हेतु भारत ब्रिटेन पर बल प्रयोग करने के लिए जोर डालेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य-मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : जी हां ।

(ख) : भारत सरकार का यह पक्का विचार है कि रोडेशिया में गैर कानूनी शासन को कारगर रूप से और जल्दी खत्म करने का एक ही तरीका है और वह यह कि ब्रिटेन शक्ति का प्रयोग करे ।

(ग) भारत ने हमेशा ऐसा ही किया है और ब्रिटेन पर इस बात का राजनयिक और नैतिक दबाव बराबर डालता रहेगा कि वह सभी सुलभ साधनों से, जिसमें शक्ति का प्रयोग भी सम्मिलित है, रोडेशियाई समस्या का न्यायोचित समाधान खोजे ।

आयुध कारखाने

1391. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये आयुध कारखानों में निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा-उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 5 नए आर्डनेन्स कारखानों में से 2 कारखानों ने बेरगांव और तिरुचिरापल्ली में उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया है। चन्दा, अम्बाझड़ी और जबलपुर में स्थित तीन कारखानों पर विकास कार्य विभिन्न स्तर पर है। इन के अतिरिक्त एक्सरेटिड फ्रीज ड्राइंग फैक्टरी ने जो कि एक विभागीय फैक्टरी भी है, पिछले महीने परीक्षण के रूप में उत्पादन कार्य आरम्भ किया।

(ख) ब्रिटेन और अमेरिका सरकारों द्वारा सैनिक सहायता स्थगित करने के फलस्वरूप आयात किए जाने वाले संयंत्र और मशीनें देर में उपलब्ध होने तथा सारी परियोजनाओं के पुनर्योजन की आवश्यकता चन्दा और अम्बाझड़ी परियोजनाओं में विलम्ब होने के मुख्य कारण हैं।

(ग) चन्दा में उत्पादन कार्य सीमित रूप में होना आरम्भ हो गया है लेकिन केवल 1969-70 के दौरान ही कारखाना सन्तोषजनक रूप में काम करना आरम्भ कर देगा। 1969 के मध्य से अम्बाझड़ी में उत्पादन कार्य विभिन्न प्रावस्थाओं में आरम्भ होने की योजना है। ऐसी आशा है कि व्हीकल फैक्टरी 1970 में उत्पादन कार्य आरम्भ करने लगेगा।

कानपुर में छोटे हथियार बनाने का कारखाना

1392. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में छोटे हथियार बनाने के कारखाने में निर्माण कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में जांच का आदेश दिया गया है?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा-उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

ईरान के माध्यम से रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

1393. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस द्वारा जो सैनिक उपकरण और विमान ईरान को दिये गये थे, वे हाल ही में पाकिस्तान भेज दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ईरान द्वारा रुसी उपकरणों की पाकिस्तान को सप्लाई के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

1394. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया की कब स्थापना की गई थी और इसके क्या उद्देश्य थे;

(ख) क्या परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कारखानों की स्थापना के लक्ष्य उत्पादन और विकास लक्ष्य प्राप्त हो गये थे और यदि हां, तो कब और कैसे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कारपोरेशन को स्थापित करने में कोई विदेशी सहयोग मिला था और यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने सहयोग दिया; सहयोग की शर्तें क्या थीं और सहायता के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या था ;

(घ) कारपोरेशन इस समय किन-किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और उत्पादन कितना है और क्या ये उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के थे;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या थे और उत्पादन का कितना भाग निर्यात किया गया था; और

(च) इस समय कारपोरेशन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार का विचार इनको किस प्रकार से दूर करने का है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति-मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० की स्थापना अप्रैल, 1967 में की गई थी । इसके उद्देश्य इलैक्ट्रानिक्स यन्त्र तथा प्रणालियां, इलैक्ट्रानिक पुर्जे तथा यंत्र नियंत्रकों और परमाणु शक्ति केन्द्रों के लिये कनपोत्रे का निर्माण करना है ।

(ख) मूल परियोजना प्रतिवेदन में, जो 1965 में तैयार किया गया था, 184 लाख रुपये का विनियोजन करने तथा 1968 तक 289 लाख रुपये का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया था । परियोजना पर कार्य केवल अप्रैल, 1967 में आर-

म्भ हो सका। 1967-68 में 19.55 लाख रुपये का उत्पादन हुआ था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में विलम्ब इस परियोजना के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन कर देने तथा इसकी क्रियान्विति देर से आरम्भ होने के कारण हुआ।

(ग) इस कारपोरेशन की स्थापना ट्राम्बे में विकसित की गई जानकारी के ही आधार पर की गई थी।

(घ) कारपोरेशन इनका उत्पादन कर रहा है :-

1. न्यूक्लीयर इलैक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेन्टस एण्ड सीसटम्स ;
2. इलैक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट; और
3. यन्त्र नियंत्रक तथा परमाणु शक्ति रिएक्टरों के लिये कनसोल्स

ये उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं।

(ङ) इसके आरम्भिक वर्ष 1967-68 में उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े इस प्रकार थे :-

उत्पादन	19,55,853	रुपये
बिक्री	9,01,665	रुपये

निर्यात बहुत ही कम हुआ है।

(च) इस कारपोरेशन को इस समय जिन कठिनाइयों का सामना हैं वे ऐसी हैं जो इस प्रकार के बड़े उपक्रमों की स्थापना करते समय सामान्यतया उत्पन्न हो जाया करती हैं जिनमें प्रोद्योगिकी बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही उच्च स्तर की होती है और बिक्री विशेषित विक्रेताओं को की जानी होती है।

इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड

1395. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड की कब स्थापना हुई और उसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे ;

(ख) क्या परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कारखानों की स्थापना के लक्ष्यों से उनके उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे हो गये थे ; और यदि हां, तो कब और कैसे, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कारपोरेशन को स्थापित करने में कोई विदेशी सहयोग मिला था और यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने सहयोग दिया; सहयोग की शर्तें क्या थीं और सहायता के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या था ;

(घ) कारपोरेशन इस समय किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और उत्पादन कितना है और क्या ये उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के थे ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या थे और उत्पादन का कितना भाग निर्यात किया गया था; और

(च) इस समय कारपोरेशन को किन किन-कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार का विचार इनको किस प्रकार से दूर करने का है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) से (च) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2210/68]**

प्रागा टूल्स लिमिटेड

1396. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रागा टूल्स लिमिटेड को कब चालू किया गया था इसके निदेशक बोर्ड के सदस्यों के क्या नाम थे और इस बोर्ड ने कितने समय तक कार्य किया ; और

(ख) वर्तमान निदेशक बोर्ड के सदस्यों और कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के क्या नाम हैं ; उन की नियुक्ति कब की गई थी और उन की सेवावधि और शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा-उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) : आवश्यक सूचना देते हुए एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2211/68]**

चौथी पंचवर्षीय योजना के क्षेत्रीय असंतुलन के लिए अध्ययन दल

1397. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दो अध्ययन दल नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, जो प्रत्येक अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या हैं; तथा वे किस-किस प्रकार का अध्ययन करेंगे ;

(ग) ये अध्ययन दल अपना कार्य सम्भवतः कब तक पूरा कर लेंगे ; और

(घ) क्या कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की 13 सितम्बर, 1968 को नई दिल्ली में बैठक हुई । समिति ने सिफारिश की कि क्षेत्रीय असंतुलन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए दो कार्यकारी दलों का गठन किया जाय । इनमें से एक पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कसौटी का निश्चय करेगा और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के छितराव को बढ़ावा देने के लिए राज्यकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों और महानगरीय व अन्य अत्यधिक औद्योगीकृत क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यकलापों की वृद्धि का संकेन्द्रीकरण

को हतोत्साहित करने के लिए अनुत्तेजन प्रदान करने का अध्ययन करेगा। ये कार्यकारी दल योजना आयोग द्वारा गठित किये गये हैं।

(ख) कार्यकारी दलों के सदस्यों के नाम दर्शाते हुए तथा उनके विचारणीय विषयों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2212/68]

(ग) कार्यकारी दलों से निवेदन किया गया है कि वे अपने प्रतिवेदनों को लगभग दो महीनों के अन्दर प्रस्तुत कर दें।

(घ) जी, नहीं।

फिल्म अभिनेत्री राजश्री

1398. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मोशन पिक्चर्स ऐसोसियेशन ने भारतीय फिल्म अभिनेत्री राजश्री को जो एक अमरीकी नागरिक से विवाह करके अमरीका चली गई है, भारत लौट कर फिल्म उद्योग में करार सम्बन्धी अपने अनेक दायित्वों को पूरा करने के हेतु राजी कराने के लिये उनकी तथा प्रधान मंत्री की मदद मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है और यदि हां तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, हां।

(ख) : सरकार ने इन्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन की प्रार्थना पर विचार किया है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि करार की किसी भी प्रतिज्ञा को भंग करने के लिये सम्बन्धित पक्ष के सम्मुख कानूनी उपाय उपलब्ध हैं और सरकार गैर सरकारी करारों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प

1399. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री ए० श्री धरन : **श्री क० लकप्पा :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित संकल्प में सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया गया है कि वे रूस की सरकार पर चैकोस्लोवाकिया से अपने सैनिकों को हटाने के लिये राजनयिक दबाव डाले ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ; और उसका क्या परिणाम रहा है?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) : जी नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

Diplomatic Relations Between India and China

1400. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **External-Affairs** be pleased to state :

(a) the level on which the diplomatic relations between India and China are maintained at present ;

(b) the benefit which have been achieved by maintaining these relations in the matter of eliminating inimical attitude of China towards India; and

(c) if there is no benefit to India by maintaining these relations, whether Government propose to consider the question of ending these relations with China ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Diplomatic relations between India and China are maintained at Embassy level at present. However, both the countries do not have resident ambassadors in their embassies which are headed by charged Affairs, a.i.

(b) While China's hostility towards India continues for the present severance of diplomatic relations is not likely to improve matters.

(c) Government consider it useful in the present circumstance to maintain direct contact with the Government of the People's Republic of China.

भारतीय पार-पत्र वाले एक अरब राष्ट्रजन द्वारा एक इसरायली विमान को उड़ा कर ले जाये जाने के मामले की जांच

1401. श्री हेम बरुआ : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पार-पत्र कांड की जांच कराई गई हैं जिसमें एक अरब राष्ट्रजन द्वारा, जिस के पास भारतीय पार-पत्र होने का आरोप है, एक इसरायली विमान को अल्जीयर्स तक उड़ा कर ले जाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा उस अरब राष्ट्रजन के पास भारतीय पारपत्र कैसे पहुंचा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : इस मामले में जांच अभी जारी है ।

लद्दाख क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कें

1402. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लद्दाख में 30-9-1968 तक सीमा-सड़कों को बनाने और उनकी मरम्मत आदि करने का जो काम हुआ वह इस प्रकार है :-

	मील
चट्टानों को काट कर सड़क बनाना (8 फुट से 20 फुट तक की विविध चौड़ाई)	617
पगडण्डियों/सड़कों की मरम्मत	31
सड़कों पर रोड़ी भराई का काम	237
सड़कों पर रोड़ी डालने का काम	237
सड़कों पर काली सतह बिछाने का काम	238

(ख) जी हां । सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस से प्रसारण

1403. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री हुकम चंद कछवाय :**
श्री राम किशन गुप्त : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस ने अपने भारत विरोधी प्रसारण पुनः आरम्भ कर दिये हैं ;

(ख) क्या उसने पुनः भारतीय राजनैतिक दलों की तीव्र आलोचना करनी शुरू कर दी है ;

(ग) क्या सरकार इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : पीस एण्ड प्रोग्रेस रेडियो स्टेशन भारत की कुछ राजनैतिक पार्टियों के खिलाफ अब भी बराबर प्रसारण करता रहता है। जैसा कि इस सदन में 24 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 709 और 21 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तरों में बताया जा चुका है, इनमें से कुछ प्रसारण आपत्तिजनक है ।

(ग) और (घ) : हमने भारत सोवियत संबंधों की दृष्टि से इन प्रसारणों की अवांछनीय प्रकृति की ओर सोवियत सरकार का ध्यान पुन. आकृष्ट किया है।

सोवियत सरकार ने हमारे विचारों को ध्यान में रख लिया है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पर व्यय

1404. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में स्थित मिशनों पर प्रति वर्ष भारी व्यय किया जाता है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में हमारे मिशनों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ग) क्या अपने मिशनों पर होने वाले व्यय में मितव्ययता करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ) : इस प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में विवरण सदन की मेज पर रख दिए गए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2213/68**] विदेशों में भारत के 98 मिशन और केन्द्र हैं। वर्ष 1968-69 में इनके लिए 10.38 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था है। बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद खर्च कम से कम रखने की यद्यपि बराबर कोशिश की जाती है, फिर भी, हमारे हितों, पारस्परिकता की आवश्यकताओं और आज संसार में हमारे देश की जो स्थिति है, उसके परिपेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो कुल खर्च होता है वह मुनासिब ही है। सावधिक निरीक्षण करके किफायत और दक्षता की आवश्यकताओं पर बराबर ध्यान रखा जाता है। विदेश-स्थित मिशनों के खर्च पर बराबर नियंत्रण रखने की व्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय विवरण संख्या 2 में दिया गया है।

सैनिक इंजीनियरी सेवा में स्थायिवत् अधिकारी

1405. श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 18 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4673 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये 1 मार्च 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक इंजीनियरी सेवा के ऐसे सभी स्थायिवत अधिकारियों को जो 1957 और इससे पहले से स्थायी होने के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे हैं; इस बीच स्थायी बना दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा शर्तों के अनुसार स्थायिवत् बनाये जाने के तीन वर्ष पश्चात् प्रत्येक अधिकारी को स्थायिवत् का दावा करने का अटल अधिकार है ; और

(ग) भविष्य में अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थायिवत् के दावों के इतने अधिक मामलों को इकट्ठा न होने देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) नियमों के अनुसार सभी सम्बद्धित मामलों में अस्थाई पदों को स्थाई बनाने के लिए तथा नए स्थाई पदों पर नियुक्त योग्य व्यक्तियों को उन पदों पर स्थाई बनाने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है । इस सम्बन्ध में सबसे सामयिक प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है और स्थिति में काफी सुधार भी हो चुका है ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिये नेपाल का उम्मीदवार होना

1406. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिये नेपाल के उम्मीदवार होने के बारे में अरब देशों द्वारा अपनाये गये रवैये की ओर दिलाया गया है; और

(ख) : यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : नेपाल 1 नवम्बर, 1968 को संयुक्त राष्ट्र महा-सभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में निर्वाचित कर लिया गया था । चूंकि मतदान गुप्त हुआ था, इसलिए अरब देशों के रवैये के विषय में मालूम नहीं हैं । बहरहाल, नेपाल को कुल 123 मतों में से 120 मत प्राप्त हुए थे ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

1407. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करने के लिये और इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का और इन पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिये तीसरी योजना अवधि में दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चौथी योजना अवधि में पिछड़े क्षेत्रों का और विकास करने के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया तथा बस्ती प्रभृति अन्य जिलों के लिये पटेल समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए कुछ संसद् सदस्यों द्वारा उन्हें कोई सुझाव दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 11 दिसम्बर 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 और 13 नवम्बर 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

राज्य क्षेत्र परियोजनाओं तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए तीसरी योजना में कितने लाइसेंस जारी किये गये इसके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) साधनों और तकनीकी सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र से विज्ञापन सम्बन्धी प्रसारण

1408. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी के किसी केन्द्र से विज्ञापन सम्बन्धी प्रसारण आरम्भ करने का है,

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह): (क) विविध भारती के लखनऊ-कानपुर केन्द्रों से वाणिज्यिक प्रसारण सेवा प्रारम्भ करने का इरादा है, परन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश के रेडियो केन्द्रों से कौनसी तारीख से वाणिज्यिक प्रसारण शुरू हो जायेंगे यह बताना सम्भव नहीं है। दिल्ली और मद्रास से वाणिज्यिक सेवा के चालू हो जाने के बाद ही उक्त केन्द्रों से यह सेवा प्रारम्भ करने की सम्भावना है।

चीन द्वारा भारतीय स्थल तथा वायु सीमाओं का अतिक्रमण

1409. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1968 से अक्तूबर, 1968 तक चीन द्वारा भारतीय स्थल सीमा और वायु सीमा का कितनी बार अतिक्रमण किया गया ; और

(ख) इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस अवधि के दौरान चीन ने केवल एक बार हमारे भूभाग का अतिक्रमण किया था। हवाई अतिक्रमण की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ साथ चीन सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा गया है।

Violations of Indian Territory and Air Space Committed by Pakistan

1410. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of Defence be pleased to State :

(a) the number of violations of Indian territory and air space committed by Pakistan so far after the Tashkent declaration ; and

(b) the action taken by Government against these violations ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) 210 land violations and 91 air violations were committed by Pakistan, up to 31.10,68 since the Tashkent Declaration. These included 1 8 land intrusions and 14 air intrusions across the Ceasefire Line.

(b) Cease-fire violation complaints have been lodged with the UN Observers in respect of violations across the cease-fire line and protests have been lodged in regard to other violations. In addition, the borders/C. F.L. continue to be patrolled by our security forces.

Military and to Pakistan

1411. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Sitaram Kesri : **Shri N. K. Sanghi :**
Shri D. N. P. Todia : **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Shri Y. A. Prasad**
Shri R. Barua :

Will the Minister of Defence be pleased to State :

(a) the quantum and types of arms received by Pakistan from U. S. S. R., Italy, China, member countries of NATO and CEATO and U. S. A. from the lst August, 1968 so far according to information available with Government;

(b) the steps being taken by Government to protest against the arms being supplied to Pakistan by other countries ; and

(c) the action taken to meet the danger arising out of this increased supply of arms to Pakistan ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c): it will not be in the public interest to disclose our information on the details of arms Received by Pakistan in the last 3 or 4 months. Government are alive to the situation created by the military build-up of Pakistan armed forces.

Pakistan Battalions in Indian Army Uniform

1412. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Defence be pleased to State :

(a) Whether Government are aware that the Pakistan Government have raised two battalions which are using the same uniform which is being used by the Indian Army regularly ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh). (a) Government have no reliable information on this.

(b) Does not arise.

Pak. Military Construction in Occupied Kashmir

1413. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to State :

(a) Whether it is a fact that the Government of Pakistan have constructed a 40-mile underground road connecting Chhamb, Akhnoor and a Pakistani cantonment in the area of Kashmir under illegal occupation ;

(b) whether it is also a fact that military transportation through this secret way has been started between Khadial and Sialkot Cantonments ;

(c) whether Government consider any construction by Pakistan in the Pakistan-occupied Kashmir as illegal : and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b): Chamb and Akhnur are on our side of the Cease Fire Line and there is no question of Pakistan constructing a secret underground road connecting the two.

(c) and (d) : Where activities in Pakistan occupied Kashmir violate the Ceas-efire Agreement, complaints are lodged with the UN Observers. Pakistani military activities are also watched and taken note of in our own operational planning.

संयुक्त राष्ट्र महासभा की विषय सूची में चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न को शामिल किया जाना

1414 **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र महासभा की विषय सूची में शामिल किये जाने का विरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यह विरोध इस बात का सूचक है कि चैकोस्लोवाकिया और रूस के विवाद में उसकी नीति में परिवर्तन हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की नीति में परिवर्तन के क्या कारण है ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो चेकोस्लोवाकिया के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र महासभा की विषय सूची में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू और कश्मीर की चौथी योजना

1415 **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर की पूरी चौथी योजना के लिये वित्तीय सहायता देने का हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार किसी अन्य राज्य की पूरी चौथी योजना के लिये वित्तीय सहायता देने का है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्य / राज्यों के क्या नाम हैं जिनको पूरी चौथी योजना के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार वित्तीय सहायता देने का है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो जम्मू और कश्मीर के मामले में विशेष अधिमान देने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख): राज्यों के चौथी योजना के प्रस्ताव, जिनमें जम्मू और काश्मीर के प्रस्ताव भी शामिल हैं, अभी विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में आसाम राइफल्स के सैनिकों द्वारा मार-पीट

1416. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राइफल्स के कुछ सैनिकों ने जो चाकुओं तथा लाठियों से लैस थे, 1 अक्तूबर, 1968 को वाराणसी की लहरतारा रेलवे कालोनी के निवासियों पर हमला किया और बहुत से निवासियों पर हमला किया और बहुत से निवासियों को जख्मी किया और उनके घरों को लूट लिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना के बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले है ; और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) से (ग) : 30सितम्बर, 1968 को वाराणसी में सिवीलियनों और आसाम रेजीमेंट के सैनिकों के बीच एक झड़प हुई थी। इस घटना की जांच के लिए एक जांच-अदालत बिठाई गई। इस अदालत ने इस झड़प में किसी न किसी रूप में भाग लेने के लिए बहुत से सैनिकों को दोषी पाया। 2 जूनियर कमीशंड अफसरों को अपने अधिकारों का समुचित उपयोग न करने का दोषी पाया। अगर वे उनका ठीक उपयोग

करते तो उससे स्थिति विगड़ने से बच जाती । जांच अदालत की रिपोर्ट पर सम्बन्धित उच्चतम सैनिक अधिकारी समुचित अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु विचार कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, पुलिस ने भी मामले की जांच पड़ताल करने का काम प्रारम्भ कर लिया है और उनके अनुरोध पर उनकी जांच के परिणामों के निकलने तक के लिए 20 सैनिक कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है ।

Replies to Protest Notes Sent to China and Pakistan

1417. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4068 on the 11th November, 1968 and state :

(a) whether the reply has since been received from the Government of China on the protest note on Sinkiang-Gilgit road sent to them ; and

(b) if so, the contents thereof and the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सीमावर्ती सड़क निर्माण कार्यक्रम

1418. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती सड़कों का निर्माण कार्य सन्तोषजनक रूप से चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसका किस सीमा तक पूरा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सीमावर्ती सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) से (ग) : बोर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के अभी शीघ्र आरम्भ होने वाले कार्यक्रम में 4273 मील नई सड़कों को बनाने और 2887 मील वर्तमान मार्गों/सड़कों की मरम्मत करने का काम शामिल हैं । 30 सितम्बर, 1968 तक जितना काम हुआ वह निम्नलिखित है :–

3014 मील नई सड़कें (8 फुट से 20 फुट तक चौड़ी) बनाई गई । वर्तमान सड़कों की मरम्मत पर जितना काम हुआ है उसकी प्रगति रेखिक रूप में बताना कठिन है । फिर भी ऐसा जायजा लिया गया है कि लगभग 2300 मील सड़क पर मरम्मत का कार्य पूरा किया गया है । वर्तमान उपलब्ध साधनों, धनराशि और सड़क निर्माण के कुछ सीमित समयावधि के अन्तर्निहित सीमा, और सड़क पर काम होते रहने के साथ-साथ सड़कों पर लगातार यातायत होते रहने की कठिनाई आदि को ध्यान मे रखते हुए, सड़क निर्माण कार्य में समग्ररूप से जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक है । ऐसी आशा है कि सड़क का निर्माण और उनकी मरम्मत का काम जो कि अभी शीघ्र आरम्भ होने वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत होना है, अगले चार पांच वर्षों

में पूरा हो जायेगा । कुछ स्थाई पुलों को बनने में थोड़ा और अधिक समय लग जाने की आशा है ।

'Yoma Dafa' Day in Pakistan

1419. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. Barua :
Shri N. R. Laskar :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that high range missiles were exhibited in the parade organised on the day of 'Yoma Dafa' in Pakistan on the 6th September, 1968 ;

(b) if so, whether the information available with Government in regard to the fact as to whether Pakistan have received these arms from U. S. S R., China or U. S. A., and

(c) Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) (a) and (b) : According to our information, air-to-air Side-winder missiles were displayed on this occasion. These missiles are known to be of US origin.

(c) As far as we know, these missiles have been in Pakistan's possession for some time. The Government are aware of Pakistan's arms build-up and have taken adequate steps to safeguard our security.

वियतनाम में अमरीकी विमानों द्वारा नागरिकों पर बमबारी

1420 **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर 1968 को हनोई रेडियों के उप प्रसारण की ओर दिलाया गया है कि सैगोन से लगभग 32·1 किलोमीटर पूर्व अमरीकी बमबारों ने लगभग 360 व्यक्तियों को, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे, मार दिया, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समय, जबकि वियतनाम में शान्ति के लिये वार्ता अभी पेरिस में चल रही है अमरीकी बमबारों द्वारा नागरिकों पर इस बमबारी के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) और (ख): 21 सितम्बर, 1968 को हनोई रेडियो के प्रसारण की विषय वस्तु के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है । भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका का उत्तर वियतनाम पर बमबारी रोकने की घोषणा का स्वागत किया है और उम्मीद करती है कि इसमें दोनों देशों के बीच संघर्ष कम होगा ।

फिल्म परिषद

1421. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एक फिल्म परिषद् स्थापित किये जाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो परिषद् के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसके कृत्य क्या होंगे, और

(ग) वे वास्तविक परिस्थितियां क्या है जिनके कारण परिषद् की स्थापना की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) जी, हां

(ख) अभी ब्योरा तय किया जाना जाना है ।

(ग) फिल्म जांच समिति की सिफारिश के अनुसार तथा पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर, विशेषकर फिल्म उद्योग में हाल ही में जिस संकट का अनुभव किया गया है, उसको देखकर फिल्म उद्योग के समन्वित बहुमुखी विकास व्यापारिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक, को उन्नत करने के लिये एक उच्चस्तरीय वैधानिक संगठन स्थापित करना जरूरी समझा गया है ।

बीकानेर डिवीजन में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

1422. **डा० कर्णी सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीजन में राज्य गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख): राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है । उसके प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ

1423. **श्री रवि राय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि वह भविष्य में अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ से कोई संबंध नहीं रखेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के रक्षा प्रतिष्ठानों में हड़ताल न होने देने के उद्देश से 13 सितम्बर, 1968 को जारी की गई अधिसूचना के साथ पढ़े जाने वाले अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 के विपरीत सितम्बर, 1968 में गैरकानूनी हड़ताल में भाग लेने वाले संघ के प्रसंग में यह निर्णय लिया गया था ।

Discrepancy in Land Statistics of U. P.

1424. **Shri Molahu Prasad** : Will the Prime Minister be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4012 on the 14th August, 1968 regarding discrepancy in land statistics of U. P. and state ;

(a) the names of the areas and total acreage of land belonging to Delhi and Haryana included in Uttar Pradesh due to an error which crept into the figures inadvertently according to the State Government and the names of officers and employees responsible for the said error ; and

(b) the action taken so far or proposed to be taken agairst those officers and employees who were responsible for giving wrong information to Government and the people in the issue of 1962 Annual Report ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy Minister of Planing and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : Information in respect of the areas in question is being collected, However, since the error had crept in inadvertently, no question of any action against the officials responsible arises.

Scheduled castes and Scheduled Tribes Employees in Departments under Prime Minister

1425. Shri Molahu Prasad : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 4110 on the 14th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other castes employees in the Ministry and Departments under her has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for the delay ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs(Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information is contained in the statements (I to V). laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-2214/68]**

1965 के हिन्दुस्तान-पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये अधिकारियों तथा जवानों के परिवारों को विशेष पेंशन के लाभ

1426. श्री ज्योतिर्मय वसु : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री उमानाथ : **श्री के० रमानी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि 1965 में पाकिस्तान से हुए संघर्षों में मारे गये अधिकारियों और जवानों के परिवारों को 7 वर्ष तक उनके (मृतकों) वेतन के 2/3 के बराबर पेंशन दी गई है और उसके बाद उन्हें सामान्य दर से डेढ़ गुना-अधिक पेंशन मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये विशेष पेंशन के लाभ उन अधिकारियों के परिवारों को भी दिये जायेंगे जो 1965 में कच्छ, 1962 में भारत-चीन संघर्ष, मई 1965 में कारगिल क्षेत्र में हुई मुठभेड़ों और 16 सितम्बर, 1965 या इसके बाद नागा पहाड़ियों या मिजो पहाड़ियों में हुई मुठभेड़ों में मारे गये थे ;

(ग) उक्त संघर्षों में मारे गये अधिकारियों और जवानों के कितने परिवारों को विशेष पेंशन के लाभ मिल रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1965 में पूर्व नागा पहाड़ियों में मारे गये अधिकारियों और जवानों के परिवारों के अतिरिक्त अन्य सब परिवार इस विशेष पेंशन लाभ के अन्तर्गत आते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उनको विशेष पेंशन के लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) उनको भी विशेष पेंशन के लाभ देने के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी हां। अफसरों को छोड़ कर अन्य कार्मिकों के मामले में 7 वर्ष के बाद विशेष पारिवारिक पेंन्शन के रूप में सामान्य रूप से दी जाने वाली पेन्शन का दुगना दिया जाता है।

(ख) से (घ): जिन मामलों में बढ़ी हुई दर पर पारिवाररिक पेन्शन मंजूर की गई है, वे निम्नलिखित हैं :-

अफसर	119
जवान	6084

यह लाभ निम्नलिखित को भी दिया गया है :-

(1) मई, 1965 में कच्छ और कारगिल संक्रियाओं के दौरान मृत्यु प्राप्त सैनिक अफसरों और कार्मिकों के परिवार।

(2) 16-9-1966 के बाद नागा और मीजो जैसे सशस्त्र उपद्रवियों के साथ हुई मुठभेड़ में जिनकी मृत्यु हुई थी।

(3) 1962 में चीनी अतिक्रमण के फलस्वरूप जिनकी मृत्यु हुई थी (17-9-65 से यह लाभ मिलना शुरू होगा। यह वह तारीख है जिस पर इस वर्ग के कार्मिकों को यह लाभ देने के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए थे)

(ङ) तथा (च) : इस प्रकार के आदेश इस स्थिति में सामान्यतया बाद की तारीख से लागू होते हैं जब कि विशेषरूप से आदेश में यह न लिखा गया हो कि वे पूर्व तिथि से लागू होंगे। इस मामले में प्रशासकीय रूप से ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका था। अगर इस लाभ को उल्लिखित वर्ग वालों को भी देने का निर्णय किया होता तो उस स्थिति में कितनी धन राशि की आवश्यकता होती, इसका कोई हिसाब नहीं लगाया गया है।

Chines Embassy officials held Guilty

1427. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Chinese Officers of the Chinese Embassy were held guilty in the case of confinement of a constable of the Delhi Police in the Chinese Embassy on the 6th March, 1968 ;

(b) if so, the action taken by her Ministry against the said officers ; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefore ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) In paragraph 29 of its judgment the Court of Shri Harsh Gupta, observed that two Chinese officials, Mr. Chou Ping-yi and Mr. Chen Yung Cheng, were also responsible along with the accused Mr. Kafil Ahmed in wrongfully confining constable Ghansham Parshad inside the Chinese Embassy. However, there is no mention about the Chinese-Embassy officials in the order of the Court.

(b) and (c) : The accused in the case have preferred an appeal against their conviction in the Court of Additional Session Judge Delhi on 10.10.1968. The matter is still pending with the ourt of Additional Sessions Judge, Delhi and is therefore sub-judice.

Visit by Sikh Pilgrims to Pakistan

1428. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Government have not permitted a group of Sikhs to visit Shri Darbar Sahib Nirankari and Shri Dayalsar in Rawalpindi this year; and

(b) if so, the action taken by Government to secure the right of worship there for Indians and for the safety of these religious places ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have lodged a protest with the Pakistan Government and have reminded them of their obligations under the Indo-Pakistan Agreements of 1953 and 1955, in which thy have undertaken to provide facilities for pilgrims desiring to visit holy shrines in Pakistan.

कुछ दैनिक समाचारपत्रों के मूल्य

1429. **श्री लोबो प्रभू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 21 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उस में उल्लिखित पांच प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में से प्रत्येक का मूल्य 1 अप्रैल, 1947 को क्या था और उन का वर्तमान मूल्य क्या है,

(ख) क्या सरकार ने इस अवधि में उन के मूल्यों में में वृद्धि के कारणों की जांच की है,

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण है, और

(घ) क्या सरकार का समाचारपत्र सलाहकार परिषद् अथवा किसी अन्य उचित निर्णय के माध्यम से इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) और बातों के साथ साथ समाचार-पत्रों के मूल्य सम्बन्धी जानकारी प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 से 1955 में हुए संशोधन के बाद एकत्र की जाने लगी थी । संशोधित अधिनियम 1 जुलाई, 1956 से लागू हुआ था । अतः समाचार पत्रों के मूल्य सम्बन्धी उस तारीख से पहले की

जानकारी सुलभ नहीं है । 1 जुलाई 1956 और 1 नवम्बर, 1968 के दिन की जानकारी इस प्रकार है :–

दैनिक पत्र का नाम	1 जुलाई, 1956 के दिन मूल्य रूपए. आने. पाई	1 नवम्बर, 1968 के दिन मूल्य रूपये पैसे
1. टाइम्स आफ इन्डिया		
बम्बई	0–2–6	0–20
दिल्ली	0–2–6	0–18
*अहमदाबाद	–	0–20
2. स्टेट्समेन–		
दिल्ली	0–2–6	0–18
कलकता	0–2–6	0–18
3. हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	0–1–6	0–15
4. इन्डियन एक्सप्रैस–दिल्ली	0–1–6	0–15
बम्बई	0–1–6	0–15
मद्रास	0–1–6	0–15
* मदुराई	–	0–15
*बिजयबाड़ा	–	0–15
*बंगलोर	–	0–15
*अहमदाबाद	–	0–15
5. हिन्दू, मद्रास	0–2–0	0–18

*1956 में अस्तित्व नहीं थे ।

(ख), से (घ) : यह वृद्धि मजदूरी और छपाई, आदि की लागत में सामान्य कुल वृद्धि के कारण है ।

रोजगार के अवसर

1430. **श्री लोबो प्रभू** : क्या प्रधान मंत्री 24 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना में नगरीय क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों की तुलना में ग्रामों में रोज़गार के अनुमानत: कितने अवसर बनाये गये ; और

(ख) नगरीय क्षेत्र में योजना पर होने वाले व्यय को ग्रामीण क्षेत्रों में लगा कर विषमता दूर न करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी): (क) और (ख): तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में गांवों तथा शहरों में कितने रोजगार के अवसर निर्मित हुए, इस सम्बन्ध में पृथक पृथक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि योजना अवधि में गांवों तथा शहरों में पृथक-पृथक कितना विनियोजन किया गया, इस सम्बन्ध में ठीक ठीक विश्लेषण करना सम्भव नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह अंकित किया गया है कि तीसरी योजना अवधि के दौरान लगभग एक करोड़ पैंतालीस लाख रोजगार के अवसर निर्मित हुए। इसमें से एक करोड़ पांच लाख कृष्येतर व्यवसायों में थे और बाकी चालीस लाख कृषि व्यवसाय में थे। योजना आयोग ने अगस्त, 1968 में बेरोजगार प्राक्कलन के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और यह समिति अन्य बातों के अलावा योजना आयोग द्वारा अपनाए गए रोजगार निर्माण के प्राक्कलन की प्रणाली की भी जांच करेगा तथा सुधार के लिए सुझाव देगा। इनकी सिफारिशें उपलब्ध होने में अभी कुछ समय लगेगा। संभव है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर ऊपर संदर्भित आंकड़ों में कुछ संशोधन हो।

पूर्व योजनाओं में कृषि उत्पादन के विविधीकरण, ग्रामीण बिजलीकरण ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के विकास, ग्रामीण परिवहन और संचार सुविधाओं तथा समाज सेवा, सुविधाओं द्वारा गांवों की अर्थ--व्यवस्था के विकास पर काफी बल दिया गया है और चौथी योजना में भी इस बात पर बल दिया जाता रहेगा। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित अधिकांश बड़े तथ मझोले उद्योग कम्पलेक्सिस ग्रामीण क्षेत्रों मेंस्थातिप किये गये और चौथी योजना अवधि में भी इस प्रकार की कई परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के समस्त विकास में सहायता मिलेगी।

पाकिस्तान द्वारा चीन के सम्मुख चटगांव में अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा जाना

1432. श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश नौसेना के हिंद महासागर में सिंगापुर आदि के सामरिक महत्व के अड्डों में चले जाने के फलस्वरुप शुन्य पैदा हो जायेगा जिससे हमारे देश को चीन और पाकिस्तान से खतरा हो जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये चीन के सम्मुख चिटगांव में अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस खतरे का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने स्वेज पूर्व-वर्ती क्षेत्रों से हट जाने का जो निर्णय किया है उससे हिंद महासागर में रिक्तता आ जाएगी।

(ख) इस संबंध में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अधिक शक्ति वाले मिडियम वेव ट्रांस्मीटर

1433. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विरुद्ध चीनी तथा पाकिस्तानी प्रचार को निस्प्रभावी बनाने के लिये कुछ अधिक शक्तिशाली मध्यम तरंग (मिडियम वेव) के ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अधिक शक्तिशाली दो मिडियम वेव ट्रांसमीटर एक कलकत्ता के निकट और दूसरा राजकोट के निकट लगाये जा रहे हैं। पूर्वोन्ह की 1968-69 के अन्त तक लग जाने की आशा है और उत्तरोक्त की 1969-70 के मध्य तक। कलकत्ता का ट्रांसमीटर पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों और उत्तर में सीमित अवधि के लिए पड़ौसी देशों को रात के समय मिडियम वेव सेवा देने के लिए है। राजकोट का ट्रांसमीटर पश्चिम एशिया में पड़ौसी देशों को रात के समय सेवा देने के लिए है।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी चलती-फिरती प्रदर्शनी

1434. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने उनके मन्त्रालय के सहयोग से रेलगाडी में एक 'प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनी' आयोजित की है;

(ख) प्रदर्शनी आयोजित करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) प्रदर्शनी की गाड़ी किन-किन स्थानों पर रुकेगी;

(घ) प्रदर्शनी के सम्बन्ध में कुल व्यय का अनुमान क्या है;

(ङ) क्या यह महत्वपूर्ण ग्रामीण स्टेशनों पर प्रदर्शनी की गाड़ी रोक कर देश के ग्रामीणों को भी इस चलती फिरती प्रतिरक्षा प्रदर्शनी को देखने का अवसर दिया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। दो प्रदर्शनी गाड़ियां प्रारम्भ की गई हैं, एक बड़ी लाईन पर और दूसरी छोटी पर।

(ख) रक्षा चेतना जागृत करने तथा आक्रमण का मुकाबला करने का देश के लोगों में आत्म-विश्वास में वृद्धि करने के लिये।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रखा गया है जिससे उन स्टेशनों, जहां दोनों गाड़ियां जा चुकी है या जानी है, के नाम दिये गये है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2215/68)।

(घ) लगभग 45 लाख रुपये ।

(ङ) तथा (च): जिन स्टेशनों पर गाड़ियां खड़ी होती है उनके पास के गांवों के लोग इन दो गाड़ियों की प्रदर्शनी को देखने आते हैं । ऐसे ग्रामीण स्टेशनों में प्रदर्शनी गाड़ियां रोकना सम्भव नहीं है जहां स्थायी प्रबन्ध नहीं है ।

बागवानी तथा कृषि के विकास के लिये नेपाल की सहायता

1435. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के साथ कोई करार किया है जिसके अन्तर्गत भारत इस वर्ष नेपाल में बागवानी के विकास के लिये 27 लाख रुपये और कृषि के विकास के लिये 17 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता देगा; और

(ख) यदि हां, तो इस करार का ब्यौरा क्या है और यह सहायता किस रूप में की जायेगी ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख): नेपाल को दी गई अतिरिक्त सहायता से सबद्ध जानकारी सदन को 21 फरवरी, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर में दी गयी थी । इस सहायता में से लगभग 24 लाख रुपये बागवानी और कृषि के विकास पर खर्च किए जाने की उम्मीद है । इस क्षेत्र की सहायता में फलों और अनाजों के उन्नत किस्म के बीजों के क्रय और वितरण कुक्कट और मवेशी की सप्लाई और नए बागवानी केन्द्र खोलने आदि के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है ।

"कार्य संचालन सम्बन्धी अनुसन्धान (आप्रेशनल रिसर्च) चलचित्र

1436. श्री बाबूराव पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कहने पर बनायी गयी 'कार्य संचालन सम्बन्धी अनुसंधान' (आप्रेशनल रिसर्च) शीर्षक चलचित्र को चलचित्र सलाहकार बोर्ड द्वारा किन कारणों से अस्वीकार कर दिया गया;

(ख) फिल्म डिवीजन द्वारा अन्त में किन शर्तों पर यह चलचित्र बनाने की अनुमति दी गई थी और चलचित्र तथा इसकी प्रतियां बनाने पर कितनी लागत आयी थी, और

(ग) चलचित्र के निर्माण तथा वितरण पर लागत का कितना भाग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा दिया गया और क्या इस राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) फिल्म सलाहकार बोर्ड शार्ट फिल्मों का सिनेमाघरों में आवश्यक रिलीज के लिये उनकी उपयुक्तता को निश्चित करने के दृष्टिकोण से देखता है । 'कार्य संचालन सम्बन्धी अनुसन्धान' (आप्रेशनल रिसर्च) फिल्म

को देखने के उपरान्त, बोर्ड ने यह देखा कि वह इस प्रकार की रिलीज के लिये उपयुक्त नहीं है क्यों कि इसमें अनेक विचारों की भरमार है और इसे उलझन पूर्ण पाकर एक साधारण दर्शक के सम्भ्रान्ति में पड़ जाने की सम्भावना है।

(ख) पहले यह फिल्म शैक्षणिक, अध्यापन तथा प्रशिक्षण कार्यों के लिये सीमित दर्शकों के लिये थी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के कहने पर यह फिल्म, फिल्म सलाहकार बोर्ड को दिखाई गई ताकि यह बात देखी जा सके क्या ये फिल्म आम जनता को भी दिखाई जा सकती है या नहीं ? अन्ततः फिल्म को पहले के उद्देश्य के लिये ही पूरा करने के लिये आज्ञा दी गई। इसके बनने में लगभग 58,290 रुपये लागत आई है। अभी सर्कुलेशन प्रिन्ट नहीं बनाये गये हैं।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को फिल्म के निर्माण का कोई खर्चा नहीं देना पड़ा। तथापि, इसको उन प्रिन्टों की कीमत देनी होगी जो यह फिल्म प्रभाग से खरीदने का निर्णय करेंगे।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में कार्य करने वाले चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञ

1437. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री श्राकर सूपकार :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चैकोस्लोवाकिया के उन सात विशेषज्ञों के, जो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कार्य कर रहे थे और प्राग पर रूसी कब्जा हो जाने के बाद अपने ठेके के समाप्त होने से पहले अक्समात ही यहां से चले गये थे, उनके नाम तथा पद क्या हैं;

(ख) उक्त सात विशेषज्ञ किन परियोजनाओं में कार्य कर रहे थे और प्रत्येक मामले में ठेके की अवशेष अवधि कितनी है;

(ग) ठेके की अवधि पूरी न करने के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या विशेषज्ञों ने बीच में ही कार्य छोड़ने के बारे में सूचना दी थी और कब;

(ङ) विशेषज्ञों के भारत सरकार का काम बीच में ही छोड़ देने तथा कनेडा में दाखले के पर्मिट प्राप्त करने के क्या कारण थे; और

(च) क्या किसी विदेशी सरकार के लिये भारतीय भूमि पर किसी अन्य विदेशी राष्ट्रजन को देश छोड़ने की सुविधायें देना उचित है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया**। देखिये संख्या एल० टी० 2216/68]।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि ठीक-ठीक कितना नुकसान हुआ है, लेकिन काम में कुछ गड़बड़ी होगी जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

(घ) इन विशेषज्ञों ने 4 अक्तूबर, 1968 को जब कि, वे छुट्टी पर दिल्ली में थे, भारत छोड़ने के अपने निर्णय की सूचना दी।

(ङ) जैसा कि उन्होंने स्वयं ही बताया है, उन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय अपने देश की राजनीतिक स्थिति के कारण लिया।

(च) जी नहीं। भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि वह किसी विदेशी सरकार को दूसरे देशों के राष्ट्रिकों को भारतीय भूमि पर छोड़ने की सुविधा देने की इजाजत दे।

विदेश में गाडगिल मिशन

1438. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में सोवियत ब्लाक के देशों का दौरा करके स्वदेश लौटे गाडगिल मिशन की यह धारणा बनी है कि साम्यवादी देशों से औद्योगिक कच्चे माल के आने की तत्काल कोई सम्भावना नहीं है तथा इस आधार पर मिशन का यह मत है कि देश के व्यापार को रुपये में भुगतान के व्यापार के सरल तरीके को अपनाने नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि इससे देश की भुगतान क्षमता सुधारने में सहायता नहीं मिलेगी;

(ख) क्या इस बारे में वाणिज्य तथा वित्त मन्त्रालयों के मत भिन्न-भिन्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों मन्त्रालयों के मत क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर में 13 नवम्बर, 1968 को सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

प्रतिरक्षा के सामान के लिये विदेशों को क्रयादेश

1439. **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा की वस्तुओं के लिये विदेशों को क्रयादेश देने से पहले यह पता लगाने की, कौन-कौन सी वस्तुएं देश में बनाई जा सकती हैं, कोई व्यवस्था है;

(ख) क्या प्रतिरक्षा की जिन वस्तुओं का विदेशों में क्रयादेश दिया गया है, उनकी देश के अन्दर निर्माण क्षमता का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) पिछले वर्ष आयात तथा सरकारी क्षेत्र के उत्पादन की तुलना में देश के अन्दर गैर-सरकारी क्षेत्र में शस्त्रास्त्रों का कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा-उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख): जी हां।

(ग) निजी क्षेत्र के कारखानों में सभी प्रकार के हथियार नहीं बनाए जाते । लेकिन वहां काफी बड़ी संख्या में उनके हिस्से पुर्जों के बनाने की व्यवस्था करदी गई है । सरकारी क्षेत्र के कारखानों में होने वाले उत्पादन और आयात की जाने वाली मदों की तुलना में निजी क्षेत्र के कारखानों में बनने वाली मदों का प्रतिशत बताना जनहित में नहीं होगा ।

सीमा सड़कों का निर्माण

1440. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सीमा सड़कों के निर्माण के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) अब तक इसमें से कितनी राशि व्यय की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख): चालू वर्ष में बोर्डर रोड डेवलप मेंट बोर्ड के कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिये कुल 48,53,44,000 रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमें से इस वर्ष के अन्तर्गत 31 अगस्त, 1968 तक कुल 10,25, 12,000 रुपए व्यय हो चुके हैं ;

हंगरी से निकाले गये भारतीय पत्रकार

1441. **श्री सी० के० चक्रपाणी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री के० रमानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में कुछ भारतीय पत्रकारों को कुछ पर्चियां बांटने के कारण हंगरी से निकाल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो पत्रकारों के नाम क्या हैं और वे किन संगठनों अथवा समाचार पत्रों से संबद्ध हैं;

(ग) क्या सरकार को हंगरी सरकार से इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ङ): सुलभ सूचना के अनुसार हंगेरियाई सरकार ने सिर्फ एक भारतीय को निकाला था जिसका नाम श्री सतीश कुमार था । पूछताछ करने पर हंगेरियाई प्राधिकारियों ने हमें सूचित किया है कि श्री सतीश कुमार को बूडापेस्ट में गिरफ्तार किया गया था और 'हंगेरियाई कानून तोड़ कर इश्तहार और पर्चे बांटने के लिए' देश से निकाला गया है ।

श्री सतीश कुमार 'विग्रह' नामक एक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन/संपादन करते थे। यह नहीं मालूम कि उनका अब भी इससे कोई संबंध है या नहीं।

Nishan Brake Shoes

1442. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jabalpur Gun Carriage Factory had placed orders for the supply of Nishan Brake shoes with M/s Krishna Engineering Corporation, Suttur Phalia, Delhi Gate, Surat around 1963;

(b) whether the management of the Factory had ascertained the antecedents of the firm before placing the orders with the firm;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) the value of such order;

(e) whether this order has been supplied; and

(f) if not, the action taken against the firm ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministery of Defence (Shri L. N. Mishra) (a) to (f): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सैनिक अधिकारियों के निवास स्थानों पर कार्य करने वाले जवानों की सेवा की शर्तें

1443. श्री मधु लिमये : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन जवानों को जो सैनिक अधिकारियों के कर्मचारियों के रूप में कार्य करने की सेवा की शर्तें स्वीकार करने से इन्कार करते हैं, उन चिढ़े हुए अधिकारियों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से कष्ट पहुँचाया जाता है;

(ख) जितना ईंधन भत्ता जवानों को नकदी में या किसी अन्य रूप में मिलता है, क्या वह उन्हें महीने भर के लिये दिये गये अनाज को पकाने के लिये पर्याप्त होता है;

(ग) क्या यह सच है कि ईंधन भत्ता अपर्याप्त होने के कारण जवानों को अपने स्थान से दूर रहने और अवैध रूप से जंगलों से लकड़ी काटने के लिये विवश होना पड़ता है;

(घ) क्या पुराने कपड़ों और कम्बलों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं को लौटाने के बारे में, जिन्हें निर्धारित अवधि के बाद जवान वापिस करके नई वस्तुएं लेते हैं, अनेक कदाचार होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ङ) क्या ऐसी पुरानी वस्तुओं के सम्बन्ध में कदाचार मुख्य रूप से कम्बलों और शीत-कालीन कपड़ों के बारे में होते हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई आरोप सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) जवानों के लिये राशन में ईंधन की जो मात्रा निर्धारित है वह पर्याप्त है। राशन न लेने पर जवान को जो राशन भत्ता दिया जाता है, उसमें ईंधन के लिए व्यवस्था रहती है, वह राशन भत्ता भी पर्याप्त होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास परिषद

1444. **श्री गाडिलिगन गौड :** क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास परिषद् का वर्तमान गठन सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इसका पुनर्गठन कब किया जायेगा।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) मई, 1967 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद् के गठन में थोड़ा फेर-बदल किया गया था जिससे कि बाहर से भी दो और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों को उस परिषद में शामिल किया जा सके। परिषद जिस प्रकार से अब गठित है उसमें काफी विशेषज्ञ हैं और वह वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास कार्यों के सम्बन्ध में निर्देश देने और उनमें समन्वय बनाये रखने के अपने काम में काफी सक्षम है। अतः पुनर्गठित करने का कोई विचार नहीं है।

प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास परिषद

1445. **श्री गाडिलिगन गौड :** क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास परिषद तथा कार्यकारी समिति को सचिवालय सम्बन्धी अपर्याप्त सहायता मिलने के कारण उनका काम कुशलता से नहीं चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद और उसकी कार्यकारी समिति को रक्षा उत्पादन विभाग सचिवालय सम्बन्धी सहायता देता है। यह व्यवस्था काफी सन्तोषजनक समझी गई है।

बम्बई और कलकत्ता से वाणिज्यिक प्रसारण

1446. **श्री देवराव पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई की वाणिज्यिक प्रसारण सेवा और कलकत्ता की वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के बीच किस प्रकार का अन्तर है और इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : बम्बई और कलकत्ता की वाणिज्यिक प्रसारण सेवाओं में कोई अन्तर नहीं है ।

New Tax in Danapur Cantonment Area

1447. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Danapur Centonment Board has decided to realise monthly from their tax payers some new tax besides water tax under the same head;

(b) if so, the nomenclature of the tax and the amount proposed to be realised monthly; and

(c) the justification thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No such new tax has been levied or decided to be levied.

(b) and (c) : Do not arise.

श्रीलंका छोड़ने वाले भारतीय

1448. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका छोड़ कर जाने वाले भारतीयों को उनकी बचत का एक बड़ा भाग निरुद्ध खातों में वहीं पीछे छोड़ने पर बाध्य किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रीलंका सरकार की व्यापार के वहीं के लोगों के हाथों में रहने देने की नीति से भारतीयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में श्रीलंका सरकार से बातचीत की गई है और उसके क्या परिणाम हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) श्रीलंका हमेशा के लिए छोड़ने वाले विदेशियों को एक निश्चित रकम से ज्यादा की आस्तियां ले जाने की इजाजत नहीं है । श्रीलंका में अपनी बचत का शेष भाग उन्हें वहीं ब्लाक्ड आकाउन्टों में छोड़ना पड़ता है ।

(ख) श्रीलंका की सरकार ने व्यापार का श्रीलंकाकरण करने की जो नीति अपनाई है; उसका सबसे बुरा असर भारतीयों पर पड़ा है, क्योंकि श्रीलंका में विदेशी व्यापारियों और कर्मचारियों में अधिकांश वे ही लोग हैं ।

(ग) जी हां । जो ठोस समस्याएं सामने आती हैं उन्हें श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया जाता है और आवश्यक समाधान खोजे जाते हैं ।

विशाखापटनम में युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण

1449. **श्री सीताराम केसरी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम के नौसेना डाकयार्ड में युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने के लिये कोई योजनाएं तैयार की गई हैं: और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब आरम्भ किये जाने की संभावना है और वहां कब निर्माण आरम्भ हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । इस समय ऐसी कोई योजनाएं नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Republic Day Passes

1450. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government issue passes to witness Republic Day parade to all State Legislators and Ex-Members of Parliament like Members of Parliament ;

(b) if so, the number of passes for which each of them is entitled to; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : Invitation cards to witness the Republic Day Parade are generally issued to all those members of State Legislatures and ex-Members of Parliament and their spouses in respect of whom requests for such invitations are received,

Requests for additional invitation cards from them are considered on merits and invitation cards are issued subject to availability of seats.

मिजो नेता श्री लालडेंगा की पाकिस्तान में गतिविधियां

1452. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रतिबन्धित मिजो नेशनल फ्रंट के स्वतः निर्वासित नेता श्री लालडेंगा पूर्वी पाकिस्तान में अपने मुख्यालय से जघन्य कार्यवाहियों का संचालन कर रहा है और विद्रोही मिजो लोगों को पाकिस्तान में कुछ देशों के राजनयिक तथा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के सम्पर्क स्थापित करने में पाकिस्तान का सहयोग मिलता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध प्रकट किया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को यह मालूम है कि पूर्व पाकिस्तान प्राधिकारियों ने लालडेंगा का सत्कार किया और सहायता दी। सरकार को यह भी मालूम है कि वह पाकिस्तान में चीन के राजनयिक और कोंसली प्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहे हैं।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पाकिस्तान में लालडेंगा तथा दूसरे मीजो और नागा उपद्रवियों को जो सुविधाएं प्रदान की हैं, उनके विरुद्ध भारत सरकार ने उसे कई विरोध पत्र भेजे हैं।

आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी

1453. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री के० अनिरुद्धन :**
श्री भगवान दास : **श्री प० गोपालन :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना से सेवा मुक्त होते समय सभी आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उपदान दिया जाता है ;

(ख) क्या उन आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को जिनका किसी असैनिक पदों पर धारणाधिकार है, उपदान नही दिया जाता है ; और

(ग) क्या उनकी भविष्य निधि या पेंशन में उनका अंशदान सेना अधिकारियों के वेतन के अनुपात से दिया जाता है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सिविल से लिए गए जिन अफसरों को सीधे आपाती कमीशन दिया गया है उन्हें और आपाती कमीशन प्राप्त ऐसे अफसरों को जो कि आपाती कमीशन पाने से पूर्व जूनियर कमीशंड अफसर/जवान/समकक्ष पद पर थे, लेकिन आपाती कमीशन पाने से पूर्व अपने स्थाई पद की पेंशन के लिए उन्होंने अपनी आपाती कमीशन सर्विस को न जोड़े जाने के लिए अपना अभिमत दिया हो, उपदान दिया जाता है। ऐसे अफसरों के मामले में जो कि आपाती कमीशन पाने से पूर्व केन्द्र राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के अधीन किसी पद पर अपना पूर्वाधिकार रखे हुए थे, उन्हें कोई सेवांत उपदान नहीं दिया जाता है। आपाती कमीशन अफसर के रूप में की गई सर्विस उनकी सिविल पेन्शन के लिए गिनी जाएगी। अगर वे ऐसे सिविल पद पर हैं जिसके लिए यद्यपि पेन्शन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अंशदायी भविष्य निधि की व्यवस्था है तो सरकार ऐसे मामलों में उन अफसरों के नियोक्ताओं के अंशदायी भविष्य निधि में उतना धन जमा करेगी जो कि इस आधार पर तय किया जाता है कि अगर वे अफसर अपने सिविल पद पर ही बने रहते तो इस स्थिति में वे कुल कितनी वेतन प्राप्त कर लिए होते।

आपातकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी

1454. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री प० गोपालन :
श्री भगवान दास :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवा प्राक्कलनों में अंशदान के मामले में आपतकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है, मानों वे असैनिक पदों पर ही कार्य कर रहे हो;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन में हुई वृद्धि के अनुपात से उनकी भविष्य निधि में अंशदान की वृद्धि नहीं की जाती जिनका धारणाधिकार असैनिक पदों पर है और उनके लिए उसी दर पर अंशदान जमा किया जाता है जो उस अवस्था में होता यदि वे असैनिक पदों पर बने रहते ;

(ग) क्या आपातकालीन कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारियों के मामले में, जिनका धारणाधिकार असैनिक पदों पर है, भविष्य निधि आदि के लिये अंशदान की राशि उन आपातकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को, जिनका धारणाधिकार असैनिक पदों पर नहीं है, सेना में सेवा मुक्त होने पर मिलने वाले उपदान से अधिक, कम या समान है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि असैनिक पदों पर धारणाधिकार वाले आपातकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों की भविष्य निधियां पेंशन के लिये जमा की जाने वाली राशि, उस राशि का प्रायः बहुत छोटा सा हिस्सा होती है, जो किसी असैनिक पद पर धारणाधिकार रखने वाले ऐसे अफसरों को उपदान के रूप दी जाती है ।

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा सेवाओं के प्राक्कलन से उतनी धनराशि दी जाती है जितनी कि सिविल नियोक्ताओं द्वारा अफसरों को उस स्थिति में दिया जाता जबकि वे अफसर अपने सिविल पदों पर बराबर बने रहते ।

(ख) जी नहीं । भविष्य निधि में जमा की जाने वाली धनराशि में वृद्धि उस अफसर द्वारा मिलने वाली उस वेतन वृद्धि के अनुरूप होती है जो कि अफसर को सिविल पद में बने रहने से मिलती रहतीं ।

(ग) तथा (घ) : सिविल पदों में पूर्वाधिकार रखने वाले आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों के भविष्य निधि में अंशदान कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है और सिविल पदों पर बिना पूर्वाधिकार रखने वाले अफसरों को देने वाले उपदान की धनराशि अन्य नियमों के अनुसार दिया जाता है । इन दोनों प्रकार के अफसरों को मिलने वाले तुलनात्मक लाभों के सम्बन्ध में कोई आम विवरण नहीं दिया जा सकता । सिविल पद पर पूर्वाधिकार रखने वाले आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों द्वारा प्राप्त लाभ और सिविल पदों पर बिना पूर्वाधिकार रखने वाले अफसरों द्वारा प्राप्त उपदान में तुलना करने के लिए उनमें से प्रत्येक अफसर को मिलने वाली धनराशि का हिसाब करना होगा ।

नागाओं के साथ मुठभेड़

1455. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार और विद्रोही नागाओं के बीच हुए प्रथम युद्ध विराम समझौते के बाद से अब तक सुरक्षा सेना के कुल कितने अफसर और जवान अब तक मारे गये हैं, उनका अपहरण किये गये तथा/अथवा लापता हैं ;

(ख) कितने नागरिक लोग लापता हैं और कितने नागरिकों का छिपे नागाओं ने अपहरण किया है तथा/अथवा हत्या की है ; और

(ग) मारे गये अपहृत तथा/अथवा लापता नागरिकों के उत्तराधिकारियों को किस रूप में और कितना मुआवजा दिया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) 6-9-64 से 14-11-68 के बीच हमारी सुरक्षा सेनाओं के हताहतों की संख्या :**

मृत	58
लापता	कोई नहीं

(ख) लापता अथवा छिपे नागाओं द्वारा अपहृत और/मारे गये सिविलियनों की संख्या

अपहृत अथवा लापता	792	इसमें उन लोगों की संख्या भी शामिल है जो दवाव में आकर अथवा अन्यथा सम्भव है छिपे नागाओं के साथ हो गए हों।
मारे गये	7	

(ग) नागा पहाड़ी कार्रवाई में अथवा उसके सिलसिले में मारे गये सिविलियनों के परिवार वालों को दिया गया मुआवजा :

कार्रवाई में या उसके सिलसिले में जो गैर-कर्मचारी मारे जाते हैं उनके परिवार वालों को सामान्यतः 1000/- रु० (एक हजार) अनुदान में दिये जाते हैं, जबकि कर्मचारियों के परिवारों को सामान्य नियमों के अन्तर्गत एक्स-ग्रेशिया एक मुश्त अनुदान और असाधारण पेंशन मिलती है।

कश्मीर के बारे में रूस का दृष्टिकोण

1456. **श्री देवेन सेन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा ;

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के हाल ही में दिये गये भाषण पर जिसमें कश्मीर में स्वतन्त्र तथा उन्मुक्त जनमत संग्रह कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया हैं, रूस की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या रूस की वर्तमान प्रतिक्रिया कश्मीर और भारत के प्रति उसके पुराने रवये में बहुत अधिक परिवर्तित प्रतीत होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जहां तक सरकार को जानकारी है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

नेपाल में सड़क निर्माण

1457. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने नेपाल को सहायता अथवा ऋण के रूप में कितनी राशि दी, यह राशि किन प्रयोजनों के लिये दी गई और चालू वर्ष में कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) नेपाल में सड़कों के निर्माण के लिए कितनी राशि नियत की गई है और इन सड़कों से किन किन आन्तरिक तथा बाह्य स्थानों को जोड़ा जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 6515 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर 27.7.67 को दिया गया था और जिसमें नेपाल को 1964-65 से 1966-67 तक दी गई सहायता का पूरा ब्यौरा दिया गया था । बहरहाल वर्ष 1965-66, 66-67 और 67-68 के दौरान नेपाल को कुल मिलाकर कोई 25.76 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी है, जिसमें 25.43 करोड़ रुपये तो सहायता के रूप में दिए गए हैं और .33 करोड़ रुपये ऋण के रूप में ।

इस सहायता के अन्तर्गत संचार, जिसमें सड़कों, पुलों, बांधों, हवाई अड्डों का निर्माण भी शामिल है ; स्वास्थ्य, शिक्षा, पन-बिजली परियोजनाएं, छोटे और बड़े सिंचाई कार्य, दूर संचार, पीने के पानी की सप्लाई, कृषि, बागबानी, भूगर्भ सम्बन्धी और खनिज सर्वेक्षण तथा ग्राम एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्रों की विकास योजनाएं आती हैं ।

चालू वर्ष में (1968-69) 12.36 करोड़ (लगभग) रुपये की रकम खर्च होने की सम्भावना है ।

(ख) इसके साथ एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है, जिसमें नेपाल में सड़कों के निर्माण का कुल खर्च दिखाया गया है और यह बताया गया है कि किस स्थान को किस स्थान से मिलाया जाएगा । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2217/68] इस विवरण में हमारे सहायता कार्यक्रम के प्रारम्भ से लेकर 31 मार्च, 1971 तक का सड़क निर्माण का वह कार्यक्रम बताया गया है, जिसे कि भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल आदि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या

1458. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय छात्र सेना दल, प्रादेशिक सेना तथा होम गार्ड और नागरिकों को बन्दूक चलाने का प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रशिक्षणार्थियों में गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की वास्तव में कितनी कितनी संख्या थी ;

(ख) क्या सैनिक प्रशिक्षण की विभिन्न योजनाओं में इन पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधान पर्याप्त समझा गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधान प्राप्त हो ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) राष्ट्रीय कैडेट कोर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। प्रादेशिक सेना से सम्बन्धित आंकड़े इस प्रकार है।

	31-3-66 को	31-3-67 को	31-3-68 को
(1) अनुसूचित जातियों की वास्तविक संख्या शक्ति	2,490	2,615	2,802
(2) अनुसूचित आदिम जातियों की वास्तविक संख्या शक्ति	291	288	240

राज्य सरकारें अपने अधिनियमों के अन्तर्गत होम गार्ड तैयार करती हैं और सिविलियन राईफल प्रशिक्षण योजना को राज्य सरकारें और संघीय प्रशासन चलाते हैं, इन दो संगठनों से सम्बन्धित आवश्यक आंकड़े केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) : राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती अधिकारया स्वैच्छिक रूप से होती है, होम गार्ड और प्रादेशिक सेना में भर्ती की व्यवस्था और सिविलियन राईफल प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण व्यवस्था स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और उसमें जाति, धर्म या समुदाय का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।

अणु-शक्ति विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वैज्ञानिक

1459. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणु शक्ति विभाग के विभिन्न संस्थानों में इस समय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने वैज्ञानिक हैं ; और

(ख) इस विभाग द्वारा नियुक्त कुल वैज्ञानिकों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वैज्ञानिकों का प्रतिशत क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 7

(ख) 33

आकाशवाणी केन्द्र इम्फाल के कर्मचारियों की शिकायतें

1460. श्री एम० मेघ चन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 22 अक्तूबर, 1968 को आकाशवाणी केन्द्र इम्फाल का निरीक्षण किया था और उन्होंने इम्फाल स्टेशन के कर्मचारियों की शिकायतों को स्वयं सुना था,

(ख) यदि हां, तो स्टाफ आर्टिस्टों की क्या शिकायतें है ; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी, इम्फाल के स्टाफ आर्टिस्टों ने यह प्रार्थना की है कि (I) कार्यक्रम निर्माण संवर्ग में उनकी पदोन्नति की जाए (II) उन्हें भी गड़बड़ वाले इलाके में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता देकर निर्वाह-व्यय की वृद्धि निष्प्रभावित किया जाए ।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

Publications Brought out By Planning Commission in Hindi

1461. Shri Ram Charan : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the number of publication brought out by the Planning Commission during 1968 so far and the number of publications out of them which have already been published in Hindi and are proposed to be published Hin indi ; and

(b) the arrangements being made to publish all the publications in Hindi in view of the Official Languages Act and the orders of the Ministry of Home Affairs connected therewith ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Twelve, of which three are still under print. One of these publications has been brought out in Hindi, and it is proposed to print two more in Hindi. Besides, it is intended to bring out a Hindi Summary of yet another publication.

(b) These publications of the Planning Commission are either technical studies of Projects and Programmes for use mainly of Project authorities, or intended for official use or for similar limited circulation.

It is the endeavour of the Planning Commission to bring out an increasing number of publications of popular interest in Hindi.

Broadcast of Hindi News Bulletins from A. I. R.

1462. Shri Ram Charan : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Hindi Committee at its sitting held on the 20th July, 1968 had decided that in regard to the news bulletins being broadcast from All India Radio, Hindi Bulletins should precede the English Bulletins form all the stations of the All India Radio ;

(b) if so, whether the said Committee has also recommended that Hindi versions of all the programmes being broadcast from the All India Radio should also be broadcast ; and

(c) whether adequate arrangements have been made to implement these decisions and when they would be implemented ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The Central Hindi Committee in its meeting held on 20-7-68, inter alia, decided as follows:-

(i) that the morning Hindi bulletin should be broadcast at 8.00 a. m. followed by the English bulletin at 8.15 a. m. ;

(ii) that the evening Hindi bulletin should be broadcast at 8.45 p. m. followed by the English bulletin at 9.00 p. m. and

(iii) that the above two Hindi bulletins should be relayed by all stations of All India Radio.

(b) No Sir.

(c) It has been decided to put into effect the decision contained in (a) above with effect from 8-12 68.

नेपाल के लिये कुछ कच्चे माल का आयात

1463. **श्री जुगल मंडल** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री 28 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के लिये कुछ कच्चे माल के आयात के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो नेपाल और भारत में नायलान और स्टेनलैस स्टील की तुलनात्मक कीमतें क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कीमतों में अन्तर को समाप्त करने के लिये आयात शुल्क लगाने का है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नेपाल से कतिपय कच्चे माल के आयात के बारे में सभी सम्बद्ध सूचना एकत्रित करके 13-11-68 को लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई थी, यह सामग्री 28-8-68 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 6297 के उत्तर में किए वायदे को पूरा करने के लिए भेजी गई थी ।

(ख) एक चार्ट सभा पटल पर रखा गया है, जिनमें नायलोन के धागे की और इससे भारत और नेपाल में बने कपड़े की तुलनात्मक लागत स्थिति बताई गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2218/68]**

(ग) भारत सरकार इन मामलों पर सक्रिय रुप से विचार कर रही है ।

आयुध कारखानों द्वारा ल्यूबे तेल बैरलों का निर्माण

1464. **श्री जुगल मंडल :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री आयुध कारखानों द्वारा ल्यूबे तेल बैरलों के निर्माण के बारे में 14 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर अथवा अन्यथा की गई अलाटमेंट और बैरलों के निर्माण के लिये यदि कोई विशेष कोटा अलाट किया जाता है तो उस के ब्यौरे की जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) तथा (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डा० धर्म तेजा की आस्तियों की कुर्की

1465. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में डा० धर्म तेजा की किन आस्तियों को कुर्क किया गया है ; और

(ख) कुर्क की गयी आस्तियों का अनुमानित मूल्य कितना है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन के 2,12,472 पूरे पेड-आप शेयर और एक शेवरलैट मोटर कार।

(ख) इन शेयरों का अंकित मूल्य 2,12,47,200/- रुपये है और इस मोटर कार की अनुमानित कीमत 30,000/-रुपये है।

भारतीय अणु कारखाने

1466. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अणु कारखाने परमाणु शक्ति से बिजली तैयार करने के लिये कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी हां। अणु-शक्ति के निम्नलिखित केन्द्र इस समय स्थापित किये जा रहें हैं-

	केन्द्र का नाम	केन्द्र की क्षमता
1.	तारापुर अणु शक्ति केन्द्र (यूनिट I और II प्रत्येक 190 मेगावाट का)	380 मेगावाट
2.	राजस्थान अणु-शक्ति केन्द्र (यूनिट I और II प्रत्येक 200 मेगावाट का)	400 मेगावाट
3.	मद्रास अणु-शक्ति केन्द्र	200 मेगावाट

इन केन्द्रों में से सर्वप्रथम केन्द्र तारापुर के बारे में अन्तिम परीक्षण किया जा रहा है और आशा है कि यहां से जून, 1969 से पहले गुजरात-महाराष्ट्र ग्रिड को बिजली दी जा सकेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मधुबनी (बिहार) में सूचना केन्द्र

1467. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुबनी सब-डिवीजन (जिला दरभंगा, बिहार) में कितने सूचना केन्द्र हैं ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि इस क्षेत्र के लोगों ने सरकार से झंझरपुर (मधुबनी सब-डिवीजन, दरभंगा) में एक और सूचना केन्द्र खोलने के लिये अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक मधुबनी में।

(ख) तथा (ग) : जी, हां। बिहार सरकार द्वारा झंझरपुर के एक निवासी से वहां सूचना केन्द्र खोले जाने के बारे में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

छिपे हुए नागा नेताओं का अपहरण

1468. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 अक्टूबर, 1968 को सायं को केइटो समर्थक दल ने छिपे नागा सरकार को तीन वरिष्ठ नेताओं का, जिनमें उनका प्रेजीडेंट भी शामिल है, अपहरण कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का तथा इसके पीछे जिन तत्वों का हाथ है, उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख): बताया जाता है कि 30 अक्टूबर 1968 को जिला कोहिमा में चेदेमा के पास से जुहेता सेमा द्वारा तीन छिपे नागा नेता जबर्दस्ती उठा लिये गए थे जिनमें म्हेश्यू और राम्यो भी शामिल हैं। बताया जाता है कि यह छिपे नागाओं में परस्पर फूट के कारण हुआ है। इस स्थिति पर निगाह रखी जा रही है।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में आशुलिपिक

1469. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास 18 आशुलिपिकों को 15 अक्तूबर 1968 से पदावनत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख): यह मामला न्यायाधीन है क्योंकि इस बारे में एक रिट पीटिशन दिल्ली के उच्च न्यायालय के सम्मुख है।

उत्तरी वियतनाम का महा-वाणिज्य दूत

1470. **श्री हेम बरुआ :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी वियतनाम के महा-वाणिज्य दूत ने कलकत्ता में संयुक्त दल द्वारा कुछ समय पहिले आयोजित की गई एक बैठक में भाग लिया था और उसमें एक भाषण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले पर विशेष आपत्ति की है और उसने इसके निवारण के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) कलकत्ता में 1 नवम्बर 1968 की यूनाइटेड फ्रंट के तत्वावधान में वियतनाम स्मृति दिवस के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में इस प्रधान कौंसल ने भाग लिया था और भाषण दिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

साबाह के प्रश्न पर भारत का दृष्टिकोण

1471. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबाह के प्रश्न पर मलयेशिया और फिलीपीन के बीच के विवाद के बारे में सरकार ने अपना दृष्टिकोण बता दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) इस प्रश्न पर भारत सरकार के विचारों से सम्बन्धित सरकारों को अवगत करा दिया गया है।

(ख) यह देखकर हमें दुःख होता है कि साबाह के प्रश्न को लेकर फिर एशिया के दो पड़ोसी राज्यों के बीच कटुता और तनाव उत्पन्न कर रहा है। हम उन स्थितियों से परिचित हैं जिनमें साबाह ने मलेशिया महासंघ का अंग बनने का निश्चय किया था। यह यूनाइटेड किंग्डम द्वारा शासित एक उपनिवेश था। साबाह के लोगों ने अपना स्वतन्त्र दर्जा समाप्त करके मलेशिया में शामिल होने का निश्चय किया। भारत सरकार यह महसूस करती है कि दूसरे राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करना सभी राज्यों के लिए लाजिमी है।

खेलों का विकास

1472. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में खेलों का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है क्या सरकार का विचार खेलों के विकास के लिये एक मन्त्री नियुक्त करने का है जिसका एक मात्र कार्य देश में खेलों के विकास की ओर ध्यान देना हो ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए, कि खेलों का गिरता हुआ स्तर और न गिरने पाये, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) शिक्षा मन्त्री ने हाल ही में श्री भागवत झा आजाद को पुर्नगठित अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष के रुप में नाम-निर्देशित किया है। परिषद को भारत में खेलों के गिरे हुए स्तर तथा विशेषकर मैक्सीको खेलों में भारतीय हाकी टीम की हाल ही के काम की जांच करने तथा सुधार के लिये उपायों की सिफारिश करने के लिये कहा गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार का विचार नेशनल कैडिट कोर तथा नेशनल सेवा कोर के स्थान पर सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम को बड़ी तेजी से आरम्भ करने का है जिससे देश के युवकों में खेलों को उचित महत्व दिया जा सके। स्कूलों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिये भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

सेना में अल्प सेवा तकनीकी कमीशन

1473. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय की ओर से सेना में अल्प सेवा तकनीकी कमीशन आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है जिससे देश में इन्जीनियरों को अधिक रोजगार दिलाया जा सके ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके फलस्वरुप रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सरकार ने अनिवार्य सेवा उत्तर दायी योजना के स्थान पर एक अल्पकालीन कमीशन (तकनीकी) योजना को चलाने का निश्चय किया है, इस योजना के विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 350 तकनीकी स्नातक भर्ती किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्थाई कमीशन में इंजीनियरी स्नातकों का भर्ती का वर्तमान कोटा प्रतिवर्ष 90 से बढा कर 200 कर दिया गया है।

भारत में विदेशी दूतावासों के लिये नियत की गई भूमि

1474. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कई विदेशी दूतावासों के लिये नियत की गई भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये वह नियत की गई थी ;

(ख) किन-किन दूतावासों ने अपने दूतावास भवनों का निर्माण नहीं किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन सम्बन्धित दूतावासों के मामले में अलाटमेंट रद्द करने का है जो इस भूमि का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं करना चाहते है जिनके लिये वह अलाट की गई थी ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) चाणक्यपुरी में जिन विदेशी मिशनों को अपनी चांसरी-एवं-निवासी इमारतें बनाने के लिए प्लाट दिए गए है उनमें से संयुक्त अरब, गणराज्य, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया मलेशिया, टर्की, वेनेजुयेला, घाना, सूडान, पुर्तगाल, अफगानिस्तान, कनाडा, फिनलैंड, इटली न्यूजीलैंड और इथोपिया ने अभी निर्माण कार्य शुरु नहीं किया है। इन मिशनों ने किसी तरह की कोई अवहेलना नहीं की है क्योंकि निर्माण के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की है।

(ग) जी नहीं। उपर्युक्त विदेशी मिशन अन्ततः इस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं और वे इसके लिये भूमि किराया भी दे रहे हैं। कनाडा और संयुक्त अरब गणराज्य जल्दी ही निर्माण कार्य शुरु कर देंगे।

भारतीय राष्ट्रीय सैनिक कालेज, देहरादून में पढ़ने वाले मनीपुर के छात्र सैनिक (कैडिट)

1475. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज में अध्ययन कर रहे मनीपुर के छात्र सैनिकों (कैडेटों) को छात्रवृत्तियां दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 के लिये योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सेना छात्रों की सूची क्या है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो उक्त छात्रवृत्तियां दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

संसद सदस्यों को जीप देना

1477. **श्री हो० ना मुकर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो संसद सदस्य वर्ष 1967 के आम चुनावों से पहले प्रतिरक्षा भंडार से जीप खरीद चुके हैं उन्हें सरकार ने दूसरी जीप देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1967 के आम चुनावों से पूर्व किसी संसद सदस्य द्वारा खरीदी गई जीप का काफी उपयोग किया जा चुका होगा और ऐसे बहुत से मामलों में तो उनकी हालत अब सन्तोषजनक नहीं रह गई होगी। उसी निर्णय में यह भी उल्लिखित था कि दो आम चुनावों के बीच एक से अधिक गाड़ी न दी जाएगी।

भारतीयों का ब्रिटेन, अमरीका तथा कनाड़ा में जाना

1478. **श्री दामानी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितने भारतीय ब्रिटेन, अमरीका तथा कनाड़ा में गये ;

(ख) प्रव्रजन के लिये क्या कारण बताये गये ; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक योग्यता वाले थे और उनका ब्यौरा क्या है :

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पिछले तीन वर्ष में जो भारतीय यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका चले गए हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :

क्रम संख्या	देश का नाम	वर्ष		
		1965	1966	1967
1.	यूनाईटेड किंगडम	18,815	18,402	22,638
2.	कनाड़ा	2,386	2,775	5,029
3.	संयुक्त राज्य अमरीका	*582	*2,458	*4,642

* ये आकड़े प्रत्येक वर्ष के 30 जून के अन्त तक के हैं ।

(ख) उत्प्रवास के सामान्य कारण निम्नलिखित बताए जाते हैं :

यूनाइटेड किंगडम : अधिकांश लोग आश्रितों के रुप में अपने आश्रयदाता के पास गए जो पहले ही से यू० के० में थे । लेकिन, थोड़े से लोग ब्रिटेन के श्रम नियोजन मंत्रालय के वाउचरों के आधार पर रोजगार के लिए भी वहां चले गए ।

कनाडा : आर्थिक दृष्टि से और अथवा शैक्षिक दृष्टि से बेहतर भविष्य की कामना से ।

संयुक्त राज्य अमरीका : लगभग आधे उत्प्रवासी तो आश्रित के रूप में अपने परिवार प्रमुखों के पास गए । जहां तक बाकी उत्प्रवासियों का प्रश्न है, इसका कारण था संयुक्त राज्य अमरीका में कुशल कर्मचारियों की मांग तथा रोजगार के बेहतर अवसर और आर्थिक लाभ ।

(ग) जिन लोगों के पास वैज्ञानिक और व्यावसायिक योग्यताएं थी उनकी संख्या इस प्रकार है—

यूनाइटेड किंगडम :

1965	3794
1966	2433
1967	2175

कनाडा :

आधिकारिक आंकड़े सुलभ नहीं है ।

संयुक्त राज्य अमरीका :

1965	335
1966	1607
1967	2806

पूरा विवरण सुलभ नहीं है ।

दक्षिण भारत में उपग्रह केन्द्र

1479. **श्री दामानी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में एक उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां तो किस स्थान पर;

(ख) पहले उपग्रह के कब तक छोड़े जाने की सम्भावना है और इससे क्या-क्या अध्ययन करने का विचार है;

(ग) इस परियोजना के लिये कितना धन नियत किया जा रहा है; और

(घ) क्या यह उपक्रम अन्य देशों के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है; और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस प्रकार का योगदान किया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) योजनाओं के अनुसार ऋतु-विद्या का अनुसन्धान करने के लिये 5 वर्ष में कम ऊंचाई का एक उपग्रह छोड़ा जाना है।

(ग) धन का पक्का नियतन अभी किया जाना है।

(घ) जी, नहीं।

थुम्बा राकेट छोड़ने का स्टेशन

1480. **श्री दामानी :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 नवम्बर, 1968 को थुम्बा राकेट छोड़ने के स्टेशन से छोड़े गये प्रयोगात्मक राकेट का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोग द्वारा क्या-क्या अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या एकत्र किये गये आंकड़ों की जानकारी में अन्य देशों को भी भागीदार बनाया जायेगा और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक्स-रे खगोल भारयोग सहित दो अवस्थाओं वाला एक सेंटारे राकेट थुम्बा से 3 नवम्बर, 1968 को छोड़ा गया था। भारयोग, वायुवाहित उपकरण विनियोग तथा इलैक्ट्रानिक ईंधन आदि का देश में ही विकास किया गया था। प्रयोग सफल रहा था।

(ख) इस प्रयोग का वैज्ञानिक उद्देश्य एक्स-किरणों के स्रोतों को मापने तथा दक्षिणी आकाश का सर्वेक्षण करके नये स्रतों का पता लगाना था।

(ग) इस प्रयोग से जिस जानकारी का पता लगा है वे अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का निर्बाध रूप से उपलब्ध होगा ।

चलचित्र गृहों के लिये प्रार्थना-पत्र

1481. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 1 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 9207 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले पांच वर्षों में वर्ष-वार चलचित्र गृह बनाने के लिये विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र करली गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने लाइसेन्स दिये गये, कितने लाइसेन्सों का उपयोग किया गया तथा कितने लाइसेन्सों का उपयोग नहीं किया गया और कितने विचाराधीन हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : सूचना अभी कुछ राज्यों से प्राप्त होने वाली है और उनसे मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट

1482. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 1 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9247 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में चलचित्रों को मनोरंजन-कर से छूट दी गई है; और

(ग) प्रत्येक चलचित्र को कर से छूट दिये जाने के अलग-अलग क्या कारण है और उनको मनोरंजन कर से कब छूट दी गई ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2219/68]

चलचित्र वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

1483. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड द्वारा अब तक (1) हिन्दी (2) तमिल (3) तेलुगु (4) मराठी फिल्मों के निर्माताओं को कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई ;

(ख) ऋण को मन्जूर करने की क्या प्रक्रिया है ; और

(ग) प्रत्येक भाषा की फिल्मों पर अब तक कितनी धनराशि बकाया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड बम्बई द्वारा उच्च श्रेणियों के निर्माताओं को 31 अगस्त, 1968 तक दिया गया ऋण इस प्रकार है : —

	रुपए
(1) हिन्दी	10,46,667
(2) तमिल	—
(3) तेलुगु	—
(4) मराठी	12,14,370

(ख) प्रार्थना पत्रों की पहले निगम के सचिव द्वारा जांच की जाती है, बाद में निगम के तकनीकी सैक्शन द्वारा उसकी विस्तार से जांच की जाती है जो स्क्रिप्ट, कथनोपकथन, बजट, निर्माताओं एवं दल के सदस्यों के पिछले कार्य की जांच करता है। दूसरी राय के लिए प्रार्थना-पत्रों की स्क्रिप्ट समिति द्वारा जांच की जाती है जिसमें केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड के अध्यक्ष और प्रादेशिक या अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारी के अतिरिक्त, एक निर्माता या निर्देशक और दो अन्य सदस्य होते हैं, जो फिल्म की भाषा पर निर्णय करते हैं और निर्देशक मण्डल द्वारा स्वीकृत निर्माताओं की सूची और रेफरियों की सूची में से होते हैं। निगम के तकनीकी सैक्शन और स्क्रिप्ट समिति की रिपोर्ट, उस फिल्म की कहानी की रूपरेखा के साथ, जिसके लिये ऋण मांगा गया है, निर्देशकों में घुमाई जाती है। अनुदान देने या न देने का अन्तिम निर्णय बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर किया जाता है।

(ग) (31 अगस्त, 1968 के दिन) बकाया धनराशि इस प्रकार है।—

हिन्दी के फिल्म निर्माताओं से	35,13,550 रुपए
तमिल के फिल्म निर्माताओं से	शून्य
तेलुगु के फिल्म निर्माताओं से	शून्य
मराठी	2,40,606 रुपए

भारतीय समाचार अभिकरणों के लिए विदेशी मुद्रा

1484. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 1 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाचार अभिकरणों के लिये विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने समाचार पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों को विदेश में उनके संवाददाताओं, कार्यालयों की देखभाल के लिये जो विदेशी मुद्रा रिलीज की है, उसकी सूचना दी है। 1965, 1966 तथा 1967 के वर्षों का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2220/68]

तथापि, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है कि समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वे कहते हैं कि उनके प्रादेशिक कार्यालयों को प्रत्येक सम्बन्धित समाचार पत्र तथा समाचार एजेन्सी को अलग अलग लिखना पड़ेगा। मामले पर बैंक से पत्र व्यवहार हो रहा है।

जहां तक छपाई करने वाले प्रेसों को कितनी विदेशी मुद्रा रिलीज की गई हैं, इसका प्रश्न है, सूचना एकत्र की जा रही हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के शेयरों का खरीदा जाना

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमान्, मैं वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> 'रिजर्व बैंक की मौनसम्मति से एक व्यापारी विशेष द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के 10 करोड़ रुपये के मूल्य के शेयरों को खरीदे जाने का कथित मामला।"

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : महोदय, मैं रिजर्व बैंक की मौन सम्मति से एक व्यापारी विशेष द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के 10 करोड़ रुपये के मूल्य के शेयर प्राप्त किये जाने के कथित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने की सूचना के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहता हूं। उक्त मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के सामान्य शेयर (दस-दस रुपये के 348.82 लाख सामान्य शेयर) बम्बई, कलकत्ते और दिल्ली के शेयर बाजारों की वाय। सूचियों (क्लीयर्ड लिस्ट) में दर्ज है। ये शेयर इन बाजारों में सब से अधिक महत्वपूर्ण शेयरों में से हैं।

2. लगभग पिछले दो वर्षों में श्री रामनाथ गोयनका ने बड़ी संख्या में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयर खरीदे हैं और उन्होंने इन शेयरों में से काफी अधिक

शेयर बाजारों से लिये हैं। इन शेयरों के बारे में बाजार में कुछ अस्वस्थ प्रवृति पैदा हो गयी और जुलाई 1967 में सरकार ने इन शेयर बाजारों के नाम इस आशय की हिदायतें जारी करदी कि वे अन्यान्य बातों के साथ-साथ ऐसी एहतियाती कार्यवाइयां करें जिनके लिये शेयर बाजार उप-नियमावली में व्यवस्था हैं। तदनुसार, इन शेयरों के सौदे को नियमित करने के लिए शेयर बाजारों ने विशेष जमा/मार्जिन निर्धारित करने और व्यापार की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने आदि जैसी एहतियाता व्यवस्थाएं की जो किसी न किसी रूप में अब भी जारी हैं।

3. इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करना कठिन है कि श्री गोयनका ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कितने शेयर खरीदे हैं और कितने शेयर वास्तव में हासिल कर लिये हैं पर समाचारों से पता चलता है कि श्री गोयनका और उनके समूह ने 70 से 80 लाख तक शेयर प्राप्त कर लिये हैं। श्री गोयनका के अधिकतर शेयर उनके नियन्त्रण में चलने वाली कम्पनियों, उनके मित्रों और सहयोगियों तथा दलालों आदि के नाम हैं।

4. स्टाक दलालों के जरिये ये शेयर खरीदने के लिये गोयनका समूह ने अनुमानतः लगभग 2.69 करोड़ रुपया बैंकों से और कुछ रुपया विभिन्न कम्पनियों से लिया। यद्यपि रिजर्व बैंक ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, तो भी बैंक ने यह शर्त लगा दी है कि शेयरों के आधार पर 5 लाख रुपये या इससे अधिक राशि के अग्रिम दिये जाने के मामले में बैंकों को चाहिये कि वे रिजर्व बैंक की स्वीकृति से अग्रिमों की वापसी का कार्यक्रम निश्चित करें। रिजर्व बैंक को जुलाई-सितम्बर 1967 में कुछ बैंकों की विशेष जांच-पड़ताल करने पर यह पता चला कि कुछ बैंकों ने इण्डियन आयरन एण्ड के शेयरों के आधार पर अग्रिमों के रूप में गोयनका समूह को (जिसमें उनकी समाचार-पत्र कम्पनियां भी शामिल हैं) बड़ी-बड़ी रकमें और दलालों को कुछ रकमें दी हैं। यद्यपि रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा गोयनका समूह को इण्डियन आयरन के शेयरों के आधार पर इतनी बड़ी रकमों के दिये जाने को एक गम्भीर मामला माना, तो भी उसने यह महसूस किया कि इस सम्बन्ध में सावधानी से कार्रवाई की जानी चाहिये, ताकि बाजारों को एकाएक धक्का न पहुंचे और साथ ही बैंकों पर इतना दबाव डाला जा सके कि अग्रिमों की रकमें जल्दी कम की जाय। तदनुसार रिजर्व बैंक ने सभी सम्बद्ध बैंकों से यह कहा कि वे इन शेयरों के आधार पर दिये गये सभी अग्रिमों की वापसी का उचित कार्यक्रम निश्चित करें। बैंकों को यह हिदायत भी दी गयी कि इन शेयरों के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों की रकम उतनी ही होनी चाहिये जितनी इनसे मिलते-जुलते दूसरे शेयरों के आधार पर दी जाती है।

5. चूंकि श्री गोयनका के जितने शेयर हैं, उनमें से कुछ शेयर दलालों, वित्त प्रबन्धकों आदि के पास हैं जो उन्हें इन शेयरों की डिलीवरी लेने पर जोर दे रहे है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक एक बैंक के मामले में इस बात पर सहमत हो गया कि

वह बैंक 4 या 5 पार्टियों को इण्डियन आयरन के शेयरों के आधार पर ऋण दे दे ताकि वे पार्टियां श्री गोयनका के शेयरों में से ये शेयर खरीद सकें। यह श्री गोयनका द्वारा दिये गये इन आश्वासनों के आधार पर किया गया था कि उनके पास इण्डियन आयरन के जितने शेयर हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से या अपने दलालों, रिश्तेदारों या मित्रों की मार्फत उससे अधिक शेयर प्राप्त नहीं करेंगे और वे धीरे-धीरे उनकी संख्या कम करेंगे तथा उनका इरादा मौजूदा प्रबन्ध में कोई फेर-बदल करने का नहीं हैं।

6. इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि इण्डियन आयरन के शेयर प्राप्त करने में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गोयनका को मौन सम्मति दी। बल्कि इसके विपरीत रिजर्व बैंक का उद्देश्य यह रहा है कि श्री गोयनका के शेयरों की संख्या व्यवस्थित रूप से कम हो ताकि शेयर बाजार पर एकाएक दबाव न पड़े जिससे अनगिनत शेयर होल्डरों को कठिनाई हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 75 लाख से 80 लाख शेयरों की बात स्वीकार की है, जिनका मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये है। एक ओर तो सरकार यह दावा करती है कि वह एकाधिकार पर प्रतिबन्ध लगा रही है दूसरी ओर एक व्यापारी एक कम्पनी के इतने अधिक शेयर खरीद रहा है। क्या सरकार ने इस बात की जांच-पड़ताल की है कि इतने अधिक शेयर खरीदने के लिये श्री रामनाथ गोयनका ने वित्त कहां से जुटाया ? किसी एक बैंक–बिरला के युनाइटेड कमर्शियल बैंक–द्वारा उसे कितनी अग्रिम राशि दी गई ? क्या तिरुपती टेम्पल ट्रस्ट द्वारा भी उसे एक बड़ी राशि ऋण के रूप में दी गई है ? यदि वित्त के स्रोतों के बारे में कोई जांच की गई है, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, क्या भविष्य में ऐसी जांच करवायी जायेगी ? क्या रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को केवल यह सलाह ही देगा कि इस सम्बन्ध में एहतियाती कार्यवाही की जायें, या कोई अन्य कार्यवाही भी करेगा ? रिजर्व बैंक या सरकार गत दो या तीन वर्षों तक इस प्रकार से शेयरों को प्राप्त किये जाने को चुपचाप क्यों देखती रही, जबकि उसके पास एकाधिकार को रोकने के अधिकार हैं।

श्री मोरारजी देसाई : प्रायः सरकार उन सभी सुझावों पर ध्यान देती है जो माननीय सदस्यों द्वारा दिये जाते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सरकार सभी सुझावों को स्वीकार कर ले। माननीय सदस्य का यह कहना भी गलत है कि सरकार इस मामले की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस कम्पनी को सरकार अपने नियन्त्रण में नहीं लेना चाहती। सरकार या रिजर्व बैंक के लिये यह भी संभव नहीं होता कि वह यह जाने कि कितने शेयर बेचे गये हैं और किस किस ने उन्हें खरीदा है। परन्तु जैसे ही सरकार को इस मामले का पता चला तैसे ही ऐसी कार्यवाही की गई जिससे शेयरों की खरीदारी के मामले में एकाधिकार बन्द हो जाये, और जो एकाधिकार बन गया है वह टूट जाये। अतः यह कहना गलत है कि रिजर्व बैंक या सरकार इस मामले में निष्क्रिय रही। उसने सभी आवश्यक कदम उठाये हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने उन्हें 131.16 लाख रुपये इण्डियन आयरन के शेयरों पर पिछले कई वर्षों में दिये हैं। उनसे इस संबंध में कहा गया है कि उस राशि का भुगतान नियत समय में ही

कर दें। तिरुपती ट्रस्ट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कम्पनी ला प्रशासन कम्पनी के कई सौदों की जांच कर रहा, जो इस मामले से संबद्ध हैं। उसका प्रतिवेदन भी अभी तक मुझे नहीं मिला है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : गत दो वर्षों से इंडियरन आयरन एण्ड स्टील कंपनी वित्तीय संकट से गुजर रही है और उसने राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की थी और भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम से हस्तक्षेप करने के लिये कहा है। यह समाचार भी प्रकाशित हुआ था कि कुछ बैंक श्री गोयनका को शेयर खरीदने के लिये अग्रिम राशियां दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी होते हुए भी सरकार ने उसे सहायता देने और रिजर्व बैंक ने अग्रिम राशियां दिये जाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोरारजी देसाई : सरकार या रिजर्व बैंक की निष्क्रियता के बारे में सोचना गलत है। जैसे ही रिजर्व बैंक को इस मामले का पता चला, उसने इस बारे में कार्यवाही की। मुझे भी इस मामले की जानकारी कम्पनी से चार-पांच महिने पहले मिली। रिजर्व बैंक ने ऐसी प्रभावी कार्य की है जिससे शेयरों का एक व्यक्ति द्वारा खरीदा जाना समाप्त हो जाये, बना हुआ एकाधिकार भंग हो जाये, स्थिति भी न बिगडने पाये और प्रबन्धकों की व्यवस्था भी अव्यवस्थित न हो।

डा० रानेन सेन : गत वर्ष अक्टूबर में श्री बिरेन मुकर्जी ने श्री देसाई से बात करते समय वित्तीय स्थिति सम्बन्धी इन मामलों को उठाया था तो वह यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें इस बात का ज्ञान कुछ महिने पहले से नहीं था।

श्री मोरारजी देसाई : जिन बातों पर चर्चा हुई थी उसमें शेयरों के एकत्रित किये जाने का मामला सम्मिलित नहीं था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या सरकार श्री गोयनका के मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई ऐसा आयोग बिठाने के बारे में असमर्थ है, जैसा कि मुंदड़ा के मामले में बैठाया गया था, जिससे सब सम्बन्धित बातों का पता चल जाये।

श्री मोरारजी देसाई : जब सरकार द्वारा कही गयी बात का खंडन न कर सके तो माननीय सदस्य ने आयोग का सुझाव दिया। इस मामले में ऐसे आयोग की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मूंदड़ा और गोयनका की तुलना करना भी गलत हैं। पहले मामले में शेयरों को कपट से प्राप्त किया गया था जबकि दूसरे में सब सौदे वैध है। जहां तक आयकर अपवंचन की बात है, उसके बारे में जांच की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : बैंक ने इण्डियन आयरन के शेयरों पर 30 प्रतिशत मार्जिन से अग्रिम राशि कैसे दे दी जबकि सामान्यतः यह 40 से 50 प्रतिशत मार्जिन पर दी जाती है।

श्री मोरारजी देसाई : विभिन्न बैंकों की मार्जिन की भी दरें भिन्न-भिन्न हैं। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में भी अन्य बैंकों को यह बताया है कि मार्जिन संबंधी नियमों का भी वे ठीक से पालन करें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध विनियम

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० आर० कृष्ण) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (पांचवा संशोधन) विनियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 16-ई में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2205/68]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने अपनी 19 नवम्बर, 1968 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक, 1967 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय राज्य सभा के 66वें (नवम्बर-दिसम्बर, 1968) सत्र के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाया गया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

39 वां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 39 वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

लोक-लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

32वां प्रतिवेदन

श्री मी० र० मसानी (राजकोट) : मैं विनियोग लेखे (रेलवे) 1964-65 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे), 1966 के विषय में लोक लेखा समिति द्वारा अपने 72वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 32वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

जमा-बीमा निगम (संशोधन) विधेयक
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान्, मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से जमा-बीमा निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव करता हूं कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाये। इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार निगम का कार्यक्षेत्र सहकारी बैंकों तक बढ़ जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है। जमा-बीमा निगम 1 जनवरी, 1962 को बनाया गया था और उसका कार्य सभी काम करते हुए वाणिज्यिक बैंकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। प्रारम्भ में बीमा सुरक्षा की सीमा 1500 रुपये थी जो 1 जनवरी, 1968 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई थी। इस समय वाणिज्यिक बैंकों के लगभग 91 प्रतिशत खाते पूर्णतया सुरक्षित हैं जो कुल जमा का लगभग 46 प्रतिशत है। जमा बीमा निगम की स्थापना के समय सहकारी बैंकों को उसके कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था और यह निश्चय किया गया था कि निगम को अनुभव प्राप्त होने के पश्चात इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य निगम को बीमाकृत बैंकों की तरह उन बड़े बैंकों-केन्द्रीय तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों को, जिन पर बैंकिंग अधिनियम 1949 लागू होता है, रजिस्टर कराने की शक्ति देना है। बीमा सुरक्षा का लाभ सहकारी बैंकों को केवल तभी पहुंचाया जा सकता है, जबकि सम्बन्धित राज्य सरकारें इन विशेष आवश्यकताओं को शामिल करने के लिये अपने सहकारी कानूनों में संशोधन करने के लिये सिद्धान्त रूप में सहमत हो जायें। राज्य सरकारों को इस बात की शंका नहीं होनी चाहिये कि सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में उनकी शक्ति को छीन लिया जायेगा और रिजर्व बैंक निरंकुश रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। रिजर्व बैंक सहकारी बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं तथा विशेष पहलुओं की ओर सदा ध्यान देगा। अब सहकारी बैंक अपनी चालू निधियों के लिये रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों पर काफी निर्भर रहते हैं। यह भी आवश्यकता है कि सहकारी बैंक देहाती क्षेत्र से जमा बढ़ाने का प्रयास

करें और साथ ही किसानों को अधिक उधार दें। बीमा सुरक्षा प्राप्त हो जाने पर वे अपने संसाधन और अधिक बढ़ा लेने की स्थिति में हो जायेंगे।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधनों की भी व्यवस्था की गई जो निगम का कार्यक्षेत्र बढ़ने के साथ-साथ अनिवार्य जान पड़े। इस समय निगम की प्राधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये है और इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। निगम के निदेशकों की संख्या भी बढ़ाकर तीन कर दी जायेगी जिनमें से दो सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि होंगे। मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक धनात्मक है और सहकारी बैंकों को दृढ़ता प्रदान के लिये रचनात्मक उपाय किये जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभा में सब ओर से इसका स्वागत किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 31 जनवरी, 1969 तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रस्ताव और संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : हमारे देश में जमा बीमा योजना 1962 से परीक्षण के तौर पर आरम्भ की गई थी। इससे पहले विश्व में अमेरिका ने इस योजना को लागू किया था। परन्तु हमने इस योजना को छोटे पैमाने पर आरम्भ किया था, ताकि इसके लाभ तथा हानि का अध्ययन करके बाद में इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाये। इस योजना ने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त किया है। इसके द्वारा बैंकिंग प्रणाली का एकीकरण करने में सफलता मिली है। 1962 में 287 बैंक थे परन्तु आज 91 बैंक रह गए हैं और उनकी शाखाएं भी काफी विस्तृत हो गई हैं।

1962 में कुल जमा राशि 1643 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1967 में 3364 करोड़ रुपये हो गई है। इसके द्वारा जमाकर्त्ताओं के मन में बैंक में जमा धन के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ है। यह योजना काफी हद तक सफल रही है और हम पांच वर्षों के अनुभवों से सबक सीखकर इसमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं ताकि इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जा सके और जमाकर्त्ताओं को भी लाभ पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इसमें अन्य परिवर्तन लाये जायें, जिनसे इस योजना को वैज्ञानिक आधार पर चलाया जा सके।

गत पांच वर्षों में जमा बीमा निगम विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से 900 लाख रु० प्रीमियम के रूप में इकट्ठे करने में सफल हुआ है। इसके मुकाबले में जोखिम बहुत कम है और यह 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह कुल जमा प्रीमियम का डेढ़ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों का कार्य शानदार रहा है और कोई हानि नहीं हुई है। अब भी

प्रतिवर्ष निगम व्यापारिक बैंकों से 200 लाख रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में ले रहा है। यह कैसे न्याययुक्त हो सकता है कि जबकि हमारा वार्षिक संग्रह 200 लाख रुपये है और हमारा हानि की दर औसतन करीब केवल 2 लाख रुपये वार्षिक है तो प्रीमियम की वर्तमान दर को चालू रखा जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्यान्ह भोजन तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।'

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात सभा दो बजकर छः मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The House reassembled after lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker *in the Chair*** }

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद न किया जाए और सभा स्थगित कर दी जाये। देश में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। कल बैंक के 70,000 कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें और सभा की कार्यवाही को चलने दें।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : If the banks are closed then what is the use to have discussion on Deposit Insurance Scheme.

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल सांकेतिक हड़ताल है, माननीय सदस्य देवकी नन्दन पाटोदिया अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस विधेयक में एक मुख्य संशोधन निगम के कार्यक्षेत्र को सहकारी बैंकों तक बढ़ाना है। इसके साथ-साथ 1 जनवरी, 1968 से बीमा के धन की सीमा 1500 रुपयों से बढ़कर 5000 रुपयों तक कर दी गई हैं। इन दो बातों के अलावा इस संशोधन अथवा अध्यादेश द्वारा कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है।

अब हमें यह देखना है कि क्या ये संशोधन स्थिति के अनुसार है अथवा क्या ये पिछले 6 वर्षों के अनुभव के परिणाम हैं ? इस सन्दर्भ में मैं जोखिम की बात कह रहा हूँ। पिछले 6 वर्षों का यह अनुभव रहा है कि इस निगम द्वारा दिया गया शुद्ध हानि केवल 12 लाख रुपये थी। इसकी तुलना निगम द्वारा संग्रह किया गया धन 200 लाख रुपये था। इससे यह पता चलता है कि निगम द्वारा जमाकर्ताओं को दी गई शुद्ध हानि संग्रहित प्रीमियम की कुल राशि का केवल 1 प्रतिशत है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यह, जो 1500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किये गए हैं, स्थिति की मांग को पूरा नहीं करते।

हमारी बैंक प्रणाली ठोस आधार पर है। हमारा अनुभव अच्छा रहा है। और हानि नहीं के बराबर रही है। अतएव निगम को अपने जोखिम का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि निगम के अन्तर्गत 5000 रुपये रखने से भी जमा का कुल धन का 53 प्रतिशत नहीं आयेगा। इसको भी उसके अन्तर्गत क्यों नहीं लाया जाता है। हमारे पास इस समय 900 लाख रुपये जमा के रूप में है और इसके तुलना में 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष हानि के रूप में दिये जाते हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि अगर मंत्री समझते हैं कि इस समय कुल जमा को बीमा के अन्तर्गत लाना उचित नहीं है तो कम से कम 15,000 रुपये को बीमा के अन्तर्गत लाना चाहिए। इससे कम धन को बीमा के अन्तर्गत लाना उचित नहीं होगा।

मेरी दूसरी बात प्रीमियम की दर से है। इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं भारत के व्यापारिक बैंकों के वित्तिय परिणामों पर संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूंगा। आज भारत में व्यापारिक बैंकों के पास कुल जमा 3600 करोड़ रुपये हैं और उन्होंने 2700 करोड़ रुपये अग्रिम के तौर पर दिए हैं। इस प्रकार सब व्यापारिक बैंकों का शुद्ध लाभ केवल 35 करोड़ रुपये हैं, जो कि कुल जमा का 1 प्रतिशत है। इसमें से 16 करोड़ रुपये आयकर की भुगतान में दे दिये जाते हैं और बाकी 19 करोड़ रुपये अंशधारियों, आरक्षण और कर्मचारियों के लाभ के अंश में देनी पड़ जाती है। यह व्यापारिक बैंकों के कार्य करने का तरीका है।

इस तथ्य को देखते हुए, कि व्यापारिक बैंक इतना कम लाभ कमा रहे हैं, प्रीमियम के के रूप में 200 लाख रुपये देना उनके लिए भारस्वरूप है। पिछले अनुभव को देखते हुए इस भार के कोई न्यायोचित बात नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रीमियम की दर में कमी की जानी चाहिए।

मेरी तीसरी बात सहकारी बैंकों और उसके जमा को इसमें शामिल करने के सम्बन्ध है। यह एक अच्छा प्रस्ताव है। परन्तु दुर्भाग्यवश सहकारी बैंकों का कार्य ठीक नहीं रहा है। अशोध्य ऋण अनेक हैं और उनके चुकता किये जाने में अनेक कठिनाइयां हैं। इस विधेयक के अनुसार कुछ ही महत्वपूर्ण बैंकिंग कानून इस पर लागू होंगे इसका अर्थ यह हुआ कि सभी बैंकिंग कानून इस पर मान्य नहीं होंगे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक का व्यापारिक बैंक पर जो नियन्त्रण है वह सहकारी बैंकों में कितना कम रहेगा। अगर मंत्री महोदय समझते हैं कि सहकारी बैंक के सम्बन्ध में जोखिम अधिक है तो प्रीमियम की दर को बढ़ाया जाना चाहिए जो कि कई दृष्टियों में वांछनीय नहीं होगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों की जमा को इस योजना के अन्तर्गत तभी लाया जाय जबकि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि रिजर्व बैंक का नियन्त्रण सहकारी बैंकों पर उतना ही रहेगा जितना कि व्यापारिक बैंकों पर है।

मैं तीसरी बात इस निगम द्वारा नियोजित धन के बारे में कहना चाहता हूं। आज निगम का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है। प्रतिवर्ष इसकी जमा में 200 रुपये की वृद्धि होती जा रही है। इस समय निगम की शत प्रतिशत जमा रकमें सरकारी प्रतिभूतियों, शेयरों और प्रामिसरी नोटों में लगी हुई हैं। इसमें से एक प्रतिशत भी गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिभूतियों और शेअरों में लगाने के लिए नियत नहीं की गई है। इन जमा रकमों को इन क्षेत्रों में भी

लगाना चाहिए। गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिभूतियों और शेअरों में धन लगाने से अच्छा लाभ मिलेगा। इससे जमाकर्ताओं को अच्छा लाभांश मिलेगा तथा बीमा प्रीमियम को घटाया जा सकेगा। अतएव जमा रकम का कुछ प्रतिशत इनमें भी लगाना चाहिए।

मैं अब इस निगम के निदेशक मंडल के ढांचा तथा इसमें प्रतिनिधित्व के बारे में कहूंगा, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस निगम की स्थापना जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से हुई थी। इसको इसमें कुछ हद तक सफलता मिली है। परन्तु एक बात की कमी है वह यह कि मंडल में प्रत्येक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है परन्तु इसमें जमाकर्त्ताओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं। इस समय देश में 1,50,00,000 जमाकर्त्ता हैं जिन्होंने बैंकों में 3,600 करोड़ रुपये जमा किए हैं और इसी पर देश की अर्थ-व्यवस्था कायम है। परन्तु उनका निगम में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में यह संशोधन पेश किया है कि निगम में इन जमाकर्त्ताओं का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं संशोधन विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूँ। राज्य सरकारों की सहमति से इसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी ऋण समितियों को लाया जा रहा है।

जैसा कि विदित है कि काफी मात्रा में धन ग्रामों में भेजा जा रहा है और यह आवश्यक है कि इनको उपयोगी कार्यों में विनियोजित किया जाय। अगर जमाकर्त्ताओं को यह आश्वासन मिल जाता है कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार उनके जमा को बीमे के अन्तर्गत लायेगी तो इससे जमा में और अधिक वृद्धि होगी। अतएव मैं इस विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूं।

प्रीमियम के रेट में कमी की जानी चाहिए क्योंकि जोखिम का तत्व वास्तव में नहीं के बराबर हो गया है। आज कमजोर बैंकों का अस्तित्व नहीं रहा है और जितने भी बैंक आज चल रहे हैं वे सब सुदृढ़ आधार पर हैं। जहां तक व्यापारिक बैंकों का सम्बन्ध है उनमें अब जोखिम इतना नहीं रहा है क्योंकि वे निक्षेप बीमा योजना के अन्तर्गत आए हुए हैं। प्रीमियम के रेट कम कर देने से बैंक अपने अंशधारियों को अधिक दे सकेंगे।

इस योजना में सहकारी ऋण समितियों को शामिल करना एक बुद्धिमतापूर्ण कदम है। ऐसे सभी उपाय काम में लाने चाहिए जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों के जमाकर्त्ता अपने धन को इन समितियों में लगाएं जो कि फिर से लाभदायक कामों के लिए उपलब्ध हो सकें।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : इस निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य जमा बीमा की योजना को सहकारी बैंक तक बढ़ाना है। इस निगम की स्थापना तब हुई जबकि पलाई बैंक असफल हो गया था। शुरु में इसके अधीन रकम 1,500 रुपये थी जो बढ़कर इस वर्ष के आरम्भ में 5,000 रुपये हो गई। बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि 140 लाख लेखे में से कुल 129 लाख लेखा को संरक्षण मिला हुआ था और करीब 3,369 करोड़ रुपयों में से 1,553 करोड़ रुपयों की बीमा के अन्तर्गत लाया हुआ

था । इसका तात्पर्य यह है कि आधे से अधिक जमा को संरक्षण नहीं मिला हुआ है । चूंकि निगम का कार्य लाभ में चल रहा है तो क्या इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जायेगा ?

बीमे के अधीन 1,500 रुपयों की रकम बढ़ाकर 5,000 रुपये करना एक धीमी प्रगति है । मेरा सुझाव है कि प्रथम चरण में 25,000 रुपये का बीमा किया जाये । अगले चरण में 50,000 रुपये का बीमा दिया जाये और लक्ष्य यह होना चाहिए कि तीन से पांच वर्षों के भीतर एक लाख रुपया प्रति लेखा किया जाये ।

मैं मंत्री महोदय को कहूंगा कि सहकारी क्षेत्र में आने से पूर्व इस पर भली-भांति सोच-विचार कर लें । सहकारी बैंक इस समय अव्यवस्थित अवस्था में है । बीमा योजना को यहां लाने से पूर्व इसे व्यवस्थित करना चाहिए ।

सहकारी बैंकों में कई घांधलेबाजी चल रही है । रिजर्व बैंक ने जांच-पड़ताल करने के बाद यह पाया है कि तीस से चालीस प्रतिशत ऋण को वसूल नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा वहां गबन और जालसाजी बहुत है । इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहता है । क्योंकि कई बार ऋण उन किसानों को दिया जाता है जो किसी विशेष राजनीतिक विचार-धारा के होते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि इन बैंकों में निहित स्वार्थों के तत्व आ जाते हैं और गरीब किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है ।

जब तक रिजर्व बैंक आश्वत नहीं हो जाता है कि सहकारी बैंकों में जमा पूंजी सुरक्षित है तब तक जमा बीमा को इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए । मैं इस सिद्धान्त का समर्थक हूँ कि सहकारी बैंकों के जमा पूंजी को बीमा द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए परन्तु इसको तब तक कार्यरूप नहीं देना चाहिए जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाये कि इसमें घुसी हुई बुराइयों को दूर कर दिया गया है ।

रिजर्व बैंक के पास इस प्रकार के समुचित अधिकार हैं कि वह सहकारी बैंकों का निरीक्षण कर सके । अगर इन निरीक्षणों को भली-भांति किया जाये तो सहकारी बैंकों की शोचनीय स्थिति का पता चल जायेगा । रिजर्व बैंक का सहकारी बैंकों पर पूरा नियन्त्रण होना चाहिए ।

मैं श्री पाटोदिया और श्री हिम्मतसिंहका के इस सुझाव का समर्थन करता हूं जिसमें कहा गया है कि प्रीमियम की दर को घटाना चाहिए । मैं चाहता हूँ कि निगम अपनी आरक्षित धनराशि का निर्माण करे । इस समय आरक्षित धनराशि 8½ करोड़ रुपये है जबकि देनदारी 1,500 रुपये अथवा 1,600 करोड़ रुपये है । यह अधिक महत्वपूर्ण है कि निगम आत्म-निर्भर बने तथा बाद में बैंकों, बीमा कम्पनियों, जमा-बीमा निगम तथा कुछ संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिए । परन्तु यह तभी होगा जबकि निगम सुदृढ़ आधार पर खड़ा हो और यह भी ठीक नहीं है कि निगम बार-बार रिजर्व बैंक से सहायता मांगे ।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि निगम को अपनी सारी पूंजी सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने के बजाए ऋण-पत्रों, अधिमान शेयरों में लगानी चाहिए । इस प्रकार से निगम और रिजर्व बैंक को लाभ होगा ।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपना बैंक दर एक प्रतिशत से कम कर दिया है। यह इसलिए किया गया है कि उद्योगों को घन सुलभ तौर पर मिल सके। अतएव व्यापारिक बैंकों को भी अपनी दर कम करनी चाहिए। परन्तु देखा यह गया है कि अब भी ये बैंक पुरानी दरों पर ऋण देते हैं। रिजर्व बैंक को यह देखना चाहिए कि व्यापारिक बैंक उसकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं।

Shri Sheo Narain (Basti) : I had asked Pandit Jawahar Lal Nehru to nationalize the banks. The members of opposition parties have just informed that there would be strike in the banks tomorrow. As such the banks should be nationalized without further delay so that the politics may not come in the way of business.

The Government should give guarantee that the value of the deposits will not be reduced ever after the devaluation, and the depositors will get their money back at the value of Pre-Devaluation. Otherwise the pubiic will be harassed for nothing.

The Government should give guarantee to the public that protection will be given to their deposits. We are not against co-operative societies, But their malpractices and frand in these societies, It will be better if we check them properly and run the banks in a co-operative way, But we have to give nine percent as interest when we borrow and we get only six or four percent.

Although I support the bill but I warn the Government that the problem before the country is to nationalize the banks. To-day every person deposit their money in the banks. So the Government should give them assurance that every kind of protection will be provided to their deposits.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy Speaker this bill has been introduced to make amendment in the Deposit Insurance Act, 1961, The bill is for to give protection to those who deposit their money in the co-operative banks. But their are many malpractices in the co-operative banks which should be removed. Otherwise the bill will not serve any purpose, Many political parties have hold in the co-operative banks. As such money is given to those who support to certain political ideology. Such kind of loop holes should be closed. It must be ensured that no political parties should serve their interest through it Unless the evils in co-operative Societies are removed it is useless to expect good services from them.

The talk of reducing premiums rate is going on. Only those people support this move who do not want to safeguard the interests of depositores. They simply supporting the interests of bankers. The rate of Premium should not be reduced. Otherwise the depositors will be at loss and the bankers will be benefitted.

Nationalization of banks is the only way to remove all the evils and I support this more. In the absence of Nationalization of banks the capitalists and other monopolists will hold the economic character of our country. If such situation develop them then country cannot make progress in any field ; then the people will be dis-satisfied with your policy and they will hold demonstration for the nationalization of banks. They are going to demonstrate to morrow against the 36 (A) (D). If their dis-satisfaction is not removed then it will be difficult for the banks to run efficiently. Nationalization is the only way to remove all these dis-satisfaction and evils.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं यह एक गम्भीर भूल थी कि सहकारी बैंकों और समितियों को यह सुविधा नहीं दी गई थी, सहकारी बैंक ग्रामीण इलाकों में ऋण और सहायता दे रहे हैं, परन्तु इसमें जोखिम के होने की वजह से वे इतने उत्साही नहीं है ।

यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि केवल कुछ ही राज्य अपने कानूनों में संशोधन करने को राजी हुए हैं, जबकि अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया है । इस विधेयक के द्वारा रिजर्व बैंक को कई प्रकार के अधिकार दिये जा रहे हैं, इसलिए राज्य सहकारी बैंकों में संशोधन लाना आवश्यक है । यदि कुछ राज्य अपने सहकारी बैंकों के कानूनों में संशोधन करने को राजी नहीं होते तो इसका अर्थ यह होगा कि उनको वे सुविधाएं नहीं प्रदान की जाएगी जो अन्य राज्य के लोगों को मिल रही है, इस प्रकार से एक राज्य तथा दूसरे राज्यों में लोगों के बीच भेदभाव बरता जायेगा, इसलिए उन राज्यों को भी अपने सहकारी बैंकों में संशोधन करने को कहना चाहिए जो ऐसा नहीं कर रहे हैं । मुझे इस बारे में कुछ सन्देह है कि यह विधेयक किस प्रकार किसानों की समस्याओं को दूर कर सकता है और व्यक्तिगत जमा कर्त्ताओं को सुरक्षा प्रदान कर सकता है । क्योंकि कुछ राज्यों में सहकारी समितियों का आधार सुदृढ़ हो सकता है, परन्तु कुछ सहकारी संस्थाओं में तानाशाही प्रवृत्ति आ गई है । उदाहरण के तौर पर कुछ सुसगठित सहकारी बैंक अपने किसानों को कोई विशेष फसल बोने के लिए कहेंगे, ऐसा हो भी रहा है, इस प्रकार किसानों का अस्तित्व कुछ भी नहीं रह जाता है । कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां सहकारी बैंक प्रतिपक्षी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हैं । रिजर्व बैंक को बिहार राज्य से ऐसी बहुत सी खबरें मिल रही है जिसमें सहकारी बैंकों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है ।

यह देखा गया है कि सहकारी समितियों का लाभ उन वास्तविक लोगों को नहीं होता है जो इन समितियों के सदस्य होते हैं, इनके लाभ केवल समृद्धिशाली परिवारों को ही मिलते हैं । ये लोग इस प्रकार का संगठन बना लेते हैं जिससे किसानों को अपने भाग का लाभ नहीं मिल पाता हैं और सहकारी समिति के ऋण पर इन व्यक्तियों का आधिपत्य हो जाता है, मैं वैसे चाहती हूं की यह विधेयक सहकारी समितियों और बैंकों की सहायता के लिए लाया जाये, परन्तु साथ ही साथ सहकारी बैंकों में आयी बुराइयों को दूर करना चाहिए, तभी इस विधेयक का लाना सार्थक हो सकता है । सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंकों का सम्बन्ध जनसाधारण से है । यदि सहकारी बैंकों में थोड़ी अधिक पूंजी की व्यवस्था कर दी जाये तो हानि क्या है ? श्री रामावतार शास्त्री ने शायद विधेयक के प्रावधानों को ठीक से नहीं समझा है । उन्हें तो हर जगह ही राजनीति और भ्रष्टाचार नजर आता है । श्री शिवनारायण ने राष्ट्रीयकरण की मांग की है जबकि रेलवे से सम्बन्धित एक समिति में उन्होंने मेरे सामने रेलवे का प्रबन्ध गैर सरकारी संस्थाओं बिरलाओं या टाटाओं के हाथ में सौपने की बात कही थी । मुझे प्रसन्नता है कि उनकी विचार धारा में इतना बडा परिवर्तन हो गया है । मैं उनके इस सुझाव का भी स्वागत करता हूँ कि मुद्रा के मूल मूल्य का बीमा किया जाये अर्थात् उसे सुरक्षित रखा जाये ।

श्री स० कुण्डु (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय हमारे देश में स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था के निर्माण के लिये तीन बातों का होना आवश्यक है । जमाकर्ता को स्थिरता का आभास हो,

उन्हें इसमें विश्वास हो और जमाकर्ताओं द्वारा जमा किये गये धन का सदुपयोग हो। इस दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह विधेयक उचित है जो मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिये लाया गया है। हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त के अनुसार कुल जमा का 46 प्रतिशत अभी तक बीमा संरक्षा के अन्तर्गत नहीं आता। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि जमाकर्ताओं के खतरे को दूर करने के लिये उचित कार्यवाही की जाये। विधेयक का उद्देश्य भी यही है। यह सच है कि सहकारी बैंक ग्रामीण जनता के समर्थन और रिजर्व बैंक द्वारा दी गई पूंजी के आधार पर चलते हैं। अभी तक सहकारी बैंकों की गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन किसान, शिल्पकार और मजदूर आदि भाग नहीं लेते और सहकारी आन्दोलन में मुख्य रूप से कुछ सामन्त जमींदार ही सक्रिय जान पड़ते हैं। अतः सहकारी बैंकों की कार्य-विधि का पुनर्विलोकन अवश्य किया जाना चाहिये।

{ श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं
Shrimati Tarkeshwari Sinha *in the Chair* }

प्रिमियम की दर को कम करने के सम्बन्ध में भी कहा गया है। पांच पैसे की प्रिमियम दर से जमा योजना के लिये धन एकत्र किया जाता है। जमा योजना के पास जितना अधिक रूपया होगा उतना ही सुरक्षित उसका भविष्य होगा। यदि सहकारी बैंकों की प्रिमियिम दर में कमी करनी है तो उसके परिणामस्वरूप हुए घाटे को पूरा करने के लिये वाणिज्यिक बैंकों की प्रिमियम दरों में थोड़ी वृद्धि अवश्य ही की जानी चाहिये। बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है। जमा योजना जैसे उपाय तो नाम मात्र के उपाय हैं। जोखिम निवारण का असली और अन्तिम उपाय तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही है। उन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूँ कि विधेयक में जिन नये आधार भूत परिवर्तनों की व्यवस्था की गई है, उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) ; मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का प्रयोजन स्पष्ट है। इसका उद्देश्य है जमा बीमा अधिनियम 1961 के लाभप्रद प्रभावों का सहकारी बैंकिंग क्षेत्र तक प्रसार करना। जहां तक विधेयक के मूल सिद्धान्तों का सम्बन्ध है उसके बारे में मतभेद की गुंजाइश नहीं है। हां सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के बारे में कई सदस्यों ने अपना अपना मत प्रकट किया है। सहकारी बैंकिंग व्यवस्था एक विशेष प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है। उसमें जमा सम्बन्धी गतिविधियों की अपेक्षा ऋण देने सम्बन्धी कार्य अधिक होता है। प्राय गांवों में सहकारी समितियां जो शेयर एकत्र करती हैं। एक शेयर का दस गुणा जिला सहकारी बैंक से ऋण के रूप में लिया जा सकता है इन जिला बैंकों को राज्य सहकारी बैंक ऋण देता है। इन सहकारी बैंकों के रिजर्व बैंक भी पर्याप्त मात्रा में ऋण देता है। ग्रामीण क्षेत्रों से वास्तव में इन बैंकों में धन जमा नहीं किया जाता, वे केवल ऋण देते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस विधेयक से ग्रामीण जनता की पूंजी को ऐसे बैंकों में जमा के लिये किस हद तक आकर्षित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक से अप्रत्यक्ष रूप से इस दिशा में भी सहयोग प्राप्त होगा। जमा सुरक्षा, की भावना से से लोग इन बैंकों में धन जमा करने के लिये राजी हो जायेंगे। यह दुख की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक समय पर ऋण की अदायगी न करने वालों की समस्या भी उनके सामने एक गम्भीर समस्या है। रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली उनमें लागू हो जाने पर उनकी कार्य प्रणाली में अवश्य ही सुधार होगा।

जहां तक राज्य की स्वायत्तता का सम्बन्ध है, मेरे विचार से इस विधेयक से राज्य की स्वायत्तता पर कोई आंच नहीं आयेगी। इस विधेयक में जबरदस्ती की व्यवस्था नहीं हैं प्रत्युत स्वेच्छा की व्यवस्था है। राज्य सरकारें अपने यहां की सहकारी संस्थाओं के बारे में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यदि राज्य के सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार काम करें तो, मेरे विचार से, राज्य की स्वायत्तता पर इससे ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। केन्द्र–राज्य के सम्बन्धों का मामला भी इस सम्बन्ध में उठना वांछनीय नहीं है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया ने जो बात निगम आरक्षित पूंजी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कही है। प्रतिवर्ष केवल 2 लाख रूपये जोखिम पूंजी की आवश्यकता होती है तो शेष रिजर्व की पूंजी का किस प्रकार सदुपयोग किया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा कि प्रीमियम देने वाले लोगों को इसमें से बोनस दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री एस० कन्डप्पन (मैदूर) कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सहकारी समितियों के राष्ट्रीयकरण, उनके कार्य संचालन में सुधार आदि की चर्चा की है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की दशा पर दृष्टिपात करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक इस विस्तृत क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण न किया जाये। हां इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि सहकारी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को सुधारा जाये। सहकारी क्षेत्र पर अधिकांश रूप में सरकार का नियंत्रण है, केन्द्रीय सरकार का सीधा नियंत्रण न सही, रज्य सरकार का नियंत्रण तो है ही। सहकारी बैंकिंग समितियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। दुर्भाग्य से सहकारी समितियों का कार्य अब तक असंतोष जनक ही रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों के प्रधानों के निर्वाचन के समय अधिकतर ऋण दिये जाते हैं और लोगों को प्रभावित किया जाता है। अपने दल के लोगों को ऋण दिये जाते हैं। अपने विरोधी दलों के लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य ही नहीं बनाया जाता। समितियों के प्रधान विभिन्न लोगों के नाम से स्वयं ऋण लेते है और 20 से 30 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे गैर सरकारी तौर पर गरीब किसानों आदि ग्रामीण लोगों को देते हैं। स्वयं वे 8 या 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देते हैं। इस प्रकार ये सरकारी धन से लाभ कमाते हैं।

{ श्री वासुदेवन नायार पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair* }

यदि सरकार सहकारी समितियों को इस योजना के अन्तर्गत लाना चाहती है तो उसे सब से पहले ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे सहकारी समितियों का कार्य व्यापार सुधर

जाये । यदि ऐसा न किया गया तो सहकारी समितियां अन्य बैंकों पर भार बन कर रह जायेंगी ।

मेरे विचार से मेरा राज्य इस व्यवस्था का विरोध नहीं करेगा क्योंकि इसके अनुसार सहकारी समितियों का सीधा सम्बन्ध रिजर्व बैंक से जुड़ जायेगा । यदि केन्द्रीय सरकार किसानों को ऋण देने के लिये अधिक धन देने को तैयार है तो मेरा ही राज्य क्या कोई भी राज्य इसका विरोध नहीं करेगा । मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि यदि कुछ समस्याओं या कठिनाइयों की वजह से कोई राज्य केन्द्रीय सरकार के किसी सुझाव को मानने में असमर्थता प्रकट करे तो इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिये कि राज्य केन्द्रीय सुझावों को मानना ही नहीं चाहता । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये । इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूँ कि सहकारी समितियों के कार्य में सुधार होगा और उनकी बैंकिंग व्यवस्था ठीक हो जायेगी ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir while there is need to nationalise the banks, the Government is bring forward the Bill like this. I think that our Finance Minister has devised a measure to extract the money from the people in order to meet the Government expenditure increasing day by day. Social control on banks will not do. It is only nationalisation of banks which will put real control on the banks.

The Deposits Insurance, Corporation was set up with a capital of one crore of rupees. Now it has a capital of about 9 crores of rupees. During last 6 years it paid Rs. 50 to 60 lakhs to the dipositors on account of failure of banks like National Bank of Pakistan Government utilizes rest of its money for its own purposes. Moreover, the experience of last 6 years shows that the number of banks is decreasing while the position of banks is being strengthened by the process of amalgamation. As such there is no need of deposit insurance. what is the need of insurance cover for the state Bank of India, which is the bank of Government ? The rirk, as it is, does not lie with the deposits in the state Bank of India or with the Cooperative Banks under the control of state Governments. The risk lies with the deposits made by the innocent people at the rate of 8% or 9% with the private companies The real risk exists there. If Government wants to extend insurance cover to all deposits in its all sincerity, this insurance cover should be extended to all such companies. It is strange that Government wants to provide this insurance cover to the banks where there is no risk and is not prepared to extend this cover to private companies where risk actually lies.

I am not able to understand why Government wants to raise the capital of this Corporation from one crore to five crores of rupeess while an amount of 9 crores of rupees is there in reserves of it. If you want more money to cover the more risk you can take out the money from the reserves. In the end, I would like to say that we cannot support this kind of measure. We will support if there is a Bill for nationalization of banks.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लिया है । माननीय सदस्यों ने कई बातें ऐसी भी कहीं है जिनका सीधा सम्बन्ध प्रस्तुत विधेयक से नहीं है । अतः मैं उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा, जो विचारधीन विधेयक से एक दम सम्बद्ध हैं ।

जहां तक सहकारी क्षेत्र की लचर-पचर स्थिति या उसके असंतोषजनक रूप से कार्य करने की बात है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि देश के कुछ राज्यों में सहकारी क्षेत्र ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं जबकि अन्य राज्यों में उसका काम उतना ही संतोषप्रद नहीं है, और ऐसे ही स्थानों पर सहकारी क्षेत्र में दृढ़ता लाने की आवश्यकता है। परन्तु मूल बात यह है कि देश के आर्थिक विकास में सहकारी आन्दोलन का मुख्य हाथ रहेगा। हममें से अधिकतर सिद्धान्ततः इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक प्रगति में सहकारिता का का महत्वपूर्ण योगदान रहे। इस तथ्य को मान लेने पर ही सहकारी आन्दोलन में सुधार का प्रश्न उठता है। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य प्रस्तुत विधेयक को इसी दृष्टि से देखें। इसके आधार पर सहकारी बैंक भविष्य में अत्यधिक लाभ-प्रद कार्य कर सकेंगे। इसमें भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जमा बीमा अधिनियम के सहकारी बैंकों पर लागू होने से उनमें जमा की राशि में अत्यधिक वृद्धि होगी। इससे जमाकर्ताओं में मन में अपने धन की सुरक्षा की भावना पैदा होगी जिससे वे अपना अधिक धन बैंकों में जमा करेंगे।

मैं इस बात से सहमत हूं कि दायित्व की सापेक्षता में रिजर्व की राशि बढती जानी चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह आलोचना भी की है कि निगम ने इतनी अधिक रिजर्व राशि क्यों एकत्रित कर ली है। मेरे विचार से यह तो निगम का कर्त्तव्य था कि वह अपने रिजर्व को बढाये।

यदि हम चाहते हैं कि ये सहकारी बैंक ग्रामीण बचतों को जुटाने में उपयोगी काम करे तो यह बहुत जरूरी है कि हम उन्हें मजबूत बनाये और खातेदारों को बीमे का संरक्षण दें। यह सम्भव है कि सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ त्रुटियां हो, परन्तु बीमें के रूप में संरक्षण देने से खातेदार यह महसूस करेंगे कि उनके हितों को सुरक्षित रखा गया है। अतः इस विधेयक को इसी प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है कि मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों को एक मत होकर इसका स्वागत करना चाहिये।

प्रीमियम की दर के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था। यह कहा गया था कि प्रीमियम की दर कम की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम सहकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम में अब आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमें पर्याप्त अनुभव नहीं है और जिसके कार्यकरण के परिणामों से ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। देश के लगभग 1000 बैंकों पर यह विधेयक लागू होगा। इसलिये इस निगम के संभाव्य दायित्व के बारे में इस समय सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः इस पहलू को देखते हुए भी प्रीमियम की दर कम करने के लिये यह उचित समय नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि हमें जमा की जाने वाली उन रकमों के बारे में भी दूरदर्शी होना चाहिये जो हम बीमा के अन्तर्गत ला रहे हैं। कुछ सदस्यों ने कहा था कि हम अब 5000 रुपये तक पहुंच चुके हैं तथा हमें इस रकम को और आगे बढ़ाना चाहिये। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें कुछ रक्षित रकम रखनी चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि इस प्रीमियम की दर यही रखें। इस समय प्रीमियम कम करने का मतलब यह होगा कि हम रकम की अधिकतम सीमाओं को नहीं बढ़ा सकेंगे।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि हमें पूंजी गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाकर अधिक मुनाफा कमाना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि हमारी रकम सुरक्षित रहे और इस कारण से हमने इस रकम को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगाया है। जिससे रकम समाप्त न हो जावे।

मेरे माननीय मित्र श्री कोठारी ने रिजर्व बैंक के अधिकारों का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि रिजर्व बैंक को इस सम्बन्ध में निरीक्षण का अधिकार होना चाहिये। वास्तविकता तो यह है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने का अधिकार पहले ही प्राप्त है।

श्रीमती सिन्हा ने यह प्रश्न उठाया कि यह विधेयक कुछ राज्यों पर तो लागू होगा परन्तु कुछ अन्य राज्यों पर नहीं होगा। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूं कि यद्यपि कुछ राज्य के उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु हमें आशा है कि जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है वे सभी राज्य इसका लाभ उठाना चाहेंगे।

श्री कंडप्पन ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सम्बन्धों का उल्लेख किया था। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि राज्य सरकारों के अधिकारों का किसी प्रकार भी हनन न हो। यह विधेयक तभी लागू होगा जब राज्य सरकारें इसके लिये सहमत होगी और अपने विधान मण्डलों में इसी प्रकार विधेयक पारित करेंगी।

मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और अब विधेयक की अगली स्टेज पर चल सकते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Sir, I want to say a few words on my motion of circulation. My motion is that this Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon. This is the demand of the people that the Banks of the country should be nationalised so that the capital and other resources may be mobilised and the development work can be expedite. But instead of doing that Government is side tracking the issue. Hence I want that this Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, उस पर 31 जनवरी, 1969 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : विधेयक पर अब खण्ड वार चर्चा होगी ।

खण्ड 2

सभापति महोदय : इस खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है । अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

सभापति महोदय : इस खण्ड पर कुछ सरकारी संशोधन–अर्थात् संशोधन संख्या 4, 5 और 6 हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 17 में '1967' के स्थान पर '1968' रखा जाये ।

कि पृष्ठ 4, पंक्ति 22 में '1967' के स्थान पर '1968' रखा जाये ।

कि पृष्ठ 5, पंक्ति 6 में '1967' के स्थान पर '1968' रखा जाये ।

ये संशोधन केवल वर्ष बदलने के लिए अतः आनुषंगिक हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 17 में '1967' के स्थान पर '1968' रखा जाये ।

कि पृष्ठ 4 पंक्ति 22 में '1967' के स्थान पर '1968' रखा जाये ।

कि पृष्ठ 5, पंक्ति 6 में '1967' के स्थान पर '1968' रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3, as amended, was added to the Bill

खण्ड 4

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

यदि रकम के हिसाब से देखा जाये तो निगम की पूंजी चाहे तीन करोड़ हो या चार करोड़ रुपये हो इसका बहुत महत्व नहीं है। जब सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है तो तीन चार करोड़ रुपये की क्या बात। इसका महत्व तो इसलिये है क्योंकि यह विधेयक तो एक प्रयोग है तथा यह प्रयोग बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यदि सरकार को इतनी अंश पूंजी के साथ, जिसमें इतना अधिक अन्तर हो, इतने लम्बे समय के लिये शक्ति प्रदान की जाये तो यह खतरा और भी बढ़ सकता है। यह शिकायत की गई है कि सरकारी समितियां अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। यदि यही स्थिति है तो क्या रिजर्व बैंक उन बैंकों पर अपने अधिकारों से संतुष्ट रह सकता है जो ऐसी समितियों को ऋण देते हैं। यदि समितियां ठीक नहीं है तो बैंकों पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। कृषि समितियों की ओर छः करोड़ रुपये तथा गैर-सरकारी समितियों की ओर 10 करोड़ रुपये बकाया थे। ये समितियां ऐसी बकाया राशि को प्रायः भुगतान नहीं करती है और दीवाला निकाल देती है जिसका दायित्व जमा खाता बीमा योजना पर पड़ेगा। इसलिये बैंकों पर से रिजर्व बैंक का नियंत्रण हटाने का बड़ा गम्भीर परिणाम निकलेगा। हमें ऐसी योजना को पास करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा।

मेरी दूसरी बात यह है कि जमा कर्ता विश्वास पर निर्भर करते हैं परन्तु लोगों को बैंकों पर नहीं तो रिजर्व बैंक पर क्या विश्वास है। मन्त्री महोदय ने बताया था कि रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है परन्तु उसकी गलती के बारे में क्या किया गया है। आप पलाई बैंक का उदाहरण ही ले लीजिये। यह पलाई बैंक बैंकिग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 1949 से काम कर रहा था। उनके यहां रिजर्व बैंक का अधिकारी भी था। परन्तु फिर भी क्या हुआ। उसकी पूंजी समाप्त हो गई तथा सरकार और जमा कर्ताओं को बहुत हानि हुई। अतः मेरा प्रश्न यह है कि यह देश रिजर्व बैंक पर कैसे विश्वास कर सकता है जिसके पास शक्ति तो है परन्तु वह उसका प्रयोग नही करता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें सरकार को 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का अधिकार देने की बजाय हमें 3 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का अधिकार देकर ही संतुष्ट रहना चाहिये।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I beg to move my amendment No. 30. I have already expressed my views on this point and will say only one or two things more now. There are to funds in Deposit Insurance Act. In case there is need of money their, the Reserve Bank can give loan to Deposit Insurance Fund under section 26 of the original Act then I don't think that there is any need to raise the authorised capital from Rs. 1 crore and 25 lakhs onwards.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि दोनों माननीय सदस्यों ने यह कहा होता कि प्राधिकृत पूंजी बढ़ाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं समझता कि उन्होंने अपने मामले के बारे में अच्छा तर्क दिया है। परन्तु दोनों माननीय सदस्य इस बात के लिये सिद्धान्त रूप से तैयार हैं कि पूंजी बढ़ाई जाये। श्री लोबो प्रभु तो कहते हैं कि इसे बढ़ा कर एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये कर दिया जाये परन्तु श्री जार्ज फरनेन्डीज चाहते हैं कि इसे 1½ करोड़ रुपये किया जाये। अब यह तो दूसरी बात रही कि इसे कितना बढ़ाया जाये और इसे कौन बढ़ा सकता है।

दूसरी बात रिजर्व बैंक में लोगों का विश्वास न होने के बारे में कही गई थी। परन्तु मैं समझता हूं कि श्री लोबो प्रभु जैसे अनुभवी प्रशासक अवश्य जानते होंगे कि इस योजना में रिजर्व बैंक का क्या स्थान है। उसे देखते हुए मैं समझता हूं कि इस सस्थान में विश्वासभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती हो सकती है परन्तु गलती को बताये जाने पर रिजर्व बैंक अवश्य कार्यवाही करता है। पलाई बैंक की बात तो अब पुरानी हो चुकी है तथा रिजर्व बैंक के कारण स्थिति में बहुत सुधार भी हुआ है। अतः हमें रिजर्व बैंक के निर्णय को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये। अतः मुझे आशा है कि इन सब बातों को देखते हुए दोनों माननीय सदस्य अपने अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 10 और 30 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 10 और 30 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived,

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

सभापति महोदय : इस खण्ड पर बहुत से संशोधन हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 11, 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० कुन्हू : मैं अपने संशोधन संख्या 15 और 18 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 में "Banking" ('बैंकिंग") शब्द के पश्चात्, "Insurance" ("इंश्योरेंस") शब्द रखे जायें ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अपने संशोधन संख्या 31, 32, 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं अपना संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : इस समय इस निगम के निदेशक रिजर्व बैंक और सरकार की ओर से लिये जाते हैं । गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के अतिरिक्त तीसरा निदेशक वित्त मन्त्रालय का अधिकारी होता है । तब रिजर्व बैंक दो निदेशक मनोनीत करता है । मेरा निवेदन यह है कि इन निदेशकों की संख्या कम की जानी चाहिये ।

{ **श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao *in the chair* }

दूसरी बात यह है कि जो कुछ रिजर्व बैंक कर रहा है उसका अनुमोदन करने वाले लोगों को अधिक धन देने में कोई औचित्य नहीं है । वे लोग तो रिजर्व बैंक के कार्यों का अनुमोदन ही करते रहेंगे और उन्हें लोगों के हित की कोई परवाह नहीं होगी । अतः मैं समझता हूं कि बाहर से लिये जाने वाले निदेशकों के बारे में संसद की मंजूरी अवश्य ली जानी चाहिये । इससे संसद में निगम को सहयोग देने की भावना पैदा होगी ।

श्री स० कुण्डू : क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत व्यक्ति निदेशक बोर्ड में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा । इसलिये उसके लिये बीमे का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है ।

इसके अतिरिक्त, मैं श्री देवकीनन्दन पाटोदिया के संशोधन का समर्थन करता हूं कि खातेदारों का भी एक निदेशक होना चाहिये । चूंकि लाखों खातेदार होते हैं इसलिये यदि निदेश बोर्ड में उनके प्रतिनिधि को एक निदेशक के रूप में ले लिया जाये तो उनका मामला मजबूत हो जायेगा ।

[Shri George Fernandes : Sir, I don't think that there is any necessity to increase the number of Directors from two to five. There is absolutely no need to set up a Board of Directors. I don't understand what these directors will do. Moreover if their number is increased that will put more burden on the exchequer.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैंने यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है ताकि निदेशक बोर्ड में खातेदारों के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाये । निदेशक बोर्ड में बहुत से वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । दूसरे, इस संस्था को खातेदारों द्वारा जमा की गई रकम की सुरक्षा की दृष्टि से ही स्थापित किया गया है । अतः यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सरकार यह बात स्वीकार करने के लिये तैयार क्यों नहीं है कि निदेशक बोर्ड में खातेदारों का

भी एक प्रतिनिधि होना चाहिये : मैं समझता हूं कि सरकार को खातेदारों की इस मांग को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री कृ० चं० पन्त : सभापति महोदय सभी संशोधन नियुक्त किये जाने वाले निदेशकों की संख्या के बारे में हैं, सरकार का प्रस्ताव विदेशकों की संख्या बढ़ाकर 8 करने का है और दो व्यक्ति सहकारी बैंकिंग और सहकारिता आन्दोलन की जानकारी रखने वाले होने चाहिए । तथा तीन व्यक्ति वाणिज्यिक बैंकिंग, वाणिज्य उद्योग और वित्त के बारे में विशेष ज्ञान वाले होने चाहिये । रिजर्व बैंक का गवर्नर इस निगम का अध्यक्ष होगा, रिजर्व बैंक का एक अन्य अधिकारी होगा और एक सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा । श्री लोबो प्रभु ने कहा कि वे निदेशक मण्डल में सरकारी व्यक्तियों के अधिक संख्या में होने से प्रसन्न नहीं हैं । वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार रिजर्व बैंक के मनोनीत व्यक्तियों को मिलाकर 3 सरकारी व्यक्ति और 5 गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

यदि उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो सरकारी व्यक्तियों की संख्या एक और बढ़ जायेगी । इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अपितु वह तो सरकार के पक्ष में अधिक होगी, जो उनकी मंशा नहीं है । मैं समझता हूं कि वे इसे वापस ले लेंगे ।

श्री कन्डप्पन ने कहा कि बीमा के बारे में एक अधिकारी विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होना चाहिये । रिजर्व बैंक इस निगम का पूर्ण रूप से स्वामी है । इस नाते वह चाहेगा कि निगम ठीक प्रकार काम करता है इसलिए हम रिजर्व बैंक के बारे में कोई अर्हता निर्धारित नहीं करना चाहते हैं । रिजर्व बैंक ऐसे ही आदमी को नियुक्त करेगा जो अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार निभा सके । इस समय भी एक गैर–सरकारी अधिकारी को बीमा के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त है । मैं इस बिचार को स्वीकार करता हूं कि बोर्ड में बीमा के क्षेत्र का एक प्रतिनिधि रहना चाहिये । इसलिए मैं आशा करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

श्री फरनेन्डीज बोर्ड से रिजर्व बैंक और सरकार की प्रतिनिधित्व को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहते हैं । मैं इस संशोधन को गम्भीर रुप में नहीं ले सकता । श्री पाटोदिया ने कहा कि जमाकर्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना रिजर्व बैंक का काम है और इस मामले में रिजर्व बैंक इस निगम का पूर्ण स्वामी है । यह निगम ही जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये बनाया गया है । ऐसी कोई बात नहीं है कि बैंकरों अथवा वित्त प्रदान करने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । एक प्रोफेसर को बैंकिंग में विशेष ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हम उसे बोर्ड का सदस्य बना सकते हैं । बैंकिंग का ज्ञान प्राप्त व्यक्ति का बैंकर होना आवश्यक नहीं है । इसलिये किसी जमाकर्ता को बोर्ड का सदस्य बनाना आवश्यक नहीं है । जमाकर्ता के हितों की रक्षा निगम के अपने हित में होगी ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) Mr. Deputy Speaker, Sir. I have to clarify one point. The hon. Minister said that I wanted to keep out the Reserve Bank and the Government altogether from the Board. This is a misleading statement. You

kindly see the original act. I have only said that the number remain 2 and do not increase it to 5.

श्री कृ० चं० पन्त : आप का संशोधन जो भी हो, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 5. पंक्ति 30,--

'Banking' (बैंकिंग) शब्द के पश्चात 'Insurance' (इंश्योरेन्स) शब्द रखा जाये'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 37 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 37. was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

All other amendments were put and negatived.

उपध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खन्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5. as amended was added to the Bill

सिविल रक्षा नियमों में रुपभेद के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. MODIFICATION TO CIVIL DEFANCE RULES.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । स्पष्ट है कि श्री श्रीनिवास मिश्र का प्रस्ताव सिविल रक्षा अधिनियम की धारा 20 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है । धारा 20 में कहा गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम तथा प्रत्येक विनियम बनाये जाने के बाद 30 दिन की अवधि, जो एक सत्र में अथवा लगातार के दो सत्रों में पूरी होती हो, संसद् के प्रत्येक सदन में रखा जाना चाहिए तथा जिस सत्र में वे रखे गए हों, यदि उसी सत्र में दोनों सदन कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं, तो ये नियम संशोधित रूप में ही लागू होंगे ।

मेरा निवेदन यह है कि यदि गत सत्र में सभा पटल पर रखे गये नियम में संशोधन करना था, तो वह उसी सत्र में किया जाना चाहिए था। यह 26-7-68 को सभा पटल पर रखा गया था और पिछला सत्र 30-8-68 को समाप्त हो गया। पिछले सत्र में ही 30 दिन की कानूनी अवधि समाप्त हो गई। जब 30 दिन की अवधि उसी सत्र में समाप्त हो जाती हैं, तो संशोधन उसी सत्र में रखा जाना चाहिये। यदि 30 दिन की अवधि उसी सत्र में समाप्त न हो तो अगले सत्र में रखने वाला उपबंध लागू हो सकता है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आपका निर्णय चहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : गत सत्र में नोटिस दिया गया था परन्तु इसे कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका। उन्हें इसे प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि वे इसे गत सत्र में ही ला चुके हैं।

श्री क० नारायण राव : प्रश्न यह है कि वह अवधि समाप्त हो गई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये गत सत्र में लाया गया अथवा नहीं। इससे मेरी बात में कोई अन्तर नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप धारा 20 के प्रश्न भाग का बहुत ही सीमित अर्थ निकाल रहे हैं। इस धारा के शेष भाग को देखते हुए यह उचित नहीं है।

श्री क० नारायण राव : यदि लम्बी अवधि सभी संस्थानों के लिये हो तो विकल्प में कम अवधि का उल्लेख निरर्थक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले सत्र के तुरन्त बाद शब्द इसकी अनुमति देते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनियमितता है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मै प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा संकल्प करती है कि सिविल रक्षा अधिनियम,, 1968 की धारा 20 के अनुसरण में, सिविल रक्षा नियम, 1968 में, जो दिनांक 10 जुलाई, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1277 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और 26 जुलाई, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किया जाये, अर्थात:—

नियम 13, में, 'केन्द्रीय सरकार' के पश्चात् 'अथवा राज्य सरकार' रखा जाए। यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : राज्यों के बिना केन्द्र का कोई स्थान नहीं है। राज्यों की सहायता और सहयोग के बिना कोई भी सिविल रक्षा कार्य लाभप्रद नहीं हो सकता। इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है कि केन्द्र सिविल रक्षा कार्यों से राज्यों को अलग रखने की बात सोच सकता है। मै समझता हूं कि यह चीज भूल से रह गई है। यह अधिनियम सिविल सुरक्षा के लिये सिविल

रक्षा दल बनाने के बारे में है। सिविल रक्षा की व्याख्या "शत्रुतापूर्ण आक्रमण के विरुद्ध तैयारी" की गई तथा धारा 2 (क) में किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा चाहे किसी युद्ध बाहरी आक्रमण, आन्तरिक दंगों अथवा अन्य स्थिति में किसी भी हमले को शत्रुतापूर्ण कार्य बताया गया है। इसलिये यह सिविल रक्षा दल केवल बाहरी आक्रमण के लिये ही नहीं अपितु आन्तरिक दंगों के लिये भी बनाया गया है। विभिन्न बातों के लिये नियम बनाने की शक्ति केन्द्र ने अपने आप ली है। उपधारा (1) में उन बातों का उल्लेख है जिनके बारे में राज्य सरकार आदेश दे सकती है। अध्याय 3, धारा 4 में कहा गया है कि राज्य सरकारें सिविल रक्षा दल बना सकती हैं अथवा बनायेंगी। उप-धारा (2) के अनुसार राज्य सरकार गतिविधियों के तालमेल के लिये कंट्रोलर नियुक्त कर सकती है। धारा (7) में कहा गया है कि दल के सभी सदस्य हटाये जाने पर राज्य सरकार से अपील करेंगे। धारा (17) के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अपनी सभी अथवा कोई भी शक्ति किसी अन्य को प्रयोग करने के निदेश दे सकती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकारों को प्रत्यायोजन की शक्ति प्रदान की गई है और राज्य सरकार अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकती है।

इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं। नियम 3 आग को बुझाने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में है और इसमें यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार आदेश द्वारा मालिक अथवा अधिवासी को कुछ उपाय करना आवश्यक बनाने के लिये उपबन्ध कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह भूल से रह गया।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : जी, नहीं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : तो यह जानबूझकर किया गया है, मैंने आपका ध्यान आकर्षित करके ठीक ही किया। नियम 4 और 5 में भी "केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार" का उल्लेख है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि नियम 12 और 13 में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि नियम 12 का विषय अर्थात बड़ी बन्दरगाहें, केन्द्रीय के अधीन है, मैं इसपर आपत्ति नहीं करता, परन्तु नियम 13 में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार एक आदेश द्वारा आदेश में उल्लिखित समय में किसी खान के मालिक अथवा प्रबन्ध ऐजन्ट अथवा किसी कारखाने के अधिवासी अथवा प्रबन्ध को खान अथवा कारखाने के ठीक प्रकार काम करना सुनिश्चित करने और दुर्घटनावश अथवा अन्य किसी कारण से आग लगने पर उसके तथा आस-पास के व्यक्तियों और सम्पत्ति की सुर । के लिये किये गये उपायों की लिखित रिपोर्ट देने के लिये कह सकती है। यहां पर खानें राज्य का विषय हैं, कुछ साधारण धातुएं केन्द्र का विषय बताई गई हैं और कुछ राज्य का विषय हैं। राज्यों में गैर-सरकारी कारखानें हैं और सरकारी क्षेत्र में भी उनके कारखाने हैं। कुछ राज्यों में केन्द्रीय सरकार के भी कारखाने हैं। इस मामले में आप राज्य सरकार पर सन्देह क्यों करते हैं।

उद्देश्य तो अग्निकाण्ड रोकना है। यदि केन्द्रीय सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती, तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि राज्य सरकार को कुछ कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाये? 1967 के आम चुनावों के बाद, जिनमें उन्हें अच्छी सफलता नहीं मिली, इस मंत्रिमण्डल

को कुछ राज्य सरकारों के बारे में संदेह हो गया है । वे यह कैसे कह सकते हैं कि यहां दिल्ली में बैठी केन्द्रीय सरकार वहां पर विद्यमान राज्य सरकारों की तुलना में अग्निकाण्डों के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय करने में अधिक सक्षम है ।

मैंने अधिनियम की सम्बन्धित धारायें पढ़ी हैं । केन्द्रीय सरकार नियमों के द्वारा अधिनियम की भावना के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती और सिविल रक्षा कार्यों से राज्य सरकारों को अलग नहीं रख सकती । यह तो संविधान की भावना के भी विरुद्ध है । मेरा अनुरोध है कि सब मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am thankful to Shri Misra who has taken pains to bring forward this motion to remove the shortcomings in the Civil Defence Rules.

I cannot help but doubet the intention of the Government, the way they are now passing various rules and acts. You are all well aware of the way now they have taken away the powers of the State Governments guaranted under the Federal constitution by passing the Central Industrial Security Force Bill. Similar attempt has been made in case of Civil Defence Rules. Mr. Misra has very ably explained that the aim of civil defence is to mobilise popular support against external aggression and it is not possible without associating the State Governments.

It is very simple rule that any rules, which go against the constitution and the orignal act, are void. I think that rule 13 of the Civil Defence rule is unconstitutional from this point of view and the modification moved by Shri Misra should be accepeted. In Rule 4 about comonflage both Central and State Governments are mentioned but the wording of rule 13 support the contention that the Central Government wants to take away the constitutional right of the State Govrnments in the matter. There are mines and factories in public sector run by the State Governments. The Statement of the hon. Minister that it is deliberate is very unfortunate. I hope the House will accept the modification in Rule 13 suggested by Shri Mishra.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मिश्र और श्री रवि राय का समर्थन करते हुए धारा 12 की ओर ध्यान दिलाना चाहाता हूं, जो बड़े पत्तनों में आग लगने के विरुद्ध उपाय करने के बारे में है । बम्बई और कलकत्ता पत्तन लगभग शहर में ही स्थित हैं, जो राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं । मान लीजिये कलकत्ता, अथवा बम्बई अथवा मद्रास पत्तन में जो की आग लग जाती है, तो सारा शहर ही आग की लपेट में आ जायेगा, जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है । इसके अतिरिक्त वे राज्य सरकारों की राजधानी भी हैं । हम यह भी जानते हैं कि भीषण आग पर दमकल सेवाओं द्वारा ही काबू पाया जा सकता है, जो वित्त, नियंत्रण आदि सभी प्रकार से राज्य सरकारों के अधीन हैं । पत्तन प्रशासन इतनी बड़ी दमकल सेवा नहीं रख सकते हैं । केन्द्रीय सरकार और पत्तन प्राधिकार आदेश दें आदि व्यवस्था कहां तक व्यवहार्य है । इससे तो अग्निकाण्ड का सामना करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । इसलिये नियम 13 राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन है । इसके अलावा आग बुझाने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि तीनों प्राधिकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो जायेगा । इसलिये नियम 12 और 13 का संशोधन किया जाना चाहिए ।

श्रीदत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं यह बात स्मरण कराना चाहता हूँ कि बड़े पत्तन कानून और व्यवस्था के मामलों में राज्य सरकारों पर निर्भर करते हैं। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1944 में बम्बई गोदी में एक भयंकर विस्फोट हुआ था और आग पर स्थानीय दमकल सेवा की सहायता के बिना काबू नहीं पाया जा सका था। इसलिए पत्तनों में भी पत्तन प्रशासन स्वयं आग बुझाने का कार्य नहीं कर पायेगा, विशेष रूप से जबकि शहर पत्तनों के साथ ही हैं। नियम 13 के बारे में कारखाने तथा अन्य बातें हैं। अच्छा यह होता कि इस चर्चा के आरम्भ होने से पहले मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे देते।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा ने सरकार और कार्यपालिका को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है और यदि उनका ठीक प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमें सावधान होना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्री इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री स० कुण्डू (बालासौर): मैं आप की बात की सराहना करता हूं। मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूँ। सरकार जानबूझकर संवैधानिक संकट उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि नियम अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। अधिनियम में देश की रक्षा के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को बहुतसे अधिकार दिये गये हैं। धारा 4 में कहा गया है कि राज्य सरकारें एक सिविल रक्षा निदेशक नियुक्त करेंगी। यदि नियम 13 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशक को अपनी सिविल रक्षा एजेंसी के माध्यम से सीधे कोई आदेश देती है और राज्य सरकार सहयोग नहीं करना चाहती है और निदेशक इन्कार कर देता है, तो क्या होगा ? जानबूझकर यह असंगति रखी गई है।

दूसरे मेरा संवैधानिक प्रश्न है, जब अधिनियम में यह व्यवस्था हो कि नियम केन्द्र और राज्यों दोनों द्वारा बनाये जायेंगे, तो हम एक स्थान पर यह कैसे कह सकते हैं कि केन्द्र और राज्य दोनों अमुक कार्य कर सकते हैं और इसके दूसरे स्थान पर यह कैसे कह सकते हैं कि केवल केन्द्र ही अमुक कार्य कर सकता है और राज्य नहीं ? इस सभा का कर्त्तव्य है कि यह देखे कि संविधान की भावना के अनुसार नियम बनाये जाते हैं। जहां पर विवाद की कोई गुन्जाइश नहीं है, वहां पर सरकार उन्हें भड़का रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि हम पहले मंत्री महोदय की बात सुन लें।

श्री के. एस. रामास्वामी : माननीय सदस्य श्री मिश्र ने कहा कि केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति अथवा केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाली सम्पत्ति की रक्षा के लिये जानबूझकर ऐसा किया गया है। यह भी कहा गया कि यह संविधान के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह स्पष्ट करना होगा कि 'कारखाने' केन्द्र के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नियमों में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए की वे केन्द्र के है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों ने यह बताया है कि कुछ खाने राज्य के अधीन हैं। यह तो ठीक है कि सिविल सुरक्षा के लिये आप को नियम बनाने का अधिकार है। परन्तु नियम भी इस प्रकार बनाये जाने चाहिये कि केन्द्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र संविधान की सीमाओं तक ही सीमित रहे। परन्तु यदि आप उन सीमाओं से बाहर जाते हैं तो वह आपके कार्यक्षेत्र की सीमा में कैसे माना जाये।

श्री के० एस० रामास्वामी : 'खाने' संघ सूची का विषय है और 'कारखाने' समवर्ती सूची में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपत्ति दो बातों के आधार पर उठायी गयी है। पहली है कि क्या ये नियम निर्धारित सीमा के अन्दर हैं। दूसरी आपत्ति 'कारखानों' और 'खानों' से सम्बन्धित है। 'कारखाने' के अन्दर तो सरकारी उपक्रम आदि आ सकता है। परन्तु जहां तक खानों का मामला है उनमें से कुछ राज्य के पास है और कुछ केन्द्र के। इसी कारण यह नियम निरर्थक हो जाता है।

श्री के० एस० रामास्वामी : आप कृपया धारा 3 (ओ) (vii) को देखें, उसके अधीन यह नियम बनाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा इस विषय में विरोध नहीं है। प्रस्तुत नियम में आपने केवल केन्द्रीय सरकार लिखा है और 'राज्य ररकार' को छोड़ दिया है। जबकि 'खानें' केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के आधीन हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सिविल सुरक्षा के नियम बनाते समय कुछ नियमों में आपने 'केन्द्रीय सरकार' के साथ 'राज्य सरकार' का उल्लेख भी किया है और कुछ अन्य नियमों में केवल 'केन्द्रीय सरकार' ही जिक्र किया है। राज्य क्षेत्र में भी 'कारखाने' और 'खाने' हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया जाना चाहिये कि जो 'खाने' या 'कारखाने' राज्य क्षेत्र में हैं, उनके सम्बन्ध में कौन–कौन से अधिकार केन्द्रीय सरकार के है और कौन–कौन से अधिकार राज्य सरकार के हैं।

श्री के० एस० रामास्वामी : यह संख्या 55 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि खानों और तेल क्षेत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व पूर्णतः केन्द्रीय सरकार पर है। आग लगने के मामले में केन्द्र तथा राज्य दोनों की सरकारों को शक्ति प्राप्त है और दोनों ही उसके लिये उत्तरदायी है। परन्तु केन्द्रीय सरकार के कारखानों, उद्योगों और खानों की आग से रक्षा करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायण राव इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं।

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : यह आवश्यक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के साथ राज्य सरकार को भी जोड़ा जाये, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि खानों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। स्वामित्व, उपभोग और तत्सम्बन्धी नियम बनाने के क्षेत्र पृथक-पृथक हैं। किसी वस्तु का एक व्यक्ति मालिक हो सकता है दूसरा उसका उपयोग कर सकता है और तीसरा (सरकार) उसके सम्बन्ध में कानून-नियम बना

सकती है। चाहे कोई गैर सरकारी खान ही क्यों न हो, संसद को उसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार कारखानों का विषय संसद क्षेत्राधिकार में है। अतः केन्द्रीय सरकार के साथ राज्य सरकार को जोड़ना जरूरी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हूँ। यह नियम मूल अधिनियम के धारा 3 के अधीन बनाया गया है। यदि आप एक स्वतंत्र अभिकरण, राज्य के नियन्त्रण से स्वतन्त्र, बनाना चाहते हैं तो यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिये। यदि आप इस पर सभा का मत लेना चाहे तो तो बात दूसरी। वैसे मै आपके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हूँ और इस मामले पर आपको पीठासीन अधिकारी तथा सभा को संतुष्ट करना होगा क्योंकि यह एक संवैधानिक मामला है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार हटाने से इसके क्रियान्विति में भी बाधा उपस्थित होगी।

श्री के० एस० रामास्वामी : संविधान के अनुसार तो केन्द्र को कारखाने और खानों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत नियम में हमारा आशय प्रतिरक्षा के संस्थानों और सैनिक हवाई अड्डों आदि से है। इसका सम्बन्ध सब कारखानों या प्रत्येक गैर सरकारी कारखाने से नहीं है। हमारा आशय केवल केन्द्रीय सरकार की खानों और कारखानों की रक्षा करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात नियमों से स्पष्ट नहीं होती। यह अच्छा होगा कि आप पहले इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से परामर्श करें और फिर स्पष्टीकरण दें। आपके दिये गये स्पष्टीकरण से न मुझे संतोष हुआ है और न सभा ही को। आपको इस सम्बन्ध में तैयार हो कर पुनः स्पष्टीकरण देना होगा। कम से कम, मुझे तो यह विश्वास हो जाना चाहिये कि यह संसद की विधायनी क्षमता के अन्तर्गत आता है।

श्री के० एस० रामास्वामी : यदि आपका यह निर्णय है तो हमें वह भी स्वीकार्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी इस प्रश्न को अन्तिम निर्णय के लिये सभा के सामने नहीं रख रहा हूँ। मैं इसे विचाराधीन ही छोड़ रहा हूँ।

---

*छोटी कार परियोजना

**SMALL CAR PROJECT

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : कम मूल्य वाली कारों के उत्पादन के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठते हैं। क्या छोटी कार का कहीं अस्तित्व भी है ?

---

* आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-Hour Discussion

योजना आयोग या सम्बन्धित मंत्रालय के प्रस्तावों में छोटी कार का अस्तित्व है, कहीं और नहीं। पहले इसका नाम 'जन साधारण कार, (पीपल्स कार) था बाद में इसे 'छोटी कार' की संज्ञा दे दी गई। प्रारम्भ में इसका अनुमानित मूल्य 5000 रुपये से 70000 तक बताया गया था। पांड़े समिति ने कहा कि इसका मूल्य 9000 रुपये या 10000 रुपये से कम न हो सकेगा। अब मंत्री महोदय बतला रहे हैं कि छोटी कार का मूल्य 12000 रुपये होगा। तथाकथित छोटी कार का मूल्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और जब तक उसका वस्तुतः उत्पादन होगा तब तक उसकी कीमत 14000 रुपये हो जायेगी। क्या इतने मूल्य की कार को छोटी कार या साधारण व्यक्ति के लिये कार की संज्ञा दी जा सकती है। इतना ही नहीं इसके उत्पादन शुरु होने के पश्चात इसके दाम या तो और अधिक बढ़ जायेंगे या उसकी किस्म घटिया हो जायेगी, जैसा कि बड़ी कारों के मामले में हो रहा है।

यदि यह ठेका फ्रांस के रेनाल्ट कारपोरेशन को भी दे दिया गया तो भी छोटी कार की कीमत बढेगी ही। यह कारपोरेशन भी बड़ी चालाक संस्था है उसने कुछ संसद सदस्यों को अपने खर्च पर फ्रांस बुलाया और वहां उनकी हर प्रकार से सेवा की। मुझे पूरा शक है कि यह परियोजना एक विदेशी एकाधिकारी संस्था के हाथ में पहुँच जायेगी।

वास्तव में हमारी सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती कि किस कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिये। प्राथमिकता उस परियोजना को दी जानी चाहिये जिससे अधिकांश लोगों का हित हो। हमारे जैसे निर्धन देश में, जहां एक औसत भारतीय की दैनिक जाय केवल 3 आना है, कार-निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ही क्या है क्योंकि 12,000 रुपये की कार वह व्यक्ति ही रख सकता है जिसकी प्रतिमाह आय 2000 रुपये हो। यदि आप कार-निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी कार्य कुशलता दिखाना चाहते हैं तो फिर भारत को एटम बम बना कर उच्च स्तर की अपनी तकनीकी क्षमता का परिचय देना चाहिये और इसके लिये भारत में क्षमता भी है। परन्तु पता नहीं सरकार की दृष्टि छोटी कार पर ही क्यों पड़ती है। मेरे विचार से 12000 रुपये की तथाकथित छोटी कार को बनाने की बजाय सरकार को उत्तम प्रकार के उर्वरकों, हलों, ट्रेक्टरों का निर्माण करना चाहिये जिससे हमारे किसान लाभान्वित हों और कृषि उत्पादन बढ़े। हमारे देश में अस्पतालों और स्कूलों का अभाव है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मंत्री महोदय ने कहा था कि जब हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जायेगी तभी हम छोटी कार बनायेंगे। तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई है ? इसके विपरीत यह दिनों दिन खराब होती जा रही है।

अब देश में बनायी जाने वाली कारों का विवरण भी देखिये। वर्ष 1967 में देश में 40,000 कारों तथा 31,000 स्कूटरों का निर्माण किया गया, जबकि कार के लिये प्रार्थियों की सूची में 1.25 लाख नाम थे और स्कूटरों के लिये 3 लाख लोगों ने प्रार्थना पत्र दे रखे थे।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि स्कूटर एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु है। परन्तु सामान्य व्यक्ति के बारे में जो सरकार की परिभाषा है वह गलत है तथा छोटी कार

के मूल्य 12,000 प्रति-कार रखे गये हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि इस 26 करोड़ रुपये की धन राशि को कार-योजना पर व्यय करने की बजाय इसे स्कूटर-निर्माण में लगाया जाये, क्योंकि जब तक एक लाख कारें प्रति वर्ष न बनेगी, इनके मूल्य कम नहीं होंगे। अतः स्कूटर बनाइये।

देश में क्या हो रहा है? एक ओर हम वैभव-पूर्ण होटलों के निर्माण में 25 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं तथा दूसरी ओर लोग भूखों मर रहे हैं। आज देश में प्रति व्यक्ति दैनिक आय केवल तीन आने हैं और आप एश्वर्यपूर्ण होटलों की बातें करते हैं? यह अनैतिक है। अतः मंत्री महोदय इस योजना को अगली पांचवीं अथवा छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करें।

आज देश के व्यक्ति कार रखने की स्थिति में नहीं हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर दें। उसके पश्चात् अन्य सदस्य बोलेंगे।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): मुझे आश्चर्य है कि श्री हेम बरुआ की टिप्पणी न केवल छोटी कार योजना पर थी बल्कि संसद द्वारा स्वीकृत सरकार की अन्य कार्यवाहियों पर थी। खैर मैं तो प्रश्न से सम्बन्धित बातों का उत्तर देना चाहूँगा।

सर्व प्रथम तो मैं कहूंगा कि सरकार की यह इच्छा नहीं है कि देश के अन्य महत्वपूर्ण तथा लाभदायक कार्यक्रमों को छोड़ छोटी कार योजना को सर्व प्रथम लागू किया जाये। न जाने छोटी-कार से सदस्यगण क्या अर्थ लेते हैं। वास्तव में कार की आज भारी मांग है। अनेक संसद सदस्य भी इसके लिये नित्य प्रति ही अनुरोध करते हैं। वास्तव में छोटी कार का अभिप्राय एक ऐसी कार से है जोकि आज मार्केट में उपलब्ध होने वाली कारों से कहीं सस्ती और अच्छी हो। छोटी कार का अर्थ कोई छोटी-सी गुडिया जैसी कार से नहीं है। माननीय सदस्य कार-निर्माताओं के एकाधिकार के बारे में सरकार की कटु आलोचना करते हैं क्योंकि उनकी कारों के दाम बहुत ऊंचे हैं तथा स्तर भी अच्छा नहीं है। इस समय देश में एम्बेसडर, फिएट और स्टेन्डर्ड ये तीन प्रकार की कारें बन रही है, जिनके कारखानों से निकलते समय के मूल्य क्रमशः 14,892, 13,551 तथा 14,300 रूपये हैं। इसी एकाधिकार और ऊँची दरों को कम करने के लिये ही सरकार 7,000 या 8,000 रूपये की कारों का निर्माण करना चाहती है। यह जनता के हित में होगा।

जहां तक कारों की मांग का प्रश्न है वह 30 सितम्बर, 1968 को लगभग 82,000 थी तथा प्रत्येक व्यक्ति ने दो दो तीन तीन हजार रूपये क्रया-देश के रूप में जमा भी करा रखे थे। इसके अतिरिक्त भी अनेक व्यक्ति कार खरीदने के इच्छुक हैं परन्तु इस लम्बी प्रतीक्षा सूची को देखकर वे नाम लिखवाने तथा क्रयादेश हेतु धन जमा कराने में संकोच करते हैं। यह कहना सही है कि हमारा उत्पादन मांग की अपेक्षा बहुत ही कम है और यह मांग दिन प्रतिदिन निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसकी तुलना में गत वर्ष हम केवल 20,500 एम्बेसडर 10,055 फिएट तथा केवल 2,769 स्टेन्डर्ड कारों का निर्माण कर सके।

अब जहां तक इन कारों की किस्म का सम्बन्ध है, इस बारे में मैंने एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी है। इस विशेषज्ञ समिति ने तीन सिफारिशें की हैं। पहली सिफारिश यह है कि प्रत्येक एकक के पास विभिन्न पुर्जों की जांच करने हेतु परीक्षण के लिए उचित साज व समान होना चाहिये। दूसरी सिफारिश में गारन्टी की अवधि नियत की जानी चाहिए। हमने कहा है कि यह गारन्टी कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए। वह निर्माताओं ने स्वीकार कर ली है। कारखाने में निकलने से पूर्व कार की किस्म की जांच करने के लिए हम एक तकनीकी जांच विभाग बनाने जा रहे हैं तथा उसके खर्च को वहन करने के बारे में उपाय सोच रहे हैं। एक प्रस्ताव है कि इस पर कोई उपकर लगा दिया जाये। परन्तु क्या उपभोक्ता पर बिना बोझ डाले यह उपकर लगाया जा सकता है, यही विचार कर रहे हैं। अधिक संख्या में कारों के निर्माण करने से रोजगार भी बढ़ेगा। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हम बसों, ट्रकों तथा अन्य ऐसी गाड़ियों के निर्माण की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। ये उद्योग भी लगभग इसी प्रकार के हैं तथा कार-उद्योग को भी इनसे सहयोग प्राप्त होगा। सरकार बसों तथा ट्रकों का उत्पादन भी बड़ी तीव्र गति से करती जा रही है। वर्ष 1966 में हमने कुल 31 462 ट्रकों का निर्माण किया जिनमें से 8500 बसें थीं। हम इससे भी अधिक निर्माण करने को इच्छुक हैं। छोटी कार योजना से इनके निर्माण में रुकावट नहीं पड़ेगी।

जहां तक रेनाल्ट का प्रश्न है, आयोजना आयोग या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय अभी नहीं लिया है। हम सारे मामले पर विचार कर रहे हैं तथा देश के हित को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जायेगा। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस सम्बन्ध में यदि विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे देश से कुछ गया भी तो उतना ही हम वापस भी ले लेंगे। अतः सारे मामले पर सरकार और आयोजना आयोग विचार कर रहे हैं, योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा अन्तिम निर्णय होने पर ही मैं कुछ और बता सकूंगा। वैसे हमारी बड़ी इच्छा है कि यह उद्योग सरकारी क्षेत्र में हो।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस विषय पर उचित दृष्टिकोण के साथ विचार नहीं किया गया है। हम मानते हैं कि हमें सस्ते दामों पर कार चाहिए। वैसे कारों के दामों में आज भी बड़ी प्रतियोगिता है। सभी के मूल्य प्रायः समान से हैं। 100 प्रतिशत का तो अन्तर कहीं भी नहीं है। परन्तु हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 14,000 अथवा 16,000 रूपये की कार की तुलना में वह 7 या 8 हजार के मूल्य की कार का निर्माण करेंगे। कार सस्ती भी हो सकती है, यदि इसकी मशीन किसी अन्य ढंग की हो। क्या रेनाल्ट की मशीनरी कुछ भिन्न प्रकार की है, ताकि उसकी कार सस्ती बन सके ? सस्ती होने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उसमें समुचित सामान या रंग-रोगन न लगा हो।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : पहला कारण तो यह है कि वर्तमान उत्पादकों के संयंत्र पूराने ढंग के हैं तथा अब जो नये अविष्कृत हुए हैं वे कार्य खर्च वाले हैं। दूसरे वर्तमान संयंत्र की कार-उत्पादन क्षमता केवल 20,000 है जबकि नये संयंत्रों में यह क्षमता 50,000 या 60,000 होगी और इसी कारण मूल्यों में कमी आ सकती हैं। अतः हम एक बड़ा भारी एकक स्थापित करना चाहते हैं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : May I know whether the Tarriff Commission has recommended to the Planning Commission that the production of small car should be stopped, if so, the reaction of the Planning Commission thereto ? Whether they have apprehended that they will not be able to produce cars on mess scale so as to bring out cheap cars ? The prices can come down to Rs. 7000 only when they produce it on mass scale. I want to know whether the Govt. will produce cars on a mass scale, if so, what will the cost of a car then ?

My third question is what will be the our average annnal production vis-a-vis our demand.

Shri F. A. Ahmed : Govt. has not accepted that recommendation of the Tarriff Commission. We propose to produce cars on a mass scale and increase the production year after year.

सभापति महोदय : श्री कुन्डू !

श्री एस० कुण्डू (बालासोर) काफी समय से छोटी-कार के निर्माण के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं । देश की हर श्रेणी के लोगों में इसका जिक्र है ।

प्रश्न यह नहीं है कि इसकी मांग है तथा आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । प्रश्न यह है कि आप इसको योजना में प्राथमिकता किस प्रकार देंगे । 26 करोड़ रूपये की धन राशि को किस प्रकार लाभ-प्रद रूप में लगायेंगे । यदि आप वास्तव में सामान्य जन के लिए सस्ती कार बनाना चाहते हैं तो आप बिरलाओं को कहिये कि वे किसी अमरीकन कम्पनी के सहयोग से इसका निर्माण करें । इस प्रकार तो आपने विदेशी एकाधिकार बढ़ाया है । (व्यवधान) मैंने तीन प्रश्न पूछने हैं । पहला तो यह कि क्या आप इस सारे उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं जो कि अब केवल तीन प्राईवेट हाथों में है ? दूसरे इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के सुपुत्र की क्या स्थिति है जिन्होंने छोटी कार बनाने के लिये लायसेंस की मांग की है और तीसरे, इन 82,000 प्रतीक्षा करने वालों में सरकारी अधिकारी कितने हैं, जिनके लिये अपने भत्तों से कार का मूल्य चुकाना बहुत आसान है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : प्राथमिकता की बात अवश्य ही ध्यान में रखी जायेगी तथा योजना आयोग से इस बारे में जांच करने को कहा गया है । इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में सहायक उद्योगों की निष्कार्य क्षमता, छोटे उद्योग, मशीन, पुर्जों आदि को भी दृष्टि में रखा जायेगा । यह निश्चित है कि देश के लिये बोझ अथवा महंगा पड़ने वाला कार्य सरकार या आयोजना आयोग कभी नहीं करेंगे ।

मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के पुत्र का नाम लेकर व्यंग्य किये जाते हैं । चाहे प्रस्ताव कहीं से आये सरकार उसपर उनके गुणावगुणों के अनुसार विचार करती है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस बारे में विचार कर रहे है कि जिस भी चीज को बनाने में केवल भारतीय साज सामान का उपयोग, बाहर से कुछ भी आयात न करना पड़े, उस पर कोई लाइसेन्स न रखा जाये । और इस बारे में हम शीघ्र ही कोई निर्णय लेंगे । फिर ऐसे काम के लिये प्रस्ताव चाहे जहां से आये, उसको कैसे अस्वीकार किया जा सकता है ? और उस पर आप कैसे व्यंग्य कर सकते है (व्यवधान)

श्री एस कुण्डू : मंत्री महोदय मेरा प्रश्न नहीं समझे । मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या प्रधान मंत्री के पुत्र ने लाइसेन्स के लिये प्रार्थना की है कि वह छोटी कार बना सकते है, यदि हां, तो इस बारे में कार्यवाही पर क्या प्रगति हुई है ?

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मंदसौर) : क्या वर्तमान स्थिति में विदेशी पुर्जों के बिना छोटी कार बनाया जाना सम्भव है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमें एक परियोजन-रिपोर्ट मिली है जिससे प्रकट होता कि वह विदेशी पुर्जों के बिना कार बना सकते हैं । विशेषज्ञ इस बारे में निर्णय देंगे । क्योंकि कार का निर्माण बड़े लम्बे स्तर पर करना है । अतः इसे केवल सरकारी क्षेत्र में ही किया जा सकता है । वैसे यदि गैर सरकारी क्षेत्र में अपनी जिम्मेवारी पर यह कार्य करना चाहता है तो हम इसे कैसे रोक सकते है ?

Shri Shinkre (Panjim) : On 12th instant it was stated that in all 14 proposals were received and only two of them were sent to Planning Commission for consideration. Why not all of them ? May I know whether you are prepared refer all of them to the Planning Commission ?

My second point is that if the Govt. produces cars in the public sector, the three monopolists in this field at present will surely have to reduce the price of cars, and it would be a very good thing. But may I know whether Govt. would consider about establishing this industry in Goa becuse there is not a single public undertaking in Goa?

Shri F. A. Ahmed : The hon. Member has done his duty by mentioning Goa for this purpose. I may inform that a decision on this whole question will be taken after considering all aspects.

All the proposals were examined by the experts committee and all of them were not found economic. A ter considering all aspects are referred firstly three of them out which also one was totally rejected by the Planning Commission forthwith. The proposer of this proposal has said that he would send arevised proposal. So, we will consider that and refer to the Planning Commission as and when it comes again.

समापति महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार दिनांक 21 नवम्बर, 1968/30 कार्तिक 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday November 21, 1968/Kartika 30, 1890 (Saka)